# NEPA LIMITED

*(A Govt. of India Undertaking)*

# नेपा लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

## 76th Annual Report

## 76वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

## 2022-2023

Leadership at **NEPA LIMITED**

## BOARD OF DIRECTORS

**COMMODORE SAURAV DEB** (Retd.)
Chairman cum Managing Director
**कमोडोर सौरभ देब** (सेवा निवृत्त)
**(अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक)**

**SMT. MUKTA SHEKHAR**
Joint Secretary MHI
(Director)
**श्रीमती मुक्ता शेखर**
**संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय**
**(निदेशक)**

**SHRI ATUL KUMAR MISHRA**
Secretary Forest
(Director)
**श्री अतुल कुमार मिश्रा**
**सचिव वन**
**(निदेशक)**

**CA MILIND S. KANADE**
Independent
Director
**सी.ए. मिलिंद एस. कनाड़े**
**(स्वतंत्र निदेशक)**

**SHRI PRADEEP KUMAR NAIK**
Director
(Finance)
**श्री प्रदीप कुमार नाईक**
**निदेशक (वित्त)**

# Leadership at NEPA LIMITED

## KEY MANAGERIAL PERSONNEL

**SMT. PURNIMA PARASHAR**
Company Secretary
**श्रीमती पूर्णिमा पाराशर**
**(कम्पनी सचिव)**

**SHRI CHHABINATH VERMA**
Chief Financial Officer
**श्री छविनाथ वर्मा**
**(मुख्य वित्तीय अधिकारी)**

## KEY EXECUTIVES

**SHRI VINIT KUMAR, I.R.S.**
Chief Vigilance Officer
**श्री विनीत कुमार, आई. आर. एस**
**(मुख्य सतर्कता अधिकारी)**

**SHRI RAM ALAGESAN**
Chief General Manager(Technical)
**श्री राम अलागेशन**
**मुख्य महाप्रबंधक(तकनीकी)**

**SHRI AJAY GOEL**
General Manager(Operation)
**श्री अजय गोयल**
**महाप्रबंधक(प्रचालन)**

**SHRI SURENDRA KUMAR MEHTA**
Deputy General Manager(Work)
**श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता**
**उप महाप्रबंधक(कार्य)**

# अध्यक्ष की ओर से

मैं, अपनी और निदेशक मण्डल की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और तहे दिल से कम्पनी की 76वीं वार्षिक साधारण सभा में हार्दिक स्वागत करता हूँ।

कम्पनी के प्रचालन पर निदेशकों का प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 के लिये वित्तीय विवरण, वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, जो पहले से ही आपके समक्ष है, आपकी अनुमति से मैं, यह मान लेता हूँ कि इसे आपने पढ़ लिया होगा।

यह वर्ष नेपा लिमिटेड में हम सभी के लिये एक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय वर्ष रहा है। हम अधिक प्रत्यास्थी एवं पुनर्जीवित होकर उभरे हैं तथा हमारी क्षमताओं में हमारा विश्वास उस विश्वास में परिलक्षित होता है जो हमारे ग्राहकों ने हम पर रखा है। मैं इसे संभव बनाने में अपने ग्राहकों, भागीदारों, टीम के सदस्यों एवं अन्य हितधारकों के अथक सहयोग के लिये उनका आभारी हूँ।

हमने मिश्रण कार्यशील आदर्श को अपनाया है एवं नये लोगों के सहभागिता मानदण्डों को उभरने का अवसर दिया है।

जब महामारी ने अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न किया, इसने हमें जीवन बदलने वाले कुछ सबक भी सिखाये। आज, हमारे व्यावसायिक दृष्टिकोण में एक समग्र, टिकाऊ रणनीति शामिल है, जिसका उद्देश्य हमारे हितधारकों के लिये दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करना है।

**हमारे कार्यनिष्पादन एवं स्थिति को सुदृढ़ करना**

पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना का समापन तथा दिनांक 23.08.2022 को डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डे, माननीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा उदघाटन विशेष रूप से कम्पनी और मध्यप्रदेश राज्य एवं सामान्य रूप से देश के लिये एक महत्वपूर्ण क्षण था।

दिनांक 05.10.2022 से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि थी, जब कम्पनी देश के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के समानान्तर उच्च गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का उत्पादन करने में सक्षम हो गई।

**उज्ज्वल भविष्य**

हम अत्यधिक गतिशील वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जो अवसरों से भरपूर है, खासकर भारत में एवं आपकी कम्पनी 100000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, लेखन एवं मुद्रण कागज तथा अखबारी कागज का उत्पादन करने की आशा करती है और इससे आयात को कम करने एवं निर्यात में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी क्योंकि आपकी कम्पनी देश के प्रमुख कागज उद्योगों में से एक बनने जा रही है। मिल के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण से मिल के चहुँमुखी विकास तथा एक सकारात्मक वित्तीय सुदृढ़ता में सहायता मिलेगी। कम्पनी राजस्व बढ़ाना चाहती है और आकारिक मितव्ययिता, संसाधनों के कुशल उपयोग एवं मूल्य श्रृंखला प्रबंधन को सुनिश्चित करके बाजार में कागज की मांग परिदृध्य में सुधार करने का प्रयास कर रही है।

प्रणाली, प्रक्रियाओं, उत्पादों एवं बाजार में किये जाने वाले प्रस्तावित निवेश से परिचालन प्रदर्शन में वृद्धि तथा हितधारकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने की उम्मीद है। नेपा लिमिटेड वर्तमान प्रेरणात्मक प्रबंधन एवं परियोजना नेतृत्व तथा भारत सरकार की सहायता से निर्णायक मुख्य भूमिका के साथ “आत्मनिर्भर भारत” का मार्ग प्रशस्त करेगा।

एक रुग्ण कम्पनी के कायापलट ने कर्मचारियों में आत्मविश्वास जगाया, जिससे कम्पनी ने "आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता" को चरितार्थ किया।

**निगमित शासन**

हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारा संगठन किस प्रकार संचालित होता है। सख्त नीतियों एवं रूपरेखाओं के साथ**,** हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरे संगठन में सुशासन लागू हो तथा हम लगातार इस स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार "निगमित शासन के वैश्विक व्यापार मानकों का पालन करना" हमारा अंतिम उद्देश्य है।

**सामाजिक जिम्मेदारी**

आपकी कम्पनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में संरक्षा एवं सामाजिक जवाबदारी के उच्चतम मानक बनाये रखने के लिये वचनबध्द है। समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का प्रबंध और समुदायों के विकास में योगदान के लिये हम आस-पास के क्षेत्रों में हर सम्भव तरीके से समुदायों के बीच सकारात्मक योगदान के लिये प्रयास कर रहे हैं।

कम्पनी ने रक्तदान अभियान, योग कार्यशालायें, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एवं कई सांस्कृतिक गतिविधियों सहित विविध प्रकार की पहल की है। इन प्रयासों का उद्देश्य स्थानीय कला को बढ़ावा देना तथा समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है।

मैं, समापन करने से पहले उन अंशधारकों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो 3 दशकों से अधिक समय से हानि में चल रहे प्रचालन के दौरान कम्पनी के साथ बने रहे हैं। मैं, भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक अंकेक्षकों, लागत अंकेक्षकों, बैंकों, जिला प्रशासन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ, जो आपकी कम्पनी में चल रहे आधुनिकीकरण परियोजना में भाग ले रही हैं, का भी सहायता एवं सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, अपने समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों की, जिन्होंने कम्पनी के अत्यधिक कठिनाई वाले दिनों में कम्पनी के प्रचालन एवं हमारे परियोजना कार्य की प्रगति को बनाये रखने हेतु, जो भी कार्य दिया, उसे बखूबी निभाने में उनके समर्पित कठोर परिश्रम के लिये धन्यवाद सहित हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आप सभी के निरंतर सहयोग एवं सहायता से कम्पनी आने वाले वर्षों में पुन: अपने भूतपूर्व गौरव एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करेगी।

**कमोडोर सौरभ देब**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

# कम्पनी की संक्षिप्त पार्श्विका

अखबारी कागज निर्माण में भारत की अग्रणी कम्पनी नेपा लिमिटेड, मध्यप्रदेश के नेपानगर, जिला बुरहानपुर में स्थित है। इसका प्रशासनिक, साथ ही साथ पंजीकृत कार्यालय नेपानगर (म.प्र.) में स्थित है। कम्पनी मूलत: **"दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड"** के नाम से अखबारी कागज उत्पादन करने के लिये दिनांक 25 जनवरी 1947 को स्थापित हुई और वर्ष 1981 तक यह देश की अखबारी कागज उत्पादन करने वाली एकमात्र इकाई थी। कालांतर में अक्टूबर 1949 में कम्पनी का प्रबंधन उस समय की मध्य प्रांत एवं बरार राज्य (वर्तमान में मध्यप्रदेश) के द्वारा अधिकार में लिया गया। तदुपरांत 1958 में भारत सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथों में लिया। 21 फरवरी 1989 को संस्थान का नाम "दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड" से बदलकर **"नेपा लिमिटेड"** किया गया।

नेपा लिमिटेड की पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) को सितंबर 2012 में सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था एवं वर्ष 2014 में बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत किया गया था। आर.एम.डी.पी. परियोजना में 1,00,000 टी.पी.ए. की बढ़ी हुई क्षमता के साथ वर्तमान संयंत्र का पूर्ण आधुनिकीकरण तथा अखबारी कागज के अतिरिक्त लेखन एवं मुद्रण कागज का उत्पादन शामिल है।

आर.एम.डी.पी. पूर्ण हो गया एवं संयंत्र का उदघाटन दिनांक 23.08.2022 को माननीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डे द्वारा किया गया। संयंत्र ने दिनांक 05.10.2022 को एक मशीन पर अखबारी कागज का व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया। कम्पनी ने पहली बार दिनांक 19.09.2023 को लेखन एवं मुद्रण कागज का सफलतापूर्वक उत्पादन प्रारम्भ किया।

**संकल्पना**

भारतीय कागज उद्योग में विशेष योगदान एवं अग्रणी होना तथा कम्पनी को जीवनक्षम और स्व-प्रमाणित करने योग्य बनाना।

**लक्ष्य**

सर्वश्रेष्ठ उत्पाद, नवीनता एवं एकीकरण के माध्यम से ग्राहक आवश्यकता की संतुष्टि करना।

**नेपा टीम स्वच्छ, हरित, सुन्दर एवं समृध्द नेपा के लिये प्रयासरत है।**

# निगमित जानकारी

## निदेशक मंडल

कमोडोर सौरभ देब, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्रीमती मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय
श्री अतुल कुमार मिश्रा, सचिव, वन, मध्यप्रदेश शासन
श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े, सी.ए., स्वतंत्र निदेशक
श्री पी.के. नाईक, निदेशक (वित्त), नेपा लिमिटेड

<table>
<tr><th colspan="2">प्रमुख अधिकारी वर्ग</th><th>कार्यालय</th></tr>
<tr><th>पंजीकृत कार्यालय पर :</th><th>क्षेत्रीय कार्यालय पर :</th><th>पंजीकृत कार्यालय :</th></tr>
<tr><td rowspan="4">श्रीमती पूर्णिमा पाराशर<br>कम्पनी सचिव<br>ई-मेल secretary@nepamills.nic.in<br>फोन : 07325-222167<br><br>श्री आर. अलागेसन<br>मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)<br>ई-मेल gmpw@nepamills.nic.in<br>फोन : 07325-222273<br><br>श्री अजय गोयल<br>महाप्रबंधक (प्रचालन)<br>ई-मेल gm-commercial@nepamills.nic.in<br><br>श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता<br>उप महाप्रबंधक (कार्य)<br>ई-मेल works@nepamills.nic.in<br><br>श्री सी.एन. वर्मा<br>सी.एफ.ओ./उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)<br>ई-मेल mfin@nepamills.nic.in<br>फोन : 07325-222258</td><td>दिल्ली कार्यालय :<br>श्री महेन्द्र केशरी<br>प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)<br>ई-मेल nepadelhi@nepamills.nic.in<br>फोन : 011-24615894<br><br>हेमपुर कार्यालय :<br>श्री महेन्द्र केशरी<br>प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)<br>ई-मेल nepahempur@nepamills.nic.in<br>फोन : 05947-211460</td><td>नेपानगर<br>जिला बुरहानपुर,<br>मध्यप्रदेश - 450 221<br><br>क्षेत्रीय कार्यालय :<br>दिल्ली कार्यालय :<br>डी-165, डिफेन्स कॉलोनी,<br>नई दिल्ली - 110 024<br><br>हेमपुर कार्यालय :<br>कैप्टिव प्लांटेशन,<br>पी.ओ. आर.टी.सी., हेमपुर,<br>जिला उधमसिंह नगर,<br>उत्तराखण्ड - 244 716</td></tr>
<tr><td>वैधानिक अंकेक्षक</td><td>अधिकौषिक</td></tr>
<tr><td>मेसर्स फड़निस एण्ड गुप्ते<br>सनदी लेखापाल, इन्दौर</td><td rowspan="3">भारतीय स्टेट बैंक<br><br>बैंक ऑफ इंडिया</td></tr>
<tr><td>सचिवीय अंकेक्षक</td></tr>
<tr><td>आई.जी. एण्ड एसोसिएटस<br>कम्पनी सचिव, इन्दौर</td></tr>
</table>

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा लिमिटेड

एतद द्वारा **सूचित** किया जाता है कि **नेपा लिमिटेड** के सदस्यों की 76वीं वार्षिक साधारण सभा, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450221 पर शुक्रवार दिनांक 24.11.2023 को अपरान्ह 4.00 बजे ऑनलाईन माध्यम से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने हेतु आयोजित की जायेगी :-

**साधारण कार्य के रुप में**

1. दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन पत्र एवं अंकेक्षित वित्तीय विवरण एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशकों और वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करना तथा स्वीकार करना।

2. क्रमानुवर्तन द्वारा निवृत्तमान श्री अतुल कुमार मिश्रा, जो वर्तमान में योग्य हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति और वे स्वयं की पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तावित हैं।

3. साधारण संकल्प के रुप में निम्नलिखित संकल्प विचारार्थ और यदि संशोधित अथवा बिना संशोधन किए पारित करने हेतु उपयुक्त समझा जाये :-

   **संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी की स्वीकृति से एतद् द्वारा वैधानिक अंकेक्षक मेसर्स ए.आई. कोठारी एवं एसोसिएट्स, जलगाँव, को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के पत्र क्र. सी.ए.वी./सी.ओ.वाय./केन्द्र सरकार, नेपा (1)/1465 दिनांक 22.09.2023 में उल्लेखित अन्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन पारिश्रमिक रुपये 1,75,000/- (रुपये एक लाख पिचत्तर हजार + सेवा कर) है, को अनुमोदित किया गया।

**विशेष कार्य के रूप में**

4. साधारण संकल्प के रुप में निम्नलिखित संकल्प विचारार्थ और यदि संशोधित अथवा बिना संशोधन किए पारित करने हेतु उपयुक्त समझा जाये :-

   **संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं नियमों के तहत धारा 148, जिसे कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम 2014 के साथ पढ़ा जावे, एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधान के तहत (किसी भी वैधानिक संशोधन या फिर से लागू करने के लिये, तत्कालीन समय में लागू) तथा प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के लागत रिकॉर्ड के अंकेक्षण हेतु नियुक्त किये गये लागत अंकेक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा कि इस बैठक को आयोजित करने वाली सूचना के साथ संलग्न विवरण में निर्धारित किया गया है, कंपनी के अंशधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।

   **इसके अतिरिक्त संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिये आवश्यक, उचित या उपाय सभी ऐसे कार्यों, काम तथा चीजों को करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**
**हस्ता./-**
**(पूर्णिमा पाराशर)**
**कम्पनी सचिव**
**एम.क्र. ए36079**

**दिनांक : 16.10.2023**
**स्थान : नई दिल्ली**

**महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ :-**

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार इस वार्षिक साधारण सभा ('ए.जी.एम.') में विशेष व्यवसाय से संबंधित होने के कारण व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
2. कोविड-19 महामारी के बड़े पैमाने पर प्रकोप के मद्देनजर, सामाजिक दूरी का पालन किया जाने एवं परिपत्र क्र.20/2020 दिनांक 05.05.2020, सामान्य परिपत्र क्र.02/2021 दिनांक 13.01.2021 के अनुसरण में निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्र.14/2020 दिनांक 08.04.2020, परिपत्र क्र.17/2020 दिनांक 13.04.2020, सामान्य परिपत्र क्र.19/2021 दिनांक 08.12.2021 एवं 21/2021 दिनांक 14.12.2021 तथा फाइल क्र.नीति-17/57/2021-सी.एल.-एम.सी.ए. दिनांक 05.05.2022 एवं सामान्य परिपत्र क्र.10/2022 दिनांक 28.12.2022 तथा फाइल क्र.नीति-17/57/2021-सी.एल.-एम.सी.ए. दिनांक 25.09.2023 के अनुसार जिन कम्पनियों की वर्ष 2023 एवं 2024 में ए.जी.एम. शेष है, उन्हें सामान्य परिपत्र क्र.20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 एवं पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार दिनांक 30.09.2024 को या उससे पहले अपनी ए.जी.एम. आयोजित करने के लिये अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, के अनुपालन में ई.जी.एम./ए.जी.एम. स्थल पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है एवं वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओ.ए.वी.एम.) के द्वारा आयोजित की जायेगी। इसलिये, सदस्य वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के द्वारा आगामी ई.जी.एम./ए.जी.एम. में जुड़ सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं।
3. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर दिनांक 18.11.2023 से दिनांक 24.11.2023 तक (दोनों तिथियों सहित) बन्द रहेगा।
4. चूंकि यह ए.जी.एम. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वी.सी.')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओ.ए.वी.एम.') के द्वारा आयोजित की जावेगी, इसलिये सदस्य इस बैठक के लिये प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त, उपस्थिती पर्ची एवं मार्ग नक्शे को इस सूचना में संलग्न नहीं किया जा रहा है।
5. निगमित सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अधिनियम की धारा 113 का पालन करते हुये मण्डल संकल्प की स्कैन कॉपी (पी.डी.एफ./जे.पी.जी. प्रारूप में) secretary@nepamills.nic.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजकर अपने प्रतिनिधियों को ए.जी.एम. में उपस्थित होने के लिये अधिकृत करें।
6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, जिसे कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 20, के साथ पढ़ा जाये, के संदर्भ में, इस ए.जी.एम. में विचारार्थ प्रस्तावों को दूरस्थ ई-मतदान (ए.जी.एम. से पहले मतदान की सुविधा) एवं ए.जी.एम. के दौरान भी ई-मतदान, जिस उद्देश्य के लिये कम्पनी के निदेशक मण्डल ('मण्डल') ने एन.एस.डी.एल. की सेवायें ली हैं, के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा। मण्डल ने इस उद्देश्य के लिये श्रीमती ईशा गर्ग (पेशेवर कम्पनी सचिव), इंदौर को जाँचकर्त्ता के रुप में नियुक्त किया है।
7. दूरस्थ ई-मतदान दिनांक 21.11.2023 को प्रात: 9.00 बजे से प्रारम्भ होगा एवं दिनांक 23.11.2023 को शाम 5.00 बजे, जब दूरस्थ ई-मतदान को एन.एस.डी.एल. द्वारा अवरुध्द कर दिया जायेगा, समाप्त होगा।
8. मतदान के अधिकार का दिनांक 17.11.2023 (कट-ऑफ तिथि) को सदस्यों के नाम पर पंजीकृत अंशों के प्रदत्त मूल्य पर विचार किया जायेगा। केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी द्वारा रखे गये कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं, वे ए.जी.एम. के दौरान दूरस्थ ई-मतदान या ई-मतदान द्वारा अपने मत करने के हकदार होंगे। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार इस सूचना को केवल सूचना उद्देश्यों के लिये मानना चाहिये।
9. निगमित मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए.) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13.04.2020 के अनुसार, परिपत्र क्र.20/2020 दिनांक 05.05.2020, सामान्य परिपत्र क्र.02/2021 दिनांक 13.01.2021, फाइल क्र.नीति-17/57/2021-सी.एल.-एम.सी.ए. दिनांक 05.05.2022, सामान्य परिपत्र क्र.10/2022 दिनांक 28.12.2022 तथा फाइल क्र.नीति-17/57/2021-सी.एल.-एम.सी.ए. दिनांक 25.09.2023 के अनुसरण में ए.जी.एम. को आहूत करने वाली सूचना को कम्पनी की वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर अपलोड किया गया है। ए.जी.एम. सूचना एन.एस.डी.एल. (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
10. लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, व्याख्यात्मक विवरण सहित इस ए.जी.एम. की सूचना तथा प्रतिवेदन एवं लेखा 2023 केवल उन्हीं सदस्यों को विद्युतानी प्रणाली के माध्यम से भेजी जा रही है, जिन्होंने कम्पनी या कम्पनी के पंजीयक एवं हस्तांतरण अभिकर्त्ता (आर.टी.ए.) पूर्वा शेयरजिस्ट्री (भारत) प्रायवेट लिमिटेड के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं।

    जिन सदस्यों ने कम्पनी के पास या आर.टी.ए. के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं एवं पूर्वोक्त दस्तावेज प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने ई-मेल पते पंजीकृत करने के लिये आवश्यक है कि वह secretary@nepamills.nic.in पर ई-मेल भेज सकते हैं या कम्पनी के पंजीयक एवं हस्तांतरण अभिकर्त्ता को उनके ई-मेल पते support@purvashare.com पर लिख सकते हैं।

11. सदस्यगण ए.जी.एम. को वी.सी./ओ.ए.वी.एम. माध्यम से सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुये सभा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में भाग ले सकते हैं। वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भागीदारी की सुविधा 1000 सदस्यों के लिये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेगी। इसमें बड़े अंशधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले अंशधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, अंकेक्षक समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति, अंकेक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। ये सभी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना ए.जी.एम. में भाग लेंगे।

**इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान**

1. एन.एस.डी.एल. के ई-मतदान वेबसाइट पर जायें। या तो व्यक्तिगत संगणक पर या मोबाईल पर निम्न यू.आर.एल. टाइप करके वेब ब्राउज़र खोले : https://www.evoting.nsdl.com/
2. ई-मतदान प्रणाली का गृह पेज लॉन्च होने के पश्चात, 'शेयरहोल्डर्स' सेक्शन के तहत उपलब्ध आइकन "लॉगइन" पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुल जायेगी। आपको अपनी यूजर आई.डी., अपना पासवर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।
4. वैकल्पिक रूप से, यदि आप एन.एस.डी.एल. ई-सर्विसेस अर्थात IDEAS के लिये पंजीकृत हैं, तो आप अपने विद्यमान IDEAS लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन परिचय पत्र का उपयोग करने के पश्चात NSDL के लिये लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें एवं आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिये आगे बढ़ सकते हैं।

आपकी उपयोगकर्त्ता आई.डी. का विवरण नीचे दिया गया है : (आपकी EVEN संख्या 127033 है)

| | |
|---|---|
| **अंश धारण की विधि** | आपकी उपयोगकर्त्ता आई.डी. है : |
| **प्रत्यक्ष प्रपत्र में अंश धारण सदस्यों के लिये** | EVEN नंबर एवं उसके पश्चात कम्पनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर<br>उदाहरण के लिये यदि फोलियो संख्या 001*** एवं 127033 EVEN है, तब उपयोगकर्त्ता आई.डी. 127033001*** है। |

**5.** आपके पासवर्ड का विवरण नीचे दिया गया है :

(ए) यदि आप पहले से ही ई-मतदान के लिये पंजीकृत हैं, तो आप अपने विद्यमान पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और वोट डालने के लिये कर सकते हैं।

(बी) यदि आप पहली बार एन.एस.डी.एल. ई-मतदान प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिये बाध्य करेगा।

(सी) यदि आपका ई-मेल आई.डी. आपके डीमैट खाते में या कम्पनी के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ई-मेल आई.डी. पर आपको भेज दिया जाता है। एन.एस.डी.एल. से आपको भेजे गये ई-मेल को अपने मेल बॉक्स में पता करें। ई-मेल खोलें एवं अनुलग्नक अर्थात .पी.डी.एफ. फ़ाइल खोलें। .पी.डी.एफ. फ़ाइल खोलें। .पी.डी.एफ. फाइल को खोलने का पासवर्ड एन.एस.डी.एल. खाते के लिये आपकी 8 अंकों की ग्राहक आई.डी., सी.डी.एस.एल. खाते के लिये ग्राहक आई.डी. के अंतिम 8 अंक या प्रत्यक्ष रूप में रखे अंशों के लिये फोलियो नंबर है। .पी.डी.एफ. फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आई.डी.' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' सम्मिलित हैं।

(डी) यदि आपकी ई-मेल आई.डी. पंजीकृत नहीं है, तो कृपया ऐसे अंशधारक प्रक्रिया में नीचे बताये गये चरणों का पालन करें जिनके ई-मेल आई.डी. पंजीकृत नहीं हैं।

**6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गये हैं :**

(ई) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगेट यूज़र डिटेल्स/पासवर्ड?" (यदि आप एन.एस.डी.एल. या सी.डी.एस.एल. के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) पर क्लिक करें।

(एफ) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प "फिजिकल यूज़र रीसेट पासवर्ड?" (यदि आप प्रत्यक्ष मोड में अंश धारण कर रहे हैं) उपलब्ध है।

(जी) यदि आप अभी भी दो विकल्पों में से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम एवं अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

(एच) सदस्य एन.एस.डी.एल. की ई-मतदान प्रणाली पर मतदान करने के लिये ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का उपयोग भी कर सकते हैं।

अपना पासवर्ड दर्ज करने के पश्चात, चेक बॉक्स पर "टर्म्स एण्ड कंडीशंस" पर सहमत हों, चयन करके टिक करें।

(आई) अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

(जे) "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के पश्चात, ई-मतदान का गृह पेज खुल जायेगा।

7. एन.एस.डी.एल. ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डालें।
   1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के पश्चात, आप ई-मतदान का गृह पेज देख पायेंगे। ई-वोटिंग) पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साईकल्स पर क्लिक करें।
   2. एक्टिव वोटिंग साईकल्स पर क्लिक करने के पश्चात, आप समस्त कम्पनियों को "EVEN" देख पायेंगे, जिसमें आप अंश धारित हैं एवं जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्थिति में है।
   3. कम्पनी के "EVEN" को चुनें, जिसके लिये आप अपना मद देना चाहते है।
   4. अब आप ई-मतदान के लिये तैयार हैं क्योकि मतदान पेज खुल गया है।
   5. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपने मत का चयन करें, यानी सहमति या असहमति, उन अंशों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें, जिनके लिये आप अपना वोट डालना चाहते हैं तथा "सबमिट" पर क्लिक करें एवं शीघ्र ही "कंफर्म" पर भी क्लिक करें।
   6. उपर्युक्त स्वीकृति के, "वोट फास्ट सक्सेसफूल्ली" का सन्देश दिखाई देगा।
   7. पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा दिये गए मत का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
   8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि करते हैं, तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

**अंशधारकों के लिये सामान्य दिशा-निर्देश**

1. यह प्रबलता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिये अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-मतदान वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जायेगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिये www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगेट यूज़र डिटेल्स/पासवर्ड?" या "फिजिकल यूज़र रीसेट पासवर्ड?" के द्वारा जाने की आवश्यकता है।
2. किसी भी पूछताछ की स्थिति में, आप अंशधारकों के लिये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) को उध्दृत कर सकते हैं एवं www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध अंशधारकों के लिये ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 पर बात कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर (एन.एस.डी.एल. के अधिकारी का नाम) के लिये अनुरोध भेजें।
3. उन अंशधारकों के लिये प्रक्रिया जिनके ई-मेल आई.डी. खरीदार उपयोगकर्त्ता आई.डी. एवं पासवर्ड तथा संकल्प के लिये ई-मतदान हेतु ई-मेल आई.डी. का पंजीकरण जैसा इस सूचना में प्रदर्शित है, जमाकर्त्ता के पास पंजीकृत नहीं हैं, उसके लिये पंजीकरण की कार्रवाई।
4. यदि प्रत्यक्ष प्रणाली में अंश रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, अंशधारक का नाम, अंश प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) (secretary@nepamills.nic.in) पर ई-मेल के द्वारा प्रदान करें।

ई.जी.एम./ए.जी.एम. के दिन ई-मतदान के लिये सदस्यों हेतु निर्देश निम्नानुसार है :-

1. ए.जी.एम. के दिन ई-मतदान प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसा कि दूरस्थ ई-मतदान के लिये उपर दर्शाया गया है।
2. केवल वे सदस्य/अंशधारक, जो ओ.ए.वी.एम. सुविधा के माध्यम से ए.जी.एम. में उपस्थित होंगे एवं दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मत नहीं दिया है तथा अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, ए.जी.एम. में ई-मतदान प्रणाली के द्वारा मत देने के लिये पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे ए.जी.एम. में भाग लेने के लिये पात्र होंगे। तथापि, वे ए.जी.एम. में मतदान के लिये पात्र होंगे।
4. ए.जी.एम. के दिन ई-मतदान के लिये सुविधाओं से संबंधित कोई भी शिकायत के लिये जिस व्यक्ति से संपर्क किया जावे, उसका विवरण वही है, जो दूरस्थ ई-मतदान के लिये दर्शाया गया है।

वी.सी./ओ.ए.वी.एम. द्वारा ए.जी.एम. में उपस्थिती हेतु सदस्यों के लिये निर्देश निम्नानुसार है :-

1. सदस्य को एन.एस.डी.एल. ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के द्वारा ए.जी.एम. में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जायेगी। सदस्य दूरस्थ ई-मतदान क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अंशधारक/सदस्य लॉगिन के तहत https://www.evoting.nsdl.com उक्त में प्रवेश कर सकते हैं। वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के लिये लिंक अंशधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहाँ कम्पनी का "EVEN" प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-मतदान के लिये उपयोगकर्त्ता आई.डी. एवं पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्त्ता आई.डी. एवं पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिये सूचना में उल्लिखित दूरस्थ ई-मतदान निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्य एन.एस.डी.एल. की ई-मतदान प्रणाली में प्रवेश के लिये ओ.टी.पी. आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिये लैपटॉप के माध्यम से सभा में सम्मिलित होने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिये कैमरा की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेटों से या लैपटॉप द्वारा या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिये किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त गड़बड़ी को कम करने के लिये स्थिर वाई-फाई या लैन संयोजन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
5. अंशधारक जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/उनके पास प्रश्न हैं, वे अपने प्रश्न को अग्रिम रूप से उल्लेखित कर उनके नाम, फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर secretary@nepamills.nic.in पर भेज सकते हैं। इसका उत्तर कम्पनी द्वारा उपयुक्त तरीके से दिया जायेगा।
6. जिन अंशधारकों ने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल सभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
7. यदि आपके पास लिंक के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप 9324659811 पर श्री मनीष शाह से संपर्क कर सकते हैं या support@purvashare.com पर ई-मेल लिख सकते हैं।

**अन्य निर्देश**

8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 107 के प्रावधानों के तारतम्य में, कम्पनी अंशधारकों को ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। वहाँ वार्षिक साधारण सभा में हाथ दिखाने के द्वारा कोई मतदान नहीं होगा।
9. अंशधारक मतदान के लिये दोनों माध्यमों दूरस्थ ई-मतदान एवं ई-मतदान में से केवल एक माध्यम को ही चुन सकते हैं। दोनों माध्यमों से किये गये मतदान में से दूरस्थ ई-मतदान को ही अंतिम रुप से विचाराधीन माना जायेगा।
10. ई-मतदान एवं प्रत्यक्ष मतदान के लिये सदस्यों के मताधिकार दिनांक 17.11.2023 को कम्पनी को भुगतान की गई साम्य अंश पूँजी के अंश के अनुरुप बैठक होंगे।
11. संकल्प के विषय में परिणाम दिनांक 26.11.2023 को कार्य के समय के पूर्व घोषित करने होंगे और कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी। संकल्प वार्षिक साधारण सभा की तिथि पर पारित होना माना जायेगा। बशर्ते संकल्पों के पक्ष में आवश्यक मतदान प्राप्त हुये हों।
12. वह व्यक्ति जिसका नाम कटऑफ दिनांक को सदस्य के पंजी में दर्ज है अथवा जमाकर्त्ता द्वारा लाभप्रद स्वामित्व के रजिस्टर में दर्ज है, वह दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा के साथ-साथ वार्षिक साधारण सभा में मतदान स्थल पर भी मतपत्र के माध्यम से मतदान का हकदार होगा।
13. जाँचकर्त्ता, वार्षिक साधारण सभा में मतदान की समाप्ति पर पहले बैठक में हुये मतदान की गणना करेंगे और उसके पश्चात दो गवाहों, जो कम्पनी के रोजगार में नहीं है, की उपस्थिति में दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने को निर्विरोध करेंगे और अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को लिखित में पक्ष अथवा विपक्ष में पड़े कूल मतों की समेकित जाँचकर्त्ताओं की रिपोर्ट वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर तैयार करेंगे जो उस पर प्रति हस्ताक्षर करते हुये तत्काल मतदान का परिणाम घोषित करेंगे।
14. परिणाम घोषित होने के पश्चात् अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा लिखित में किये गये अधिकृत व्यक्ति द्वारा जाँचकर्त्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित किये गये परिणाम, कम्पनी की वेबसाईट www.nepamills.co.in पर तुरंत डालेंगे।

## व्याख्यात्मक विवरण

**(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार मद क्र.4 सभा की सूचना में निहित है)**

**मद क्र.4**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148, जिसे कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षकों) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जावे, इसके लिये मण्डल द्वारा अनुमोदित लागत अंकेक्षकों के पारिश्रमिक की बाद में अंशधारकों द्वारा पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

अंकेक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28.08.2023 से प्रभावी परिपत्र संकल्प द्वारा चटर्जी गाज़ी एंड एसोसिएट्स, कोलकाता फर्मों के नामों को सभी करों, कर्तव्यों एवं अन्य समस्त खर्च सहित कुल रुपये 37000/- के पारिश्रमिक के लिये स्वीकृति दे दी है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लागत अंकेक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कम्पनी में कोई भी निदेशक, कम्पनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं उनके रिश्तेदारों के संबंध में, आर्थिक रूप से या अन्यथा, प्रस्तावों में कोई इच्छुक नहीं है।

निदेशक मण्डल अंशधारकों के अनुमोदन के लिये इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**
**हस्ता./-**
**(पूर्णिमा पाराशर)**
**कम्पनी सचिव**
**एम.क्र. ए36079**

**दिनांक : 16.10.2023**
**स्थान : नई दिल्ली**

| पंचवर्षीय आँकड़ें | | | | | (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **2022-2023** | **2021-2022** | **2020-2021** | **2019-2020** | **2018-2019** |
| **उत्पादन** | **6526** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| प्रचालन से राजस्व | 2717.17 | 2069.90 | 1736.63 | 1243.32 | 1187.67 |
| ब्याज एवं मूल्यह्रास के पूर्व लाभ | (4547.69) | (1513.20) | (1604.00) | (4135.75) | (4625.16) |
| ब्याज | 4867.48 | 4394.14 | 3703.08 | 2894.15 | 3131.49 |
| रोकड़ आधिक्य/(कमी) | (9415.17) | (5907.34) | (5307.09) | (7031.90) | (7756.65) |
| मूल्यह्रास | 1164.43 | 82.55 | 83.08 | 93.86 | 100.34 |
| **पूर्वावधि मदों के पूर्व शुध्द लाभ/(हानि)** | **(10135.97)** | **(5989.89)** | **(5390.17)** | **(7125.76)** | **(7856.99)** |
| साम्य अंश पूँजी | 61778.78 | 53937.78 | 53937.78 | 29537.78 | 52471.25 |
| ऋण (ब्याज छोड़कर) | | | | | |
| दीर्घावधि | 9258.80 | 11923.00 | 10157.00 | 4169.60 | 687.20 |
| अल्पावधि | 15421.20 | 12757.00 | 400.40 | 3427.54 | 2468.91 |
| शुध्द स्थायी परिसम्पतियाँ (प्रकियाधीन पूँजी को छोड़कर) | 38607.31 | 1426.88 | 1499.31 | 1575.41 | 1723.21 |
| चल परिसम्पतियाँ | 21253.78 | 29309.81 | 25206.43 | 26783.04 | 14714.34 |
| चल देयताएँ (ऋण पर अदेय ब्याज सहित) | 47233.93 | 40555.23 | 36196.41 | 41029.11 | 34227.97 |
| कार्यशील पूँजी | (25980.15) | (11245.42) | (10989.98) | (14246.07) | (19513.63) |
| निवेशित पूँजी | 12627.16 | (9818.54) | (9490.67) | (12670.66) | (17790.42) |
| शुध्द सम्पन्नता | (1608.08)** | 11971.56 | 10120.50 | (11889.28) | (9707.97) |
| विक्रय से अर्जन (शुध्द लाभ)(%) | (3.89) | (2.89) | (3.10) | (5.73) | 0 |
| **कर्मचारियों की संख्या** | **536*** | **431*** | **300** | **338** | **370** |

* संविदागत कर्मचारी सम्मिलित है।

** आवंटन के लिये लंबित अंश आवेदन राशि को छोडकर शुद्ध संपन्नता

| रोजगार लागत सारांश | | | | | | (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.** | **विवरण** | **2022-23** | **2021-22** | **2020-21** | **2019-20** | **2018-19** |
| (ए) | वेतन एवं मजदूरी **योग (ए)** | **1941.66** | **1539.59** | **1557.19** | **1529.99** | **2784.71** |
| (बी) | कर्मचारियों के हित | | | | | |
| | भविष्य निधि एवं अन्य | 230.26 | 186.19 | 192.88 | 199.43 | 304.67 |
| | उपादान | 461.64 | 79.80 | 707.98 | 614.16 | 591.19 |
| | नगरीय | 88.02 | 100.69 | 96.34 | 114.76 | 178.20 |
| | शिक्षा | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | चिकित्सा | 79.23 | 85.57 | 93.52 | 81.09 | 127.75 |
| | अवकाश यात्रा रियायत, सांस्कृतिक गतिविधियों सहित अन्य सुविधायें | 296.90 * | 66.01 | 48.11 | 51.76 | 55.96 |
| | **योग (बी)** | **1156.05** | **518.25** | **1138.83** | **1061.20** | **1257.77** |
| (सी) | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों का भुगतान और गत वर्ष के व्यय पूर्व वर्ष में नहीं दर्शाये गये | | | | | |
| | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) | 0.00 | 0.00 | 0 | 2658.31 | 896.31 |
| | उपादान | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.49 | 125.13 |
| | अवकाश नकदीकरण | 0.00 | 0.00 | 0 | 115.04 | 466.05 |
| | **योग (सी)** | **0.00** | **0.00** | **0** | **2773.84** | **1487.49** |
| | **योग (ए+बी+सी)** | **3097.71** | **2057.84** | **2696.02** | **5365.03** | **5529.97** |
| | कर्मचारियों की संख्या | 536 | 431 | 300 | 338 | 370 |
| | औसत वेतन,भृत्तियाँ इत्यादि प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये) | 362250 | 357213 | 519063 | 452660 | 752627 |
| | कर्मचारी सुविधा पर औसत लागत प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये) | 215681 | 120243 | 379610 | 313964 | 3399 |
| | औसत रोजगार लागत प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये) | 577931 | 477457 | 898673 | 766624 | 1495 |

* चालू वर्ष के अवकाश नकदीकरण व्यय सम्मिलित है।

## अंशधारियों को निदेशकों का प्रतिवेदन

**सेवा में,**
**अंशधारीगण,**
**नेपा लिमिटेड**

**देवियों और सज्जनों**

आपकी कम्पनी के निदेशकों को दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये अंकेक्षित वित्तीय विवरण, अंकेक्षकों का प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखों पर रिपोर्ट के साथ कम्पनी का 76वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

### 1. वित्तीय परिणाम एवं कम्पनी के मामलों की स्थिति

सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान, दोनों मशीनें आर.एम.डी.पी. के लिये हमारे विक्रेताओं को सौंपी गई। आपकी कम्पनी के गत वर्ष के लिये अनुरुपी आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय कार्य निष्पादन की मुख्य घटनायें निम्नानुसार है :-

**(रुपये लाख में)**

| विवरण | 2022-2023 | 2021-2022 |
|---|---|---|
| **आय** | | |
| अखबारी कागज का विक्रय | 803.31 | - |
| पेट्रोल/डीजल/स्नेहक का विक्रय | 1627.71 | 1234.14 |
| अन्य प्रचालन आय | 286.15 | 835.76 |
| कुल आय | **2717.17** | **2069.90** |
| **व्यय** | | |
| कच्चा माल | 2875.24 | - |
| उत्पादन व्यय | 2,446.58 | 630.37 |
| पेट्रोल/डीजल/स्नेहक का क्रय | 1607.73 | 1213.77 |
| निर्मित माल/स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन | (2559.35) | 5.53 |
| कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं हित लाभ | 3097.71 | 2230.55 |
| प्रशासन, नगर, सामाजिक उपरिव्यय तथा विक्रय एवं वितरण व्यय पर व्यय | 704.88 | 518.29 |
| **कुल व्यय** | **8172.79** | **4598.51** |
| **प्रचालन लाभ/(हानि)** | **(5455.62)** | **(2528.61)** |
| घटायें :ब्याज आय/(व्यय) - शुध्द | (4867.48) | (4394.14) |
| घटायें : मूल्यह्रास | (1164.43) | (82.55) |
| जोड़े : अन्य आय | 1351.55 | 1015.40 |
| **मूल्यह्रास एवं ब्याज के पश्चात लाभ/(हानि)** | **(10135.97)** | **(5989.89)** |
| असाधारण मदें (पूर्वावधि समायोजन) | 443.63 | - |
| **शुध्द लाभ/(हानि)** | **(10,579.60)** | **(5989.89)** |
| **संचित लाभ/(हानि)** | **(71041.25)** | **(60461.66)** |

### 2. उत्पादन एवं विक्रय

वर्ष 2022-23 के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन 6,526 मीट्रिक टन था। पुनरुध्दार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के पूर्ण होने तथा उदघाटन एक पश्चात सितम्बर 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। सभी संयंत्र परीक्षण एवं प्रवर्तन चरण में हैं। पैरामीटर में बार-बार बदलाव, स्टार्ट अप के दौरान खराबी, श्रमशक्ति एवं कच्चे माल तथा रसायन की कमी आदि के परिणामस्वरूप तकनीकी एवं व्यावसायिक कारणों से कई बार संयंत्र बंद हुआ है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल विक्रय 1,611 मीट्रिक टन था तथा शेष तैयार अखबारी कागज 4897.363 मीट्रिक टन है।

**3. प्रचालन**

नेपा ने आर.एम.डी.पी. को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है एवं संयंत्र का उदघाटन दिनांक 23.08.2022 को किया गया है। संयंत्र को कई तकनीकी मुद्दों के साथ प्रारम्भ किया गया है, जिन पर क्रमिक रूप से ध्यान दिया गया। पावर हाउस, दोनों पेपर मशीनें एवं डि-इंकिंग प्लांट धीरे-धीरे स्थिर हो गये तथा वर्ष के हर महीने उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, उत्पाद की गुणवत्ता में भी धीरे-धीरे सुधार हुआ एवं पूर्व निर्धारित कच्चे माल और रसायनों के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का निर्माण किया जाने लगा।

प्रारम्भ में नेपा को नवीन प्रारम्भ किये गये सबसे आधुनिक पावर हाउस, डि-इंकिंग प्लांट तथा डी.सी.एस. एवं क्यू.सी.एस. से सुसज्जित दोनों पेपर मशीनों और संयंत्र के पी.एल.सी. आधारित प्रणाली के संचालन के लिये प्रशिक्षित श्रमशक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा था। प्रबंधन ने खुले बाजार से कुशल लोगों को जोड़ने के अतिरिक्त स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करने में अत्यधिक सावधानी बरती।

**4. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो**

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया है।

**5. आरक्षित का हस्तांतरण**

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने किसी भी रिजर्व को कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है

**6. लाभांश**

हानि के कारण, आपके निदेशक दिनांक 31.03.2023 को समीक्षाधीन समाप्त वर्ष के लिये किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

**7. संकल्पना एवं लक्ष्य**

**संकल्पना**

भारतीय कागज उद्योग में विशेष योगदान एवं अग्रणी होना तथा कम्पनी को जीवनक्षम और स्व-प्रमाणित करने योग्य बनाना।

**लक्ष्य**

सर्वश्रेष्ठ उत्पाद, नवीनता एवं एकीकरण के माध्यम से ग्राहक आवश्यकता की संतुष्टि करना।

**8. पुनरुध्दार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.)**

कम्पनी वर्ष 1998 में बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित हुई। तथापि, कम्पनी की पुनरुध्दार योजना भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2012 को अनुमोदित की गई। बी.आई.एफ.आर. ने मार्च 2014 में पुनरुध्दार योजना को स्वीकृति प्रदान की। पुनरुध्दार योजना ने नए 300 टी.पी.डी. डि-इंकिंग प्लांट, दोनों पेपर मशीनों का नवीनीकरण, 12.27 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट का नवीनीकरण और विद्यमान 132 के.वी. सबस्टेशन के नवीकरण के लिये रुपये 285 करोड़ के पूँजी निवेश की परिकल्पना की। स्वीकृति में केन्द्र सरकार से साम्य उत्प्रेरण रुपये 157 करोड़ थे एवं संस्थागत ऋण के रूप में रुपये 128 करोड़ प्राप्त किये जायेंगे।

वर्ष 2010 में मूल टी.ई.एफ.आर. के एक हिस्से के रूप में लागत के अनुमान के पश्चात सरकारी स्वीकृति, बी.आई.एफ.आर. अनुमोदन और पर्यावरण मंजूरी में लगभग 6 वर्ष लग गए। परियोजना लागत, जो कि स्वीकृति पर रुपये 285 करोड़ थी, जो बढ़कर रुपये 434 करोड़ (ई.पी.सी.जी. लाभों का शुद्ध) हो गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से देरी, कार्य की वृध्दि एवं खुली निविदा के आधार पर वास्तविक मूल्य स्पष्टीकरण के अनुसार थी। साथ ही, वित्तीय संस्थान ऋण स्वीकृत करने से पीछे हट गये हैं।

इसलिये, दिसम्बर, 2017 में भारत सरकार को मंत्रिमंडलीय नोट के द्वारा लागत में वृध्दि के कारण रुपये 149 करोड़ के अतिरिक्त बजट एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण के रुप में रुपये 128 करोड़ के लिये एक निवेदन प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 03.10.2018 को भारत सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय नोट कुल रुपये 469.41 करोड़ के सहायता पैकेज के साथ स्वीकृत किया गया, जिसमें आर.एम.डी.पी. की संशोधित लागत रुपये 277 करोड़, वेतन सहायता एवं वैधानिक देय राशि के लिये रुपये 101.58 करोड़ तथा 400 कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु रुपये 90.83 करोड़ शामिल हैं।

डी.एच.आई. ने आर.एम.डी.पी. कार्य की निगरानी के लिये डी.एच.आई. से ए.एस. एवं एफ.ए. की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आर.एम.डी.पी. निगरानी समिति का गठन किया है। सेंट्रल पेपर एंड पल्प रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.पी.पी.आर.आई.), सहारनपुर, मेसर्स बी.एच.ई.एल., भोपाल तथा मेसर्स ब्रिज एंड रूफ (बी.&आर.), कोलकाता से सदस्यों वाली एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से साइट पर दौरा एवं परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी और सरकार को रिपोर्ट करेगी।

मई, 2017 से सितंबर, 2018 तक निधि की कमी के कारण लगभग 18 माह के अप्रत्याशित अंतराल से परियोजना प्रभावित हुई। मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के पश्चात, परियोजना को पुनः लामबंदी एवं वृद्धि के मुद्दो आदि का सामना करने पश्चात प्रारम्भ किया जा सकता था, जिसमें काफी समय लग सकता था। साथ ही, वर्ष 2021-22 में कोविड-19 लहरों के प्रसार ने लॉकडाउन, मूल श्रमिकों के प्रवास, ऑक्सीजन सिलेंडरों की तीव्र मांग, संकुचन सामाग्री आदि के कारण परियोजना की प्रगति को प्रभावित किया है।

मैसर्स पैपसेल ए.एस., चेक, पेपर मशीन नवीनीकरण कार्य के ठेकेदार अपने दिवालियेपन एवं नकदी प्रवाह के मुद्दे के कारण कार्य से दूर चले गये हैं, अंत में उन्हें परियोजना में पुनः सम्मिलित कर लिया गया है। कुछ छोटे कार्यों को छोडकर परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 23.08.2022 को संयंत्र का उदघाटन किया गया था। आर.एम.डी.पी. के पूर्ण होने पर, कम्पनी लेखन एवं मुद्रण कागज के साथ उच्च चमक के अखबारी कागज के 100000 टी.पी.ए. का निर्माण करने में सक्षम होगी एवं आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद करती है।

यह परियोजना आयातित विकल्पों के स्थान पर स्थानीय रूप से अखबारी कागज एवं अन्य श्रेणी का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिये एक उदाहरण होगी। कम्पनी प्रबंधन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रबंधन एवं पर्यावरण के मुद्दों के बारे में पूर्णरूपेण चिंतित है तथा व्यवसाय एवं सामाजिक ज़िम्मेदारी के हर क्षेत्र में सतत विकास कर रहा है। कम्पनी 100% क्षमता उपयोग हासिल करने का लक्षय बना रही है, इससे हमें रुपये 5000 लाख तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। बाजार की गतिशील मांगो को पूर्ण करने के लिये, नेपा अखबारी कागज या लेखन एवं मुद्रण तथा क्राफ्ट पेपर को रोल कर सकती है और मशीनें पहले से ही उसी के लिये डिजाइन की गई हैं। हमें अपने नियमित ग्राहकों से भारी प्रतिक्रिया प्रपट हुई है एवं साथ ही कई नये ग्राहक/एजेंट हमारे उत्पाद में काफी रुचि दिखा रहे हैं। यह कदम इलाकों में जागरूकता फैलाने एवं क्षेत्र में रहने वाली अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मिलित करने के लिये था। अधिकांश कच्चा माल अभी भी रद्दी कागज आपूर्ति चैनलों से ही प्राप्त किया जायेगा।

**9. पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण**

हाल ही में सम्पन्न हुये पुनरुध्दार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) कार्य में पर्यावरण की सुरक्षा के सभी उपाय किये गये हैं। कच्चे माल के रूप में पुराने अखबार एवं सफेद सामग्री (प्रयुक्त कार्यालय स्टेशनरी कागज) का उपयोग करके अच्छी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज एवं लेखन मुद्रण कागज का उत्पादन करने के लिये पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर विचार किया गया हैं। यह प्रक्रिया लागत प्रभावी हैं, अमिश्रीत क्लोरीन मुक्त हैं एवं कोई प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करती हैं। प्रक्रिया अनुकूलन के लिये कम से कम संभव रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। आर.एम.डी.पी. के तहत प्रदूषण उन्मूलन के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये तथा लागू किये गये :-

- फाइबर के साथ-साथ शून्य तरल निर्वहन को पुनर्प्राप्त करने के लिए पूर्ण विकसित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (स्लज प्रबंधन प्रणाली) को पूर्ण करने के लिये अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के लिये ईटी प्लांट (उपचार क्षमता 12,000 घन मीटर प्रतिदिन) प्रारम्भ है। स्लज प्रबंधन प्रणाली की स्थापित क्षमता 140 मीट्रिक टन क्षमता (50% नमी) एवं ईटी प्लांट (उपचार क्षमता 12,000 घन मीटर प्रतिदिन) के साथ है।
- पावर हाउस में वायुमंडल में प्रवाहित होने पहले गैसों (SO2, NOx CO, CO2 आदि) को नियंत्रित करने के लिये नये चार फील्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ई.एस.पी.) प्रचालित है।
- आस-पास के वायुमंडलीय वायु की स्वच्छता बनाये रखने के लिये वायुमंडल में उच्च ग्रिप गैसों के निर्वहन के लिये 80 मीटर ऊंचाई की नई चिमनी स्थापित की गई है।

- धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये कॉल हैंडलिंग संयंत्र में धूल दमन प्रणाली एवं पलायक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये ऐश हैंडलिंग संयंत्र के पास बैग फिल्टर प्रचालित है।
- सल्फर उत्सर्जन को रोकने के लिये पावर हाउस बॉयलर में चूना फीडिंग तंत्र भी उपलब्ध है।

**उपरोक्त के अतिरिक्त :**

ए. सतत ऑनलाइन बहिष्प्रवाही निगरानी प्रणाली (ओ.सी.ई.एम.एस.) एवं सतत ऑनलाइन स्टैक उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सी.एस.ई.एम.एस.) की सहायता के साथ सतत सी.पी.सी.बी./एम.पी.पी.सी.बी. क्लाउड के आधार पर ई.टी. प्लांट बहिष्प्रवाही मानदंड एवं पावर हाउस वायु प्रदूषण मानदंड को वास्तविक समय में निगरानी एवं प्रसारित किया गया।

बी. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दिशा-निर्देशों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट, निपटान अर्थात तेल का उपयोग प्रमाणित तेल प्रसंस्करण इकाई तथा कचरे के राल को एम.पी. अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, पिथमपुर, मध्यप्रदेश के द्वारा निपटाया गया है।

सी. स्वच्छ हरा-भरा एवं स्वास्थ्यवर्धक वातावरण को बनाये रखने के लिये पर्यावरण दिवस के दौरान नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।

**10. अनुसंधान एवं विकास तथा गुणवत्ता एवं तकनीकी**

हमारा गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र आर.एम.डी.पी. के दौरान नवीनीकृत तथा सबसे उन्नत डिजिटल परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित है। गुणवत्ता नियंत्रण टीम गुणवत्ता एवं विशिष्टताओं के संबंध में कच्चे माल, रसायनों तथा अन्य आने वाली सामाग्री के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर.एम.डी.पी. के पश्चात, मिल ने पुनर्चक्रित आधारित फाइबर से बेहतर गुणों के साथ उच्च चमक वाले अच्छी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का उत्पादन जारी रखा था। उत्पादित अखबारी कागज के वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिये, आने वाले कच्चे माल, उत्पादित लुगदी एवं निर्मित कागजों का सख्त निरीक्षण मानकों के विनिर्देश के संबंध में विभिन्न चरणों में किया जाता है। हमारे मूल्यवान ग्राहकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला उत्पाद भेजना सुनिश्चित करने के लिये गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अच्छी तरह प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा तैयार उत्पाद की चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है। ग्राहकों की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाता है।

नावथा उपचार संयंत्र में उपचार के पश्चात नेपानगर टाउनशिप में वितरित किये जाने वाले उपचारित पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये नेपा मिल प्रयोगशाला में पावर हाउस, उत्पादन में उपयोग के साथ-साथ घरेलू उपयोग के लिये भी प्रवाह एवं जल परीक्षण किया जाता है। जल उपचार के लिये रसायनों की मात्रा तय करने हेतु परीक्षण के लिये समय-समय पर नमूने लिये जाते हैं।

नेपा आर. & डी. केंद्र वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत है। आर. & डी. केन्द्र में प्रयोगों एवं परीक्षणों ने नेपा लिमिटेड को एक नई दृष्टि दी है। अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में प्रयोगों एवं परीक्षणों ने नेपा लिमिटेड को नये विचार तथा नये अवसरों की गुंजाइश दी है।

अनुसंधान एवं विकास विभाग प्रयोगशाला में वांछित ग्रेड एवं अखबारी कागज की गुणवत्ता का उत्पादन करने के लिये कच्चे माल के विभिन्न संयोजनों पर प्रयोग करता है एवं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये इसे उत्पादन संयंत्र में लागू किया जाता है।

हमारे नेपा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिये नेपा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में विभिन्न निर्माताओं से विभिन्न प्रकार के अन्य कागजों के नमूने एकत्र किये जा रहे हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है तथा उनका गहन अध्ययन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र संयंत्र में इसके प्रभावी उपयोग के लिये संयंत्रों में उत्पन्न स्लज फ्लाई ऐश पर परीक्षण करता है।

अब अच्छी गुणवत्ता वाले लेखन एवं मुद्रण कागज का उत्पादन करने के लिये अखबारी कागज से उत्पाद विविधीकरण पर कार्य चल रहा है, बहुत जल्द नेपा अच्छी गुणवत्ता वाले लेखन एवं मुद्रण कागज का निर्माण प्रारम्भ कर देगा।

**11. मानव संसाधन विकास**

कम्पनी ने आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हुये मानव संसाधन विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। यह विकास कर्मचारियों की मूल क्षमता को विकसित करेगा, जो उन्हें उत्तम एवं दक्ष दिशा एवं परिवर्तन के अनुकूल कार्य निष्पादन में समर्थ बनायेगा।

कोरोनो वायरस बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिये तैयारियों एवं प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिये, कम्पनी ने कोविड-19 पर निर्देश जारी किये है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये सभी पूर्वोपाय को अपनाने का सुझाव दिया गया, ताकि कोविड-19 की आशंका से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये हमारा कार्यबल तैयार रहे।

संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कर्मचारियों के विकास एवं उन्नति की आवश्यकताओं को कम्पनी की एच.आर.एम. नीतियों के संबंध में सकारात्मक असर बताया गया है। आर.एम.डी.पी. के पश्चात के परिदृश्य में, सभी गैर-मुख्य गतिविधियों को मंत्रिमंडलीय स्वीकृति एवं जुलाई 2016 की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की रिपोर्ट के अनुसार आउटसोर्स किया जायेगा। इससे कम्पनी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने, मानव संसाधन लागत में कमी एवं आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।

दिनांक 31.03.2023 को कम्पनी के कर्मचारियों की संख्या 230 (86 अधिकारी, 91 कर्मचारी एवं 53 अस्थाई श्रमिक समाविष्ट) है।

**12. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण उपाय**

पूर्व वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी कम्पनी लगातार सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रखने में सफल रही। मान्यता प्राप्त संघ एवं उसके प्रतिनिधियों के साथ लगातार अन्योन्य क्रिया के माध्यम से कम्पनी के भाग लेने वाली कार्य संस्कृति ने स्वस्थ औद्योगिक संबंध सुगम बनाया तथा परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान हड़ताल/तालाबंदी के खाते में एक भी दिन खराब नहीं हुआ।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को प्रदत्त विभिन्न कल्याण उपाय जारी रहे।

**13. प्रबंधन में कर्मचारी सहभागिता**

श्रमिक संबंधों में सुधार एवं विभागों की प्रचालन क्षमता हेतु विभिन्न शॉप-फ्लोर एवं स्टॉफ कल्याण समितियों का गठन किया गया। विभिन्न समितियों में मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ताकि कम्पनी के कार्य एवं सामाजिक वातावरण तथा अच्छी समझ-बुझ बनाने में सकारात्मक वृध्दि को सहायता मिल सके। कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर और बल दिया जा रहा है।

**14. कर्मचारियों का विवरण**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3), जिसे कम्पनी (कर्मचारियों के विवरण) संशोधन नियम, 2011 के साथ पढ़ा जाये, के अनुपालन में पूरे वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिये ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जिसने रुपये 60 लाख प्रति वर्ष या रुपये 5 लाख प्रति माह सामूहिक पारिश्रमिक प्राप्त किया है।

**15. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. इत्यादि सदस्यों की रोजगार की स्थिति**

दिनांक 31.03.2023 को अनुसूचित जाति (एस.सी.)/अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक विकलांग (पी.डब्ल्यू.डी.) के सदस्यों के रोजगार की स्थिति **अनुलग्नक I** में दर्शाई गई है।

**16. महिला कर्मचारियों की स्थिति**

कम्पनी में दिनांक 31.03.2023 को महिला कर्मचारियों का विवरण **अनुलग्नक II** में दर्शाया गया है।

**17. राजभाषा के उपयोग को प्रोत्साहन**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं उसके तहत बनी नियमावली के प्रावधानों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का सतत प्रयास किया है। कथित अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में दस्तावेज या तो राजभाषा हिन्दी में अथवा द्विभाषी जारी किये जा रहे हैं।

इसके भाग के रुप में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजभाषा मास एवं उच्च स्तरीय राजभाषा कार्यशाला तथा हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित समय-समय पर कार्यशाला आयोजित की गई। हिन्दी में प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा विजेताओं को उपयुक्त पुरुस्कार प्रदान किये गये। कम्पनी में दिनांक 14.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया।

हिन्दी के प्रयोग के प्रोत्साहन के लिये सरकारी विभागों, शालाओं और बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये नगर राजभाषा कार्यांवयन समिति की छमाही बैठक नियमित रुप से आयोजित की जा रही है।

विभिन्न विभागों में मल्टीयूज़र सॉफ्टवेअर मंगल एवं कृति देव यूनीकोड का प्रयोग किया जा रहा है। कम्पनी, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये श्रेष्ठ प्रयास कर रही है।

**18. यौन उत्पीड़न के निषेध के लिये नीति**

कम्पनी में रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के क्रम में यौन उत्पीड़न के निषेध के लिये नीति प्रचलित है। यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायतें सुनने हेतु एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई है। समस्त कर्मचारी (स्थायी, संविदागत, अस्थायी एवं प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत शामिल है।

**19. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत तीन त्वरित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी के औसत शुध्द लाभ का कम से कम 2% से समानांतर राशि सी.एस.आर. गतिविधियों पर कम्पनी द्वारा व्यय करने की आवश्यकता है। चूंकि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान से कम्पनी केवल हानि वहन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं थे।

तथापि, कम्पनी लंबे समय से नेपानगर के निवासियों एवं पड़ोसी समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें प्रदान कर रही है। कम्पनी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाये। कम्पनी नेपानगर टाउनशिप में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं खेल गतिविधियों के संचालन के लिये विभिन्न सामाजिक संगठनों को पूरा सहयोग देती है।

**20. सहायक/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम के वित्तीय निष्पादन/वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी।**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी की कोई सहयोगी, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कम्पनी नहीं थी।

**21. वार्षिक प्रतिवेदन का उध्दरण/वेब पता**

अधिनियम की धारा 92 (3) एवं इसके तहत बने नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन का उध्दरण निर्धारित प्रपत्र क्र. एम.जी.टी.-9 में दिया गया है, यह www.nepamills.co.in पर उपलब्ध है।

**22. जोखिम प्रबंधन नीति**

नेपा लिमिटेड के पास एक संरचित एवं व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिये मण्डल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिकृया, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिये एक सामान्य समझ, भाषा तथा कार्यप्रणाली स्थापित करना एवं प्रबंधन को आश्वासन देना है कि कम्पनी में प्रमुख जोखिमों की ठीक से पहचान की जा रही है एवं प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है।

**23. ऊर्जा संरक्षण**

ऊर्जा संरक्षण एवं अन्य लाभों के लिये नई तकनीकों को सम्मिलित करते हुये उत्पादन के लिये संयंत्र प्रारभ किया गया है। कोयले की बचत एवं वायुमंडल में सी.एच.जी. (Co2) के उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिये कैप्टिव पावर प्लांट के बॉयलर प्रणाली की समग्र दक्षता बढ़ाने के लिये पुराने ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर को ए.एफ.बी.सी. बॉयलर से बदल दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण के लिये वैक्यूम पंप एवं प्रोसेस पंप जैसे ऊर्जा गहन प्रक्रिया उपकरणों को नये बेहतर दक्षता वाले पंपों से बादल दिया गया है। प्रक्रिया दक्षता एवं नियंत्रण में सुधार के लिये संयंत्र प्रचालन में डी.सी.एस. एवं क्यू.सी.एस. प्रणाली को सम्मिलित किया गया है। बेहतर दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के लिये पारंपरिक प्रकार के प्रकाश जुड़नार को नये एल.ई.डी. प्रकाश जुड़नार से बदला जा रहा है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3), जिसे कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों की सूचना के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आत्मसातीकरण एवं विदेशी विनिमय आय तथा बाह्यगमन **अनुलग्नक III** पर संलग्न है।

**24. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197, जिसे कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबध्द कम्पनी को चाहिये कि निदेशक का प्रतिवेदन में निदेशकों आदि के पारिश्रमिक की पूर्ण जानकारी प्रसारित करें। तथापि, निगमित संबंधी सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के पालन से छूट प्राप्त है।

चूँकि नेपा लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है, इसलिये यथा वर्णित निदेशक के प्रतिवेदन के भाग के रुप में सम्मिलित नहीं है।

नेपा लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी होने के कारण मण्डल सदस्य की नियुक्ति भारत सरकार के नियंत्रण में है, इसलिये यथा वर्णित ऐसे विवरण निदेशक के प्रतिवेदन के भाग के रुप में सम्मिलित नहीं है।

**25. सतर्कता**

सतर्कता विभाग का नेतृत्व वर्तमान में मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं एवं प्रबंधक (सतर्कता) उनकी सहायता करते हैं। सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता पर अधिक बल देता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के निर्देशानुसार, "विकसित राष्ट्र के लिये भ्रष्टाचार मुक्त भारत" की विषय पर नेपा लिमिटेड में दिनांक 31.10.2022 से दिनांक 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वी.ए.डबल्यू.) मनाया गया। सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

सतर्कता विभाग मण्डल स्तर से नीचे के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को निपटाता है, सतर्कता मामलों के संबंध में सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिये सी.वी.सी., सी.बी.आई. एवं एम.एच.आई. के सी.वी.ओ. के साथ एक अंतराफलक के रूप में कार्य करता है। सहमत सूची एवं ओ.डी.आई. सूचियाँ तैयार की जाती हैं, सतर्कता स्वीकृति दी जाती है एवं त्रैमासिक प्रगति एवं निष्पादन रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को प्रस्तुत की जाती है।

**26. मण्डल की समिति**

अद्यतन मण्डल की समिति के संबंध में विवरण निगमित शासन प्रतिवेदन में **अनुलग्नक IV** पर संलग्न है।

**27. निगमित शासन**

निगमित शासन पर प्रतिवेदन **अनुलग्नक IV** पर संलग्न है।

(i) निगमित शासन पर डी.पी.ई. निर्देशानुसार निगमित शासन (सी.जी.) पर प्रारूप प्रमाण पत्र।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के तहत सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन।

स्वतंत्र निदेशकों ने मण्डल को अपने खुलासे प्रस्तुत किए हैं कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ताकि स्वयं को कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सके।

**28. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण**

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये वार्षिक लेखा की तैयारी हेतु निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायित्व एवं अनुपालन सुनिश्चित करते है तथा कथन करते है कि :-

i. वार्षिक खाते बनाते समय सैध्दांतिक बदलाव से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रभावी खतौनी मानकों का पूरा अनुपालन किया गया है;

ii. निदेशकों ने इन खतौनी सिध्दांतों का चुनाव किया था तथा इसे दृढता से लागू किया एवं निर्णय किया और अनुमान लगाया कि यह उचित एवं दूरदर्शी हैं जिससे कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों के संबंध में यथा अवधि लाभ एवं हानि के संबंध में सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार दें;

iii. निदेशकगणों ने कम्पनी की परिसम्पत्ति को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी को रोकने एवं उसका पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिये इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत खतौनी के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण के लिये आवश्यक एवं समुचित ध्यान रखा गया है;

iv. वार्षिक खातों को सतत व्यापार अवधारणा पर तैयार किया है;

v. कम्पनी के अनुपालन द्वारा निदेशकों के पास तैयार किया आंतरिक वित्तीय नियंत्रित हो और यथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सटीक एवं प्रभावी प्रचालन हो;

vi. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के पालन सुनिश्चित हेतु समुचित व्यवस्था की सोच निदेशकों के पास है तथा यथा व्यवस्थायें सटीक एवं प्रभावी प्रचालन है;

**29. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट**

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक V** पर है।

**30. अंकेक्षक**

मेसर्स फड़निस एण्ड गुप्ते, सनदी लेखापाल, इन्दौर को वर्ष 2022-23 के लिये पत्र क्रमांक सी.ए.वी./सी.ओ.वाय./केन्द्रीय सरकार, नेपा (1)/694 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया था।

**31. अंकेक्षक प्रतिवेदन**

अंकेक्षक के प्रतिवेदन में कोई योग्य टिप्पणी नहीं है एवं अंकेक्षक की टिप्पणी प्रकृति में स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसलिये मण्डल के प्रतिवेदन में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**32. अंकेक्षक प्रतिवेदन के अनुसार धोखाधड़ी का विवरण**

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। कम्पनी के अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भी समर्थन किया जा रहा है क्योंकि दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वितिय वर्ष के लिये उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

**33. संबंधित पार्टी लेन-देन**

वर्ष के दौरान, संबंधित पार्टियों के साथ कोई भी लेन-देन अधिनियम की धारा 188 (1) के दायरे में नहीं आता है। इसलिये, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रपत्र ए.ओ.सी.-2 कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

**34. सतर्कता तंत्र की स्थापना**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के लिये अपने निदेशकों और कर्मचारियों हेतु एक सतर्कता तंत्र स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

**35. आंतरिक अंकेक्षक**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के आंतरिक अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लिये मेसर्स मिलिंद नियति एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल नियुक्त किये गये थे।

**36. किसी भी नियामक प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल/न्यायालय द्वारा पारित आदेश**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति एवं कम्पनी संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी नियामक प्राधिकरण या न्यायालयों या ट्रिब्यूनल्स द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

**37. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204, जिसे कम्पनी (निदेशक की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षण करने हेतु आई.जी. एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है। सचिवीय अकेक्षक द्वारा दिये गये सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के निगमित शासन प्रतिवेदन में **अनुलग्नक IV** में संलग्न है।

सचिवीय अंकेक्षक की टिप्पणी प्रकृति में स्व-व्याख्यात्मक है।

**38. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली**

कम्पनी ने समुचित आंतरिक नियंत्रण परिमाण बनाया है। यह प्रबंधन आच्छादि समस्त समीक्षात्मक और आवश्यक गतिविधियों द्वारा प्रणाली और विभिन्न मैनुअलों के फार्म में हैं। ये मैनुअल और प्रणाली समय-समय पर अद्यतित होती हैं और इसका सख्ती से पालन किया जाता है, जो आंतरिक अंकेक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग विभिन्न नीतियों एवं प्रणालियों के अनुपालन में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावीयता तथा पर्याप्तता, समीक्षा एवं जाँच करता है। आंतरिक अंकेक्षण की कार्य प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता की समीक्षा मण्डल स्तर की अंकेक्षण समिति द्वारा की जाती है।

**39. सामग्री परिवर्तन और वचनबध्दता, यदि कोई, कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है**

कम्पनी में कोई सामग्री परिवर्तित नहीं है और वचनबध्दता कम्पनी के वित्तीय वर्ष के बंद होने के लिये निरंतर प्रकट हुई है, जिससे तुलन पत्र और प्रतिवेदन की तिथि से संबंधित, स्वीकृत योजना के अनुसार आर.एम.डी.पी. के क्रियांवयन के लिये, को छोड़कर कम्पनी की वास्तविक स्थिति को प्रभावित कर सकती है।

**40. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण**

वित्तीय विवरण के नोट में दिये गये ऋण, गारंटी और निवेश कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत अपना लिया गया है।

**41. जमा**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 एवं कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 की सीमा में कम्पनी ने लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

**42. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के खातों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये प्रबंधन के उत्तर के साथ हैं।

**43. मण्डल सभायें**

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल ने चार सभायें आयोजित की।

| क्रमांक | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| दिनांक | 27.06.2022 | 06.09.2022 | 21.11.2022 | 18.02.2023 |
| उपस्थित निदेशकों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 |

**44. अंकेक्षण समिति**

वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति ने चार सभायें आयोजित की।

| क्रमांक | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| दिनांक | 27.06.2022 | 06.09.2022 | 21.11.2022 | 18.02.2023 |
| उपस्थित निदेशकों की संख्या | 3 | 3 | 3 | 3 |

वर्ष के दौरान स्टैकहोल्डर संबंध समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

**45. निदेशक मण्डल एवं के.एम.पी. का गठन**

मण्डल का गठन इस प्रकार है :-

| क्र. | नाम | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती निधि छिब्बर | दिनांक 15.06.2021 से अंशकालीक कार्यालीन निदेशक |
| 2. | डॉ. रेणुका मिश्रा | दिनांक 29.06.2022 से अंशकालीक कार्यालीन निदेशक |
| 3. | कमोडोर सौरभ देब | दिनांक 01.01.2021 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | श्रीमती कमलावती सिंह | दिनांक 20.02.2020 से स्वतंत्र निदेशक |
| 5. | श्री पी.के. नाईक | दिनांक 02.05.2019 से निदेशक (वित्त) |
| 6. | श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | दिनांक 21.06.2021 से अंशकालीक कार्यालीन निदेशक दिनाक 16.09.2022 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई |
| 7. | श्री अतुल कुमार मिश्रा | दिनांक 03.03.2023 से अंशकालीक कार्यालीन निदेशक दिनाक 05.06.2023 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई |

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मण्डल में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये थे :-

1. श्रीमती निधि छिब्बर नेपा लिमिटेड में दिनांक 29.06.2022 को अंशकालिक कार्यालीन निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।
2. डॉ. रेणुका मिश्रा नेपा लिमिटेड में दिनांक 29.06.2022 से अंशकालिक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त की गई।
3. श्री पी.के. नाईक को दिनांक 02.05.2019 से निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें दिनांक 02.05.2022 से और एक वर्ष का विस्तार किया गया है।
4. श्रीमती कमलावती सिंह नेपा लिमिटेड में दिनांक 19.02.2023 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।
5. श्री वी.एन. बरोले दिनांक 31.12.2022 को मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुये।
6. श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन नेपा लिमिटेड में दिनांक 03.03.2023 को अंशकालीक कार्यालीन निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया, दिनाक 05.06.2023 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई।
7. श्री अतुल कुमार मिश्रा नेपा लिमिटेड में दिनांक 03.03.2023 से अंशकालीक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये एवं दिनाक 05.06.2023 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई।

**46. अखबारी कागज एवं लेखन मुद्रण कागज के विपणन की स्थिति**

भारतीय अखबारी कागज एवं लेखन मुद्रण कागज उद्योग का अवलोकन तथा नेपा के लिये भविष्य की संभावनायें

**भारतीय कागज एवं पल्प बाजार का मूल्य :-** वर्ष 2021 में 11.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था एवं पूर्वानुमान अवधि के दौरान 13.4% सी.ए.जे.आर. पर वर्ष 2029 तक 31.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की आशा है। चूंकि लॉक डाउन को विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों में अलग-अलग प्रकार से लागू किया गया था, इसलिए इसका प्रभाव भी क्षेत्रों एवं खण्डों के अनुसार अलग-अलग है।

भारत दुनिया का 15वां सबसे बड़ा कागज उत्पादक है। वर्ष 2021-2027 में कागज की प्रति व्यक्ति खपत में 10.6% की वृद्धि के साथ खपत के मामले में भारत सबसे तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में उभरा है। घरेलू बाजार/कागज की खपत 16 मिलियन टन प्रति वर्ष (टी.पी.ए.) से अधिक है, जिसमें 2 मिलियन टी.पी.ए. से अधिक का आयात किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 तक, आधारभूत परिदृश्य के तहत, घरेलू खपत 23.50 मिलियन टी.पी.ए. तक बढ़ने का अनुमान है। जबकि उद्योग ने क्षमताओं को बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण पूँजी निवेश किया है, निर्माण अवधि लंबी है एवं निवेश की आर्थिक व्यवहार्यता कच्चे माल तथा अन्य आदानों की उपलब्धता एवं लागत तथा बढ़े आयात से काफी प्रभावित होती है।

**अखबारी कागज खण्ड**

वर्ष 2022 में कुछ अप्रत्याशित वृद्धि को छोडकर अन्य पेपर खण्ड की तुलना में अखबारी कागजों में पिछले कुछ वर्षों में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई है। डिजिटल अनुप्रयोगों और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम प्लेटफार्मों के उदय के कारण दैनिक समाचार पत्रों में धीमी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता सामान्यतः राष्ट्रीय समाचारों को टी.वी. के माध्यम से राष्ट्रीय समाचारों पर नजर रखता है एवं संचार माध्यम के शहरी क्षेत्र तक पहुँचने की प्रवृत्ति, साक्षरता दर में वृद्धि के कारण भारत के ग्रामीण हिस्से में अखबारी कागज की खपत में वृद्धि देखी गई है। आंतरिक रूप से हाल के दिनों में स्थानीय भाषा, प्रारम्भिक संस्कारण में वृद्धि देखी जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बड़े पैमाने पर शहरीकरण एवं सकाल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ, अखबारी कागज की मांग में और अधिक वृद्धि होने की पूरी संभावना है।

**लेखन कागज खण्ड**

डब्ल्यू.पी.पी. खण्ड के 4% की दर से बढ़ने की संभावना है एवं इसकी गति जारी रहने की उम्मीद है। मुख्य खंड सेवा उद्योग, प्रकाशन गृह एवं शिक्षा क्षेत्र हैं, जो डब्ल्यू.पी.पी. के भारी उपयोगकर्ता हैं। एक बार अर्थव्यवस्था को कोविड-19 परिदृश्य में सामान्य गति पुनर्स्थापित करने के पश्चात इस खंड में भारी वृद्धि होने की संभावना है। इस क्षेत्र का लेखन एवं मुद्रण कागज में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष परस्पर संबंध है। शाला शिक्षा, फार्मास्युटिकल क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र पर केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बढ़ता फोकस एवं उच्चतर बजट आवंटन, उच्च शिक्षा के केंद्रों की संख्या में वृद्धि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एफ.एम.सी.जी. क्षेत्र में दोहरे अंकों में लगभग 27.9% वृद्धि एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2026 तक सी.ए.जी.आर. 27% बढ़ने की संभावना है।

**नेपा लिमिटेड के लिये भविष्य का दृष्टिकोण**

भारतीय कागज़ उद्योग में विकास संरचनात्मक आर्थिक कारकों जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, जनसांख्यिकी में संक्रमण, साक्षरता दर में सुधार, सरकार द्वारा शिक्षा पर अधिक व्यय तथा मुद्रण एवं संचार माध्यम उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि से जुड़ा हुआ है। घरेलू बाजार उद्योग में मुक्त पहुंच को देखते हुये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर उजागर हो गया है।

भारतीय कागज ने खपत स्वरूप एवं उपभोक्ता वरीयताओं में एक बदलाव देखा है। मध्यम आय वर्ग के आय स्तर में वृद्धि एवं उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि भी वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ व्यवसायी सम्बध्द ने अपनी प्राथमिकताओं के साथ उपभोक्ताओं की मानसिकता एवं व्यवहार को बदल दिया है। गुणवत्ता एवं लागत प्रभावी कागज की मांग तेज गति से बढ़ रही है। कोविड-19 के पश्चात बढ़ती स्वास्थ्य चेतना एवं उसके पश्चात पर्यावरण संबंधी चिंतायें स्वच्छता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले ऊतक, चेहरे की सुरक्षा के लिये निपटान योग्य लेकिन सस्ते मास्क तथा जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक के विकल्प के रूप में, आम जनता की स्वच्छता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये मांग को बढ़ायेगी।

नेपा लिमिटेड अपने अस्तित्व के एक मोड़ पर है एवं कोविड-19 के पश्चात अभ्यूत्थान में बदलाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उदघाटन के पश्चात, उत्पादन प्रारम्भ हो गया है एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी तथा आवश्यक कच्चे माल एवं धन के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के बावजूद नेपा द्वारा माध्यम उत्पादन स्तर प्राप्त किया गया है। अब तेजतर्रार, वर्तमान प्रबंधन एवं परियोजना नेतृत्व तथा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पूर्व से ही निभाई गई निर्णायक अग्रणी भूमिका के साथ पुनर्जीवित नेपा लिमिटेड तुलन पत्र को सकारात्मक बनाकर नई ऊंचाईयों पर पहुँचेगी।

सरकार ने बी.सी.डी. की छूट वापस ले ली है एवं वर्ष 2020 में आयातित अखबारी कागज पर 5% सीमा शुल्क की दर प्रस्तुत की है। सरकार ने सभी आयातकों उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र/मुक्त व्यापार एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिये पेपर आयात निगरानी प्रणाली (पी.आई.एम.एस.) में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इन उपायों से स्थानीय उद्योग को महामारी के पश्चात बाजार में सुधार के इस महत्वपूर्ण समय को जीवित रहने एवं पार करने में सहायता मिलेगी। कम्पनी प्रबंधन ने आपूर्तिकर्त्ता, ठेकेदार, फैब्रिकेटर, कार्यबल आदि से संबंधित किसी भी जटिल मुद्दे को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

कम्पनी को वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में लेखन एवं मुद्रण क्षेत्र में विविधता लाने की उम्मीद है। चूंकि लेखन एवं मुद्रण पेपर की लाभप्रदता अखबारी बाजार की तुलना में अधिक है, इसलिये कम्पनी को हानी की भरपाई करने तथा एक नया बाजार आधार प्राप्त करने की संभावना है। मुद्रण हाउसों एवं पाठ्यपुस्तक निर्माताओं के साथ गठजोड़ पहले ही प्रारम्भ हो चुका है।

आर.एम.डी.पी. के पूर्ण होने पर कम्पनी बाजार की मांग एवं लाभप्रदता समीकरण के आधार पर 100000 एम.टी. प्रतिवर्ष, लेखन एवं मुद्रण तथा अखबारी कागज का उत्पादन करेगी। कार्डों पर निविष्ट कच्चे माल, रसायनों और वायर-फेब्रिक्स आदि की प्राप्ति के लिये रोडमैप है। हम इसके शानदार बदलाव के प्रति आशान्वित हैं।

**47. लागत अभिलेखों का अनुरक्षण**

विनिर्दिष्ट खाते निर्मित एवं अनुरक्षित किये गये हैं।

**48. मण्डल के निष्पादन का मूल्यांकन**

निगमित संबंधी सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (पी) के प्रावधानों के पालन से छूट प्राप्त है।

चूँकि नेपा लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है, इसलिये यथा वर्णित निदेशक के प्रतिवेदन के भाग के रुप में सम्मिलित नहीं है।

**49. कोविड-19 के प्रभाव**

महामारी के रूप में कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप एक महत्वपूर्ण बाधा एवं वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मंदी का कारण बना। कम्पनी ने अपनी उपलब्ध परिसम्पत्तियों, निवेश, व्यवसाय प्राप्य एवं मालसूचियों की वहन मात्रा का आकलन करने में इस के प्रभाव को अधिकतम सीमा तक मान्य किया। स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक महामारी का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के प्रभाव का आकलन एक लगातार प्रक्रिया है, जो इसकी प्रकृति एवं कालावधि के साथ अनिश्चितता में सहयोग प्रदान करता है।

**50. पूँजी संरचना**

कम्पनी की अधिकृत एवं चुकता पूँजी क्रमशः रुपये 800 करोड़ तथा रुपये 694.32 करोड़ है। वर्ष के दौरान, आर.एम.डी.पी. के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त धनराशी के विरुद्ध आवंटित साम्य अंश पूँजी रुपये 78.41 करोड़ का कार्य किया गया।

**51. आभार**

भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सतत सहायता के लिये मण्डल हृदय से आभार व्यक्त करता है। पी.एस.यू. के पूरे स्पेक्ट्रम में से, आपकी कम्पनी एकमात्र है जिसे पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया गया है। निदेशक मण्डल इस समर्थन के लिये आभारी है। निदेशकगण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वैधानिक अंकेक्षकों एवं सचिवीय अंकेक्षकों को भी उनके मूल्यवान सुझावों और मार्गदर्शन के लिये आभार व्यक्त करते है। निदेशकगण ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, आर.एम.डी.पी. ठेकेदारों एवं बैंकर्स का भी उनके द्वारा प्रदत्त लगातार संरक्षण एवं सहायता के लिये आभार ज्ञापित करते हैं। मण्डल अपने अंशधारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से आज तक कोई लाभ न मिलने के बावजूद अपना धैर्य बनाये रखा। उनकी सहायता ने कम्पनी को अपने कठिनाई भरे वर्षों में अपरिमित शक्ति प्रदान की।

निदेशक मण्डल कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर कम्पनी के प्रचालन के सुगम संचालन और आधुनिकीकरण परियोजना के लिये उनके गम्भीर प्रयासों और योगदानों के लिये सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों की सराहना करता है जो कम्पनी के आधुनिकीकरण परियोजना में योगदान दे रही हैं।

**निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लिये**
**हस्ता./-**
**(कमोडोर सौरभ देब) (सेवानिवृत्त)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
**डी.आई.एन.09068496**

**दिनांक : 16.10.2023**
**स्थान : नई दिल्ली**

## निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

**दिनांक 31.03.2023 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों/अ.पि.व. इत्यादि के संबंध में रोजगार की स्थिति**

**1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व**

| समूह | कुल कर्मचारियों की संख्या | अनुसूचितजाति की संख्या | % | अनुसूचित जनजाति की संख्या | % | अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए. | 46 | 3 | 6.52 | 0 | 0.00 | 12 | 26.08 |
| बी. | 126 | 9 | 7.14 | 4 | 3.17 | 19 | 15.07 |
| सी. | - | - | - | - | - | - | - |
| डी. | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - |

**2. भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व**

| समूह | कुल कर्मचारियों की संख्या | विकलांग भूतपूर्व सैनिक | % | युध्द में मारे गये भूतपूर्व सैनिक के आश्रित | % | अन्य भूतपूर्व सैनिक | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए. | 46 | - | - | - | - | 1 | 2.17 |
| बी. | 126 | - | - | - | - | - | - |
| सी. | - | - | - | - | - | - | - |
| डी. | 5 | - | - | - | - | - | - |

**3. शारीरिक विकलांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) का प्रतिनिधित्व**

| समूह | कुल कर्मचारियों की संख्या | शारीरिक विकलांग की संख्या | शारीरिक विकलांगों की श्रेणी |
|---|---|---|---|
| ए. | 46 | 0 | - |
| बी. | 126 | 0 | - |
| सी. एवं डी. | 5 | 0 | - |

## निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

## दिनांक 31.03.2023 को महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

| | वेतनमान (रुपये) | कर्मचारियों की संख्या | महिला कर्मचारियों की संख्या | % |
|---|---|---|---|---|
| ए. | अधिकारी | | | |
| | 22500-27300 | 1 | 0 | 0 |
| | 20500-25000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18500-23900 | 2 | 0 | 0 |
| | 17500-22300 | 1 | 0 | 0 |
| | 16000-20800 | 3 | 0 | 0 |
| | 14500-18700 | 14 | 1 | 7.14 |
| | 13000-18250 | 12 | 0 | 0 |
| | 10750-16750 | 12 | 0 | 0 |
| | 8600-14600 | 1 | 0 | 0 |
| | 6550-11350 | 18 | 2 | 11.11 |
| **योग "ए"** | | **64** | **3** | **4.68** |
| बी. | नॉन-यूनियनाइज़्ड सुपरवाइज़र्स | | | |
| | 6000-9040 | 22 | 4 | 18.18 |
| **योग "बी"** | | **22** | **4** | **18.18** |
| सी. | कर्मचारी | | | |
| | 5900-8845 | 15 | 0 | 0 |
| | 5800-8760 | 32 | 1 | 3.13 |
| | 5650-8680 | 44 | 2 | 4.55 |
| | 5350-8350 | 0 | 0 | 0 |
| | 5250-8060 | 0 | 0 | 0 |
| | 4850-7600 | 0 | 0 | 0 |
| | 4650-7200 | 0 | 0 | 0 |
| | 4450-6800 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300-6450 | 0 | 0 | 0 |
| | 4200-6150 | 0 | 0 | 0 |
| **योग "सी"** | | **91** | **3** | **3.30** |
| **कुल योग (ए+बी+सी)** | | **177** | **10** | **5.65** |

## अनुलग्नक-III

### प्रपत्र "ए"

(ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में विवरणों के खुलासे के लिये प्रपत्र)

| क्र. | विवरण | इकाई | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| I | **अखबारी कागज** | | | |
| | **विद्युत और ईंधन का उपभोग** | | | |
| 1. | विद्युत | | | |
| | (ए) क्रय की गई इकाई (म.प्र.वि.म. ग्रिड) | के.डब्ल्यू.एच. | **8657250** | 4862350 |
| | कुल राशि | रुपये लाख | **953.16** | 537.28 |
| | लागत/इकाई | रुपये | **11.01** | 11.05 |
| | (बी) निजी उत्पादन इकाई | | | |
| | (i) पावर हाउस | के.डब्ल्यू.एच. | **11765400** | 3600 |
| | (ii) डी.जी. सेट | के.डब्ल्यू.एच. | **350** | 1430 |
| | (सी) कुल इकाई (ए + बी) | | **20423000** | 4909330 |
| 2. | पावर हाउस में प्रयुक्त कोयला | | | |
| | मात्रा | मी.टन | **19573.87** | 1204 |
| | कुल लागत | रुपये लाख | **58.78** | 58.78 |
| | औसत दर | रुपये/मी.टन | **4882** | 4882 |
| 3. | ईंधन तेल : डीजल | | | |
| | मात्रा | कि.ली. | **1.65** | 1.05 |
| | कुल राशि | रुपये लाख | **99750** | 99750 |
| | औसत दर | रुपये/कि.ली. | **95000** | 95000 |
| 4. | अन्य/आंतरिक उत्पादन | | **निरंक** | निरंक |
| | **उत्पादन की प्रति इकाई खपत** | | | |
| | अखबारी कागज उत्पादन | मी.टन | **6526** | निरंक |
| | बिजली (क्रय) | के.डब्ल्यू.एच./टन | **1326.57** | निरंक |
| | बिजली (निजी उत्पादन) | के.डब्ल्यू.एच./टन | **1802.85** | निरंक |
| | कागज को कोयला प्रति टन | (किलोग्राम/टन) | **3.126** | निरंक |
| | ईंधन तेल | (लीटर/टन) | | निरंक |

(प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण के संदर्भ में विवरणों के खुलासे के लिये प्रपत्र)

**(ए) भविष्य में अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.) गतिविधियाँ**

| | | |
|---|---|---|
| | 1. विशिष्ठ क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान व विकास किये गये। | (ए) कम से कम रसायनों के साथ अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना एवं विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार के लिये वर्ष के दौरान खरीदे गये आधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग करना। |
| | 2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरुप प्राप्त लाभ। | (ए) लागत दक्षता, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए रिसाइकिल आधारित कच्चे माल का उपयोग।<br>(बी) सोडियम हाइड्रो सल्फाइट एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर मौलिक क्लोरीन मुक्त विरंजन। |
| | 3. भावी कार्य योजना | (ए) तैयार कागज उत्पादों (लेखन एवं मुद्रण तथा अखबारी कागज) के वांछित गुणों को प्राप्त करने एवं उत्पादों की सर्वोत्तम गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिये, उन्नत एवं नये स्थापित डि-इंकिंग प्लांट एवं पुनर्निर्मित पेपर मशीन में रसायनों के प्रभावी तथा आर्थिक उपयोग के लिये कच्चे माल और रसायनों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण।<br>(बी) प्रति टन कागज पर पानी की खपत को कम करना एवं उद्योग मानक के अनुसार ई.टी. प्लांट में शून्य तरल निर्वहन अवधारणा को पूर्ण करने में सहायता करना। |
| | 4. अनुसंधान व विकास का व्यय | (ए) पूँजी - 32.00 लाख<br>(बी) आवर्ती - निरंक<br>(सी) कुल - 32.00 लाख |
| (बी) | प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, अनुकुलन एवं नवीनीकरण | संयंत्र ने वांछित चमक एवं अन्य मापदण्डों के साथ बेहतर गुणवत्ता के अखबारी कागज का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। आने वाले दिनों में नेपा बाजार की आवश्यकता के अनुसार लेखन एवं मुद्रण ग्रेड कागज का उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। |
| (सी) | विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन | निर्यात संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने संबंधी की जाने वाली पहल, उत्पाद तथा सेवा कार्य और निर्यात योजना के लिये नये निर्यात बाजारों का विकास<br>(ए) कम्पनी ने भारत सरकार के ई.पी.सी.जी. (एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स) योजना के तहत संयंत्र और मशीनरी का आयात किया है, जिन्होंने छह गुना निर्यात दायित्व के विरुध्द रुपये 26 करोड़ के ई.पी.सी.जी. अनुज्ञा पर ऋणी की है।<br>निर्यात दायित्व के अनुपालन में, अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज दोनों में निर्यात बाजार की मांग को पूर्ण करने के लिये गुणवत्ता में और वृद्धि के पश्चात तैयार कागज का निर्यात किया जाएगा। |
| (डी) | कुल विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन | (i) अर्जन - निरंक (गत वर्ष रुपये निरंक)<br>(ii) उपयोग (ओ.आई.एन. की अधिप्राप्ति) - निरंक |

**निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लिये**

**हस्ता./-**
**(कमोडोर सौरभ देब) (सेवानिवृत्त)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
**डी.आई.एन. : 09068496**

**हस्ता./-**
**(प्रदीप कुमार नाईक)**
**निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)**
**डी.आई.एन. : 08676709**

**दिनांक : 16.10.2023**
**स्थान : नई दिल्ली**

**अनुलग्नक-IV**

**निगमित शासन**

निगमित शासन कम्पनी को इस प्रकार से शासित करने के लिये प्रणाली अथवा उपायों को अंतर्निहित करता है, ताकि, निदेशक मण्डल की अंशधारियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रति अधिक जवाबदारी सुनिश्चित हो सके। यह निदेशक मण्डल, अंशधारियों के प्रति संस्थापित निदेशकों की जवाबदेही पूँजी निवेशकों तथा पक्षधर समूहों के लिये मार्गदर्शिका को और अधिक प्रभावी बनाने की शुरुआत एवं कार्य निष्पादन की नवीन गुणवत्ता, मण्डल एवं अधिशाषी अधिकारी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध बनाने की भूमिका को परिभाषित करता है। आपकी कम्पनी निगमित शासन की सर्वोत्तम वैश्विक प्रणाली को अपनाने के लिये वचनबध्द है। कम्पनी के कार्यों में स्पष्ट की गई निगमित शासन की अपने सम्पूर्ण अंशधारियों के मूल्य और हितों को प्राप्त करने की है।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिये सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा लागू की गई निगमित शासन की निर्देशिका को विकसित एवं अपना लिया है। मण्डल ने यह सुनिश्चित किया है कि कम्पनी के पास आवश्यक नियामक साधन हो ताकि वित्तीय स्थिति, कार्य निष्पादन, स्वामित्व एवं कम्पनी की शासन से संबंधित सूचनायें समय एवं यथार्थता के साथ प्रकट की जा सके।

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिये निगमित शासन पर आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार निगमित शासन पर प्रतिवेदन नीचे दिया गया है :-

**1. कम्पनी की दार्शनिक प्रणाली**

निगमित शासन पर नेपा लिमिटेड की दार्शनिक प्रणाली, इसके समस्त संचालन में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं सुनीति के उच्चतम स्तर प्राप्त करने का प्रयास है। कम्पनी को विश्वास है कि अनुकूल निगमित शासन दीर्घावधि निगमित लक्ष्य और ग्राहकों का प्रति मूल्य पाने के लिये आवश्यक है। कम्पनी का व्यावसायिक लक्ष्य उत्पादन एवं इसके उत्पाद का विपणन इस प्रकार करना है ताकि प्रभावोत्पादकता का सृजन हो जिससे अंशधारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार एवं ऋणदाता सहित स्टेकहोल्डरों पर दीर्घावधि प्रभाव कायम रखा जा सके।

**2. निदेशक मण्डल**

**(i) निदेशकों का संयोजन एवं संवर्ग**

**मण्डल का आकार**

नेपा लिमिटेड धारा 2 (45) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सरकारी कम्पनी है। कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। तदनुसार, नेपा लिमिटेड के समस्त निदेशकगण भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

कम्पनी के अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होंगी।

3. **मण्डल का संयोजन**

दिनांक 31.03.2023 को नेपा लिमिटेड के निदेशक मण्डल में 4 निदेशक सम्मिलित हैं, उनमें से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित 2 पूर्णकालिक निदेशक हैं, एक पूर्णकालिक निदेशक-निदेशक (वित्त) एवं दो (2) सरकार द्वारा नामित निदेशक (एक भारत सरकार द्वारा नामित एवं दूसरे मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित) है।

**मण्डल की बैठकें**

वर्ष 2022-23 के दौरान, मण्डल ने 4, दिनांक 27.06.2022, 06.09.2022, 21.11.2022 एवं 18.02.2023 को बैठकें आयोजित की।

वर्ष 2022-23 के लिये निदेशक मंडल की बैठक एवं वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

| निदेशकगणों का नाम | श्रेणी | मण्डल बैठक आयोजित | मण्डल की बैठक में सहभागिता का अधिकार | मण्डल बैठक में सहभागिता | पिछले ए.जी.एम. में उपस्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| कमोडोर सौरभ देब | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | 4 | 4 | 4 | हाँ |
| * श्रीमती निधि छिब्बर | अंशकालिक कार्यालीन निदेशक | 4 | 1 | 0 | लागू नहीं |
| * डॉ. रेणुका मिश्रा | अंशकालिक कार्यालीन निदेशक | 4 | 3 | 3 | हाँ |
| * श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | अंशकालिक कार्यालीन निदेशक | 4 | 4 | 1 | नहीं |
| * श्रीमती कमलावती सिंह | स्वतंत्र निदेशक | 4 | 4 | 4 | हाँ |
| * श्री पी.के. नाईक | निदेशक (वित्त) | 4 | 4 | 4 | हाँ |
| * श्री अतुल कुमार मिश्रा | अंशकालिक कार्यालीन निदेशक | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं |

अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में उनके निदेशक एवं अध्यक्ष/मण्डल समितियों की सदस्यता का विवरण, जिसमें वे दिनांक 31.03.2023 को निदेशक हैं, स्थिति दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | निदेशकगणों का नाम | अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में निदेशकत्व | समिति के पदों पर कायम | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कमोडोर सौरभ देब | निरंक | - | - |
| 2. | * श्रीमती निधि छिब्बर | 1. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (सी.सी.आई.)<br>2. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स & इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आर.ई.आई.एल.)<br>3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड | - | - |
| 3. | * डॉ. रेणुका मिश्रा | 1. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (सी.सी.आई.)<br>2. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स & इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आर.ई.आई.एल.)<br>3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड | - | - |
| 4. | * श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड | - | - |
| 5. | * श्री अतुल कुमार मिश्रा | मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड | - | - |
| 6. | * श्रीमती कमलावती सिंह | निरंक | - | - |
| 7. | * श्री पी.के. नाईक | वर्तमान में ए.जी.एम. (वित्त) बी.एच.ई.एल., भोपाल के रूप में पदनामित | - | - |

* श्रीमती निधि छिब्बर नेपा लिमिटेड में दिनांक 29.06.2022 को अंशकालिक कार्यालीन निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।
* डॉ. रेणुका मिश्रा नेपा लिमिटेड में दिनांक 29.06.2022 से अंशकालिक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त की गई।
* श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन नेपा लिमिटेड में दिनांक 03.03.2023 को अंशकालीक कार्यालीन निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया, दिनाक 05.06.2023 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई।
* श्री अतुल कुमार मिश्रा नेपा लिमिटेड में दिनांक 03.03.2023 से अंशकालीक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये एवं दिनाक 05.06.2023 को भारत सरकार से पुष्टि प्राप्त हुई।
* श्रीमती कमलावती सिंह नेपा लिमिटेड में दिनांक 19.02.2023 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।
* श्री पी.के. नाईक को दिनांक 02.05.2019 से निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें दिनांक 02.05.2023 से और एक वर्ष का विस्तार किया गया है।

## 4. निदेशक मण्डल की समितियाँ

मण्डल ने मण्डल की निम्नलिखित समिति का गठन किया है :-

1. अंकेक्षण समिति
2. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

**अंकेक्षण समिति संयोजन**

परिच्छेद 292ए के अनुसरण में, कम्पनी ने दिनांक 18.08.2003 से अपने निदेशक मण्डल में से अंकेक्षण समिति का गठन किया है। अंकेक्षण समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है, ताकि निगमित शासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों को सम्मिलित किया जा सके। अंकेक्षण समिति कम्पनी के लेखा, अंकेक्षण एवं प्रतिवेदित व्यवहारों की गुणवत्ता तथा प्रामाणिकता की निगरानी के लिये और वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के साथ इनके अनुपालन के लिये मण्डल की जवाबदारी में सहायता करती है। समिति का उद्देश्य कम्पनी की लेखा एवं वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रक्रिया, कम्पनी के अंकेक्षण, वित्तीय विवरणों, स्वतंत्रता, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन एवं पारिश्रमिक, आंतरिक अंकेक्षकों का कार्यनिष्पादन, कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों इत्यादि की देखरेख करना है।

अंकेक्षण समिति की संरचना एवं सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या निम्नानुसार है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती कमलावती सिंह | अध्यक्ष (दिनांक 23.03.2022) |
| 2. | श्रीमती निधि छिब्बर | सदस्य (दिनांक 08.09.2021 से दिनांक 29.06.2022 तक) |
| 3. | डॉ. रेणुका मिश्रा | सदस्य (दिनांक 06.09.2022 से) |
| 4. | श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | सदस्य (दिनांक 08.09.2021 से दिनांक 06.09.2022 तक) |
| 5. | श्री पी.के. नाईक | सदस्य (दिनांक 25.09.2020 से) |

वर्ष 2022-23 के दौरान, मण्डल ने 4, दिनांक 27.06.2022, 06.09.2022, 21.11.2022 एवं 18.02.2023 को बैठकें आयोजित की। सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैं :-

| निदेशक का नाम | श्रेणी | आयोजित बैठकों की संख्या | बैठक में सहभागिता का अधिकार | बैठकों में भागीदारी की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| श्रीमती कमलावती सिंह | स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) | 4 | 4 | 4 |
| श्रीमती निधि छिब्बर | नामित निदेशक (सदस्य) | 4 | 1 | 0 |
| डॉ. रेणुका मिश्रा | नामित निदेशक (सदस्य) | 4 | 3 | 3 |
| श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | नामित निदेशक (सदस्य) | 4 | 4 | 1 |
| श्री पी.के. नाईक | निदेशक (वित्त) (सदस्य) | 4 | 4 | 4 |

**स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति**

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति अंशों के हस्तांतरण एवं पंजीयन के संबंध में अंश हस्तांतरण/पारगमन, अवास्तविक अंश प्रमाण पत्रों के निर्गमन, विभाजन एवं समेकन अनुरोध तथा अन्य मामलों के अनुमोदन का व्यवहार करती है।

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति का संयोजन निम्नानुसार है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती कमलावती सिंह | अध्यक्ष (दिनांक 23.03.2022 से) |
| 2. | डॉ. रेणुका मिश्रा | सदस्य (दिनांक 06.09.2022 से) |
| 3. | कमोडोर सौरभ देब | सदस्य (दिनांक 08.09.2021 से) |
| 4. | श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | सदस्य (दिनांक 08.09.2021 से दिनांक 06.09.2022) |

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

**नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति**

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जिसमें कम्पनी के गैर-अधिशासी निदेशकगण सम्मिलित है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती कमलावती सिंह | अध्यक्ष (दिनांक 23.03.2022 से) |
| 2. | श्रीमती निधि छिब्बर | सदस्य (दिनांक 08.09.2021 से दिनांक 29.06.2022) |
| 3. | डॉ. रेणुका मिश्रा | सदस्य (दिनांक 06.09.2022 से) |
| 4. | श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | सदस्य (दिनांक 08.09.2021 से दिनांक 06.09.2022) |
| 5. | श्री पी.के. नाईक | सदस्य (दिनांक 08.09.2021 से) |

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दो बैठकें दिनांक 21.11.2022 एवं 18.02.2023 को आयोजित की गई है। सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैं :-

| निदेशक का नाम | श्रेणी | आयोजित बैठकों की संख्या | बैठक में सहभागिता का अधिकार | बैठकों में भागीदारी की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| श्रीमती कमलावती सिंह | स्वतंत्र निदेशक (सदस्य एवं अध्यक्ष) | 2 | 2 | 2 |
| श्रीमती निधि छिब्बर | नामित निदेशक (सदस्य) | 2 | 0 | 0 |
| डॉ. रेणुका मिश्रा | नामित निदेशक (सदस्य) | 2 | 2 | 2 |
| श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | नामित निदेशक (सदस्य) | 2 | 2 | 0 |
| श्री पी.के. नाईक | निदेशक (वित्त) (सदस्य) | 2 | 2 | 2 |

**साधारण सभा**

| वर्ष | दिनांक | समय | अवस्थिति | विशेष संकल्प पारित |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 30.12.2020 | अपराह्न 4.00 बजे | नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450 221 (म.प्र.) | हाँ |
| 2020-21 | 30.12.2021 तक बढ़ाई गई सभा का आयोजन 14.03.2022 में किया गया | अपराह्न 4.00 बजे | नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450 221 (म.प्र.) | नहीं |
| 2021-22 | 21.12.2022 | अपराह्न 4.00 बजे | नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450 221 (म.प्र.) | हाँ |

**पिछले तीन वर्षों में वार्षिक साधारण सभा में पारित विशेष संकल्प का विवरण**

| वर्ष | दिनांक एवं समय | अवस्थिति | विशेष संकल्प पारित |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 30.12.2020 अपराह्न 4.00 बजे | नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450 221 (म.प्र.) | 1. नये खण्ड को प्रतिस्थापित करके कम्पनी के संघ के ज्ञापन के अनुच्छेद 4 को हटाना<br>2. नये खण्ड को प्रतिस्थापित करके कम्पनी के संघ के ज्ञापन के अनुच्छेद V को हटाना |
| 2020-21 | 30.12.2021, अपराह्न 4.00 बजे तक बढ़ाई गई सभा का आयोजन 14.03.2022, अपराह्न 4.00 बजे किया गया | नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450 221 (म.प्र.) | लागू नहीं |
| 2021-22 | 21.12.2022 अपराह्न 4.00 बजे | नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450 221 (म.प्र.) | 1. कम्पनी के संघ के ज्ञापन के नये खण्ड को अपनाना<br>2. साम्य अंशों का निर्गम एवं आवंटन |

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक साधारण सभा :-

| | |
|---|---|
| दिनांक एवं दिवस | 24.11.2023 |
| माध्यम | ऑनलाइन |
| समय | अपराह्न 4.00 बजे |
| अवस्थिति | नेपानगर |

**6. प्रकटन**

**(i) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक का भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-**

**(राशि रुपये में)**

| क्र. | विवरण | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कमोडोर सौरभ देब |
|---|---|---|
| ए. | वेतन एवं भत्ते | 32,02,033 |
| बी. | पी.एफ. में अंशदान | 1,96,950 |
| सी. | अन्य हितलाभ | - |
| **योग** | | **33,98,983** |

**अंशकालीक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक**

अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के पास कोई आर्थिक माल संबंधी अथवा कम्पनी तथा इसके प्रबंधन के साथ कोई व्यवहार नहीं है। उन्होंने अधिवेशन फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक/कमेशन प्राप्त नहीं किया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल अधिवेशन फीस का भुगतान रुपये 24,000/- है।

**(ii) पार्टी के व्यवहार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य, जिसका बड़े पैमाने पर कम्पनी के हित में कोई सम्भावित विरोध हो, का खुलासा :**

वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी में ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है।

**(iii) विगत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अपालन, शास्ति, सरकार द्वारा जारी कोई दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी विषय पर कोई वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कम्पनी पर आक्षेप लगाना इत्यादि का विवरण :**

ई.पी.एफ.ओ. की ओर से दिनांक 26.10.2021 को पी.एफ. चालान की देरी से जमा राशि पर शास्ति एवं ब्याज की वसूली के लिये कुर्की आदेश प्राप्त हुआ था।

**(iv) व्हिसील ब्लोवर नीति और अभिपुष्टि ऐसी हो कि कोई भी कार्मिक अंकेक्षण समिति में सम्मिलित होने के लिये मना नहीं करें :**

किसी भी व्यक्ति ने अंकेक्षण समिति में सम्मिलित होने के लिये मना नहीं किया।

**7. संसूचना का साधन**

कम्पनी ने अपने अंशधारियों को वार्षिक प्रतिवेदन, साधारण सभा और वेबसाइट द्वारा प्रकटीकरण के माध्यम से सूचित किया है। कम्पनी के संबंध में सूचना एवं नवीनतम अद्यतन जानकारी के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर सम्पर्क साध सकते हैं।

**8. आचार संहिता**

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिये जारी निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुपालन में "नेपा लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों एवं मण्डल के सदस्यों के लिये व्यापार आचरण एवं नैतिक संहिता" निर्मित कर दिनांक 06.08.2013 से प्रभावी की जा चुकी है। इस संहिता को अधिकारियों के लिये आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली के साथ संयोजन कर पढ़ा जाये। इस संहिता का प्रयोजन कम्पनी के मामलों के प्रबंध में पारदर्शी प्रक्रिया और नैतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। यह आचार संहिता निम्नलिखित पर लागू है :

(ए) समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण

(बी) विधि के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकगण के साथ समस्त अंशकालिक निदेशकगण एवं

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन (विभागाध्यक्ष)

**निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लिये**

| | **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
|---|---|---|
| | **(कमोडोर सौरभ देब) (सेवानिवृत्त)** | **(प्रदीप कुमार नाईक)** |
| **दिनांक : 16.10.2023** | **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक** | **निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)** |
| **स्थान : नई दिल्ली** | **डी.आई.एन. : 09068496** | **डी.आई.एन. : 08676709** |

# दिनेश कुमार गुप्ता

**पेशेवर कम्पनी सचिव**

**दिनेश कुमार गुप्ता**
**बी.कॉम., एल.एल.बी. (ऑनर्स), एफ.सी.एस.**

211, द्वितीय तल, **शालीमार** निगमित कार्यालय,
8-बी, साउथ तुकोगंज, **इन्दौर** (म.प्र.) 452 001
फोन : 0731 - 2526208 सेल : 09425059136
ई-मेल : **csdineshgupta@gmail.com**


## निगमित शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा लिमिटेड,
नेपानगर (म.प्र.)

मैंने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये नेपा लिमिटेड (सी.आई.एन.: U21012MP1947GOI000636) (कम्पनी) द्वारा कार्यालय आदेश **क्रमांक** 18(8)2005-जी.एम. दिनांक 14.05.2010 के अनुसार भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा **केन्द्रीय** सार्वजनिक उपक्रमों के लिये निगमित शासन पर **जारी** दिशा-निर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया:-

1. निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरा परीक्षण **निगमित** शासन की शर्तों के साथ अनुपालन **सुनिश्चित** करने के लिये कम्पनी द्वारा अपनायी गयी कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन तक सीमित था। यह कम्पनी के वित्तीय विवरण पर न तो अंकेक्षण है और न ही विचारों की अभिव्यक्ति है।

2. कम्पनी ने नियमों और **एकीकरण** के अन्य क्षेत्रों तथा निगमित एवं परिचालन **प्रयोजन** के साथ दायित्व प्रबंधन के संरक्षण में अनुपालन के पुनरीक्षण के लिये कदम उठाये हैं। **किंतु नीतियाँ और प्रणाली अभी** भी क्रियान्वयनाधीन है।

3. **मेरे मतानुसार एवं मेरी अधिकतम जानकारी और मुझे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार** मेरी टिप्पणी की **शर्त के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान को छोड़कर कम्पनी ने** दिशा-**निर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित शासन की लागू शर्तों का अनुपालन किया है** :-

   ए) **दो मण्डल बैठकों के बीच** 3 महीने से अधिक का अंतर है, **अर्थात दिनांक** 23.03.2022 एवं दिनांक 27.06.2023 को आयोजित मण्डल बैठक के बीच।
   बी) **निदेशक मण्डल का संयोजन।**
   सी) अंकेक्षण समिति का संयोजन।
   डी) अंकेक्षण समिति की **बैठकों की कार्यसाधक संख्या।**
   ई) **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का संयोजन।**
   एफ) **त्रैमासिक परिणामों के** प्रकाशन के साधन (समाचार पत्र, वेबसाईट इत्यादि)

4. मैं आगे सूचित करता हूँ **कि ऐसा अनुपालन न तो आश्वासन है, जहाँ तक कम्पनी की भविष्य की** जीवनक्षमता का संबंध है, **न ही क्षमता अथवा प्रभावकारिता, जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी में मामलें** संचालित किये हैं।

**हस्ता./-**
**दिनेश कुमार गुप्ता**
**पेशेवर कम्पनी सचिव**
**एम.क्र. : 5396 सी.पी.क्र. 4715**
**यू.डी.आई.एन. : F005396E001526421**

**स्थान : इन्दौर**
**दिनांक : 30.10.2023**

आई.जी. & एसोशिएट्स
कम्पनी सचिव
कार्यालय : 608-ए, दि वन, 5, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर-452 001 (म.प्र.)
ई-मेल : igassociatescs@gmail.com मोबाईल : 09009403008

ईशा गर्ग
एफ.सी.एस., एम.बी.ए.

## प्रपत्र क्र. एम.आर.-3

### सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन
### दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये

**[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]**

**सेवा में,**
सदस्यगण,
नेपा लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय : नेपानगर,
जिला बुरहानपुर - 450 221 (म.प्र.)
सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636

हम नेपा लिमिटेड (इसके आगे कम्पनी कहा गया) सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636 द्वारा कुशल निगमित अभ्यास के अनुपालन हेतु अनुकूल सांविधिक प्रावधान की सम्मति से सचिवीय अंकेक्षण संचालित कर चुके हैं। सचिवीय अंकेक्षण इस रुप में संचालित किया गया था कि मुझे/हमें निगमित, व्यवहार/ सांविधिक समाप्ति और मेरे अभिमत की अभिव्यक्ति के लिये उचित आधार प्रदान किया जाये।

कम्पनी द्वारा रखी गई कम्पनी की पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र एवं दायर विवरणियाँ तथा अन्य दस्तावेज़ और कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना की मेरी/हमारी पुष्टि पर आधारित, इनके अधिकारी, एजेंट्स और प्रमाणित प्रतिनिधि सचिवीय अंकेक्षण आयोजित करने के दौरान मेरा/हमारा इस प्रकार प्रतिवेदन है कि हमारे अभिमत में, कम्पनी के पास, अंकेक्षण समय दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान :

- यहाँ नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है एवं
- पर्याप्त मण्डल प्रक्रियायें एवं अनुपालन तंत्र स्थापित हो;

इसके पश्चात किये गये प्रतिवेदन की सीमा तक, तरीके से एवं उसके अधीन बना है।

हम दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये नेपा लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा रखी गई पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र एवं दायर विवरणियाँ और अन्य की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर चुके हैं :-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बने नियम, संशोधनों छूटों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जावे, के अंतर्गत; **(अनुलग्नक-I में सूचीबद्ध टिप्पणियों एवं गैर अनुपालन के अनुसरण की शर्तों पर)**

(ii) सुरक्षा ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 (एस.सी.आर.ए.) और इसके तहत बने नियमों के अंतर्गत;

(iii) जमाकर्त्ता अधिनियम, 1996 एवं विनियम और इसके तहत बनाये गये बायलॉज के अंतर्गत;

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेश प्रत्यक्ष निवेश, स्वदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋणी की सीमा के अंतर्गत नियम बनाये गये;

(v) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल अधिनियम, 1992 (एस.ई.बी.आई. अधिनियम) के अंतर्गत विनियम और नियत निर्देश निम्नलिखित है :- **लागू नहीं**

(ए) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (अंशों और कब्जा का वास्तविक उपार्जन) विनियम, 2011, समय-समय पर संशोधित। **लागू नहीं**

(बी) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (अंत: व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 1992 एवं सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (अंत: व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015, समय-समय पर संशोधित। **लागू नहीं**

(सी) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (पूँजी और आवश्यक खुलासे का निर्गमन) विनियम, 2009, समय-समय पर संशोधित। **लागू नहीं**

(डी) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) निर्देश, 1999 एवं सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (अंश आधारित कर्मचारी हित लाभ) विनियम, 2014. **लागू नहीं**

(ई) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (सुरक्षा देय का निर्गमन एवं सूचीबध्दता) विनियम, 2008. **लागू नहीं**

(एफ) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (निर्गमन एवं अंश हस्तांतरण एजेंट्स के पंजीयक) विनियम, 1993, समय-समय पर संशोधित। **लागू नहीं**

(जी) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (साम्य अंशों की असूचीबध्दता) विनियम, 2009, समय-समय पर संशोधित। **लागू नहीं**

(एच) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल (सुरक्षा की खरीद वापसी) विनियम, 1998. **लागू नहीं**

(vi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने आम तौर पर कम्पनी के प्रबंधन द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व/प्रमाण पत्र के अनुसार कम्पनी के लिये विशेष रूप से लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया है और हम उसी पर विश्वास करते हैं।

(ए) कारखाना अधिनियम, 1948;

(बी) ठेका श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम;

(सी) बाल श्रमिक (वर्जन एवं विनियम) अधिनियम, 1986;

(डी) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;

(ई) जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974;

हम निम्नलिखित लागू धारा के अनुरुप की भी जाँच कर चुके है :-

(i) भारत के कम्पनी सचिवीय के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंड।

(ii) कम्पनी द्वारा सूची समझौते को विनिमय के साथ, जिसे एस.ई.बी.आई. (सूची दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें), विनिमय, 2015, समय-समय पर संशोधित, के साथ पढ़ा जावे, में प्रवेश किया गया था। **कम्पनी एक सूचीबद्ध संस्था नहीं है, इसलिये इस विनियमों के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।**

समीक्षाधीन अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी ने उपर दर्शाये अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का **अनुलग्नक-I में सूचीबद्ध टिप्पणियों के अनुसरण की शर्तों पर** अनुपालन किया है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं :-

कम्पनी के निदेशक मण्डल का पूर्ण गठन अधिकारी निदेशक, गैर-अधिकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के समुचित संतुलन के साथ नही किया गया है। निदेशक मण्डल के गठन में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधान के अनुरुप में समीक्षाधीन अवधि के दौरान किया गया है किंतु अनुगामी मण्डल बैठक में नोट नहीं किया गया।

सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है कि मण्डल बैठक, एजेण्डा और एजेण्डा पर पर्याप्त नोट्स लगभग 7 दिवस के पूर्व भेज दिया गया एवं बैठक से अर्थपूर्ण भागीदारी और बैठक से पूर्व एजेण्डा मद में आगे की सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसरण और पाने हेतु एक व्यवस्था अपनाई गई।

अधिकांश निर्णय लिये गये हैं, जब असहमति प्रकट करने वाले सदस्यों के विचार प्रग्रहण किये और कार्यवृत्त के भाग के रुप में दर्ज किये गये।

हम आगे प्रतिवेदित करते है कि कम्पनी में जाँच और लागू कानून, नियम, विनियम और निर्देश के अनुपालन के लिये कम्पनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरुप कम्पनी में इसकी पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया है।

हम आगे प्रतिवेदित करते है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के विशिष्ट कार्यक्रम / कार्य होते हैं, जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के अनुसरण में कम्पनी के मामलों पर एक प्रमुख असर डालते हैं।

**कृते आई.जी एण्ड एसोशिएट्स**
**कम्पनी सचिव**
**एफ.आर. क्र. : I2013MP1054000**
**हस्ता./-**
**(ईशा गर्ग)**
**(प्रॅप्राईटर)**
**एम.क्र. : एफ.सी.एस. 9955 सी.ओ.पी. क्र. : 12184**
**सहकर्मी समीक्षा क्र. : 914/2020**
**यू.डी.आई.एन. : F009955E001064351**

**दिनांक : 22.09.2023**
**स्थान : इन्दौर (म.प्र.)**

**नोट :- इस रिपोर्ट को हमारे पत्र दिनांक 22.09.2023 के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट के प्रपत्र एवं अभिन्न अंग हैं।**

**अनुलग्नक-I**

मेरे मत में एवं मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने पाया कि कम्पनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8) 2005-जीएम दिनांक 14.05.2010 के तहत निम्नलिखित से संबंधित प्रावधानों को छोडकर कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन ("दिशा-निर्देश") पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है :-

1. **निदेशक मण्डल एवं स्वतंत्र अंकेक्षण समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना**
   कम्पनी के निदेशक मण्डल में कार्यात्मक, नामांकित एवं स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है। कम्पनी ने स्वतंत्र अंकेक्षण समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, किन्तु दोनों समितियों की संरचना कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार इष्टतम नहीं है।
2. **स्वतंत्र अंकेक्षण समिति की कार्यसाधक संख्या**
   वर्ष के दौरान आयोजित स्वतंत्र अंकेक्षण समिति की बैठकों के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार कार्यसाधक संख्या उपस्थित नहीं थी।
3. **लागत अंकेक्षक की नियुक्ति**
   लागत अंकेक्षक की नियुक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के 180 दिवस के भीतर की जायेगी, जिसका कम्पनी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।
4. **आर.ओ.सी. ई-प्रपत्र/विवरणियाँ दायर न करना**
   कम्पनी ने निम्नलिखित के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है :
   कम्पनी पंजीयक के पास आरओसी ई-प्रपत्र/विवरणी समय पर दायर न करना।
5. **अंश प्रमाण पत्र के निर्गमन पर स्टॉम्प ड्यूटी की गैर अदायगी:**
   अंकेक्षण के दौरान, हमारे द्वारा यह पाया गया कि कम्पनी ने भारतीय स्टॉम्प (मध्यप्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17.02.2016 से दिनांक 30.08.2016 तक की अवधि के दौरान आवंटित आवंटन के संबंध में अंश प्रमाण पत्र जारी करने पर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के प्रावधानों का पालन नहीं किया है एवं इसके परिणामस्वरूप अंश प्रमाण पत्र निर्गमित करते समय रुपये 47,68,514/- की स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड के सत्यापन पर यह हमारे संज्ञान में आया कि कम्पनी ने सक्षम प्राधिकारी को स्टॉम्प ड्यूटी के छूट के लिये आवेदन किया है और इस मामले में अंतिम निर्णय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अंकेक्षण पूर्ण होने तक नहीं किया गया है।

**कृते आई.जी एण्ड एसोशिएट्स**
**कम्पनी सचिव**
**एफ.आर. क्र. : I2013MP1054000**
**हस्ता./-**
**(ईशा गर्ग)**
**(प्रॅप्राईटर)**
**एम.क्र. : एफ.सी.एस. 9955 सी.ओ.पी. क्र. : 12184**
**सहकर्मी समीक्षा क्र. : 914/2020**
**यू.डी.आई.एन. : F009955E001064351**

**दिनांक : 22.09.2023**
**स्थान : इन्दौर (म.प्र.)**

**अनुलग्नक - II**

**सेवा में,**
**सदस्यगण,**
**नेपा लिमिटेड,**
**पंजीकृत कार्यालय : नेपानगर,**
**जिला बुरहानपुर - 450 221 (म.प्र.)**
**सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636**

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने अंकेक्षण व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिये परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में शुध्द तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों, हमने अपने अभिमत के लिये एक उचित आधार प्रदान किया।

3. हमने विभिन्न कर देनदारियों एवं उसके भुगतान, लागू IND-AS के अनुपालन, वित्तीय रिकॉर्ड एवं कम्पनी के खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है, क्योंकि यह स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा किये जा रहे सांविधिक अंकेक्षण के अधीन है।

4. जहां कभी आवश्यक हो, हमने लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र/आंकड़े/जानकारी प्राप्त किया है।

5. निगमित एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों के प्रावधानों इत्यादि का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिये एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिये प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

7. उपरोक्त के रूप में हमारी सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई वाणिज्यिक, वित्तीय या निवेश निर्णय लेने पर हम किसी भी व्यक्ति के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं एवं उन्हें अपनी संतुष्टि के अनुसार स्वतंत्र सलाह या निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

8. हमने विभिन्न कानूनों के अनुपालन के सत्यापन के लिये प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्ट प्रतियों पर भरोसा किया है।

**कृते आई.जी एण्ड एसोशिएट्स**
**कम्पनी सचिव**
**एफ.आर. क्र. : I2013MP1054000**
**हस्ता./-**
**(ईशा गर्ग)**
**(प्रॅप्राईटर)**
**एम.क्र. : एफ.सी.एस. 9955 सी.ओ.पी. क्र. : 12184**
**सहकर्मी समीक्षा क्र. : 914/2020**
**यू.डी.आई.एन. : F009955E001064351**

**दिनांक : 22.09.2023**
**स्थान : इन्दौर (म.प्र.)**

## अनुलग्नक V

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

**प्रस्तावना**

नेपा ने आर.एम.डी.पी. को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है एवं संयंत्र का उदघाटन दिनांक 23.08.2022 को किया गया है।सभी अधूरे पंच प्वाइंट को अटेण्ड कर संयंत्र को प्रारम्भ कर दिया गया है। मशीनों की प्रचालन क्षमता स्थिर पाई जाती है एवं धीरे-धीरे मशीनें स्थिरीकरण अवधि के पश्चात आसानी से डिजाइन किये गये उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं, जो आम तौर पर 6 से 12 महीने होती हैं।

नेपा को संयंत्र के सुचारु प्रचालन के लिये कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कुशल जनशक्ति के मुद्दों एवं सम्पदा अर्थात अतिक्रमण से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहा है। प्रबंधन खुले बाजार से कुशल लोगों को बाह्य स्त्रोत करने के अलावा स्थानीय आबादी को रोजगार देने पर अत्यधिक ध्यान दे रहा है। प्रबंधन श्रमशक्ति के मुद्दों से बाहर आने के लिये सरकार के निर्देशानुसार GeM पोर्टल के माध्यम से ठेकेदारों, विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को ठीक करने का भी प्रयास कर रहा है।

**उद्योग परिदृश्य**

विस्तृत रूप से, उद्योग को चार मुख्य खण्डों में अर्थात् लेखन एवं मुद्रण कागज, औद्योगिक पैकेजिंग कागज, विशेष कागज तथा अखबारी कागज वर्गीकृत किया जाता है। भारत दुनिया में कागज उत्पादक देशों में 16 मिलियन टन की कुल स्थापित क्षमता के साथ 15वें स्थान पर है। मांग 17 मिलियन टन अनुमानित है। एशियाई औसत 26 किलोग्राम एवं विश्व औसत 58 किलोग्राम के मुकाबले प्रति व्यक्ति खपत लगभग 13 किलोग्राम है। 6% की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ भारत को दुनिया में कागज के लिये सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार माना जाता है। वर्ष 2021-22 तक घरेलू खपत बढ़कर 25 मिलियन टन होने की उम्मीद है। भारतीय कागज उद्योग देश भर में फैले विभिन्न आकारों के 750 से अधिक पेपर मिलों के साथ अत्यधिक विभक्त है। केवल 50 मिलें 50,000 टी.पी.ए. या उससे अधिक की क्षमता की हैं। कुल क्षमता उपयोग 80-90% अनुमानित है।

तथापि, कोविड-19 महामारी के प्रसार ने कागज बाजार के विकास को प्रभावित किया है, आयातित एवं स्वदेशी कागज की मांग 60% तक गिर गई है। बाजार हाल के दिनों में धीरे-धीरे गति पकड़ते हुये सुधार की राह पर है।

**भारतीय कागज उद्योग दृष्टिकोण**

अगले पांच वर्षों में, घरेलू उद्योग के वर्ष 2025 तक 20 मिलियन टन तक पहुंचने के लिये 6-7% सी.ए.जी.आर. से बढ़ने का अनुमान है। भारत में अखबारी कागज का कुल उत्पादन लगभग 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जबकि मांग लगभग 2.7 मिलियन टन है। उद्योग 5% की दर से बढ़ रहा है एवं वर्ष 2025 तक 5.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है।

महामारी के पश्चात के क्षेत्र में भारी मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। कागज बनाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव हाल के दिनों में आसमान छू गया है, जिससे विनिर्माण लागत बहुत अधिक हो गई है। हाल ही में मांग एवं आपूर्ति संतुलन पर पहुँच गई है एवं आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में कुछ स्थिरता आ गई है, फिर भी कागज का बाजार अस्थिर है एवं जीवंत ग्रामीण बाजार में फल-फूल रहा है।

कागज उद्योग दशकों से बृहत प्रमुखता एवं सामाजिक प्रासंगिकता का बढ़ता उद्योग रहा है। पिछले दशक में औसत वार्षिक विकास दर तथापि 1% या तो गिर गई है। इस प्रकार, भारत आने वाले दशक में ठोस विकास प्रक्षेपवक्र नहीं होने के बावजूद पर्याप्त विकास का सही अवसर रखता है, यद्यपि विकास की वर्तमान प्रवृत्ति 6-7% वार्षिक कायम है। श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति खपत अधिक है। भारतीय कागज उद्योग अमेरिका, चीन, जापान एवं जर्मनी के पश्चात वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर है। वर्ष 2030 तक भारतीय कागज एवं गत्ते की मांग लगभग 30 मिलियन टन होने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये आने वाले समय में जी.डी.पी. की स्थिति स्वदेशी कागज उद्योग के साथ-साथ परिलक्षित होगी। यद्यपि, अखबारी कागज खण्ड बढ़ना अपेक्षित है, न कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपेक्षित लाइनों पर। तथापि, भारत में विकास का सकारात्मक संकेत कायम रहेगा एवं वैश्विक स्तर पर परिणाम भारत के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। संक्षेप में, भारत को कोविड-19 के लिये भारतीय एवं वैश्विक मंदी पर हानिकारक प्रभाव पड़ने के पश्चात कागज के सभी खंडों में वृद्धि कायम रहेगी तथा मैक्रो एवं सूक्ष्म नियामक उपायों के माध्यम से आर्थिक गतिविधि की बहाली हो जाती है।

भारतीय उप-महाद्वीप में कागज की मांग वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है एवं कागज की प्रमुख मांग अर्थात लगभग 60% घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूर्ण होती है। पैकेजिंग एवं विशिष्ट कागज में सी.ए.जी.आर. क्रमशः 9.14% एवं 11.64% देखी गई है। अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज क्षमता सी.ए.जी.आर. (2017-2020) में 2.6% और 5.89% की वृद्धि देखी गई है। भारत में कागज के खपत स्वरूप में बदलाव आया है। कागज की खपत में इस कमी का कारण डिजिटलीकरण में वृद्धि तथा ऑनलाइन समाचार अनुप्रयोगों एवं समाचार फीड की अधिक से अधिक पहुंच है। अखबारी कागज एवं डब्ल्यू.पी.पी. की खपत क्रमशः 2-2.9 एवं 5.5 मिलियन टन है।

कागज उद्योग कठिन समय का सामना कर रहा है एवं एक निरंतर तथा अभिनव दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप निरंतर विकास होगा। चूंकि भारत में कागज की मांग अभी भी बढ़ रही है, इसलिए कागज उद्योग के लिये बेहतर भविष्य होगा। वैश्विक अखबारी कागज बाजार की अस्थिर स्थितियों ने कच्चे माल की कीमत में वृद्धि को छोडकर बाजार की मांग को प्रभावित नहीं किया है। चीन से निर्यात की वापसी ने बाजार में कुछ जगह बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय बाजार के फलने-फूलने की उम्मीद है।

**अखबारी कागज खण्ड**

वर्ष 2022 में कुछ अप्रत्याशित वृद्धि को छोडकर अन्य पेपर खण्ड की तुलना में अखबारी कागजों में पिछले कुछ वर्षों में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई है। डिजिटल अनुप्रयोगों और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम प्लेटफार्मों के उदय के कारण दैनिक समाचार पत्रों में धीमी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता सामान्यतः राष्ट्रीय समाचारों को टी.वी. के माध्यम से राष्ट्रीय समाचारों पर नजर रखता है एवं संचार माध्यम के शहरी क्षेत्र तक पहुँचने की प्रवृत्ति, साक्षरता दर में वृद्धि के कारण भारत के ग्रामीण हिस्से में अखबारी कागज की खपत में वृद्धि देखी गई है। आंतरिक रूप से हाल के दिनों में स्थानीय भाषा, प्रारम्भिक संस्कारण में वृद्धि देखी जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बड़े पैमाने पर शहरीकरण एवं सकाल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ, अखबारी कागज की मांग में और अधिक वृद्धि होने की पूरी संभावना है।

**लेखन कागज खण्ड**

डब्ल्यू.पी.पी. खण्ड के 4% की दर से बढ़ने की संभावना है एवं इसकी गति जारी रहने की उम्मीद है। मुख्य खंड सेवा उद्योग, प्रकाशन गृह एवं शिक्षा क्षेत्र हैं, जो डब्ल्यू.पी.पी. के भारी उपयोगकर्ता हैं। एक बार अर्थव्यवस्था को कोविड-19 परिदृश्य में सामान्य गति पुनर्स्थापित करने के पश्चात इस खंड में भारी वृद्धि होने की संभावना है। इस क्षेत्र का लेखन एवं मुद्रण कागज में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष परस्पर संबंध है। शाला शिक्षा, फार्मास्युटिकल क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र पर केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बढ़ता फोकस एवं उच्चतर बजट आवंटन, उच्च शिक्षा के केंद्रों की संख्या में वृद्धि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एफ.एम.सी.जी. क्षेत्र में दोहरे अंकों में लगभग 27.9% वृद्धि एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2026 तक सी.ए.जी.आर. 27% बढ़ने की संभावना है।

**नेपा लिमिटेड के लिये भविष्य का दृष्टिकोण**

भारतीय कागज़ उद्योग में विकास संरचनात्मक आर्थिक कारकों जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, जनसांख्यिकी में संक्रमण, साक्षरता दर में सुधार, सरकार द्वारा शिक्षा पर अधिक व्यय तथा मुद्रण एवं संचार माध्यम उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि से जुड़ा हुआ है। घरेलू बाजार उद्योग में मुक्त पहुंच को देखते हुये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर उजागर हो गया है।

भारतीय कागज ने खपत स्वरूप एवं उपभोक्ता वरीयताओं में एक बदलाव देखा है। मध्यम आय वर्ग के आय स्तर में वृद्धि एवं उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि भी वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ व्यवसायी सम्बध्द ने अपनी प्राथमिकताओं के साथ उपभोक्ताओं की मानसिकता एवं व्यवहार को बदल दिया है। गुणवत्ता एवं लागत प्रभावी कागज की मांग तेज गति से बढ़ रही है। कोविड-19 के पश्चात बढ़ती स्वास्थ्य चेतना एवं उसके पश्चात पर्यावरण संबंधी चिंतायें स्वच्छता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले ऊतक, चेहरे की सुरक्षा के लिये निपटान योग्य लेकिन सस्ते मास्क तथा जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक के विकल्प के रूप में, आम जनता की स्वच्छता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये मांग को बढ़ायेगी।

नेपा लिमिटेड अपने अस्तित्व के एक मोड़ पर है एवं कोविड-19 के पश्चात अभ्यूत्थान में बदलाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोविड-19 पूर्व परिदृश्य में, नवीनीकरण आधुनिकीकरण मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) पूर्ण चरम पर थी। हालांकि, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन ने एक बार काफी लंबे समय के लिये कार्य को रोक दिया था। अब उज्जवल भविष्य के साथ, वर्तमान प्रबंधन एवं परियोजना नेतृत्व तथा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पहले से ही निर्णायक नेतृत्व की मुख्य भूमिका निभाने के साथ, पुनर्जीवित नेपा लिमिटेड तुलन पत्र को सकारात्मक बनाकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

सरकार ने बी.सी.डी. की छूट वापस ले ली है एवं वर्ष 2020 में आयातित अखबारी कागज पर 5% सीमा शुल्क की दर प्रस्तुत की है। सरकार ने सभी आयातकों उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र/मुक्त व्यापार एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिये पेपर आयात निगरानी प्रणाली (पी.आई.एम.एस.) में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इन उपायों से स्थानीय उद्योग को महामारी के पश्चात बाजार में सुधार के इस महत्वपूर्ण समय को जीवित रहने एवं पार करने में सहायता मिलेगी। कम्पनी प्रबंधन ने आपूर्तिकर्त्ता, ठेकेदार, फैब्रिकेटर, कार्यबल आदि से संबंधित किसी भी जटिल मुद्दे को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

कम्पनी को वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में लेखन एवं मुद्रण क्षेत्र में विविधता लाने की उम्मीद है। चूंकि लेखन एवं मुद्रण पेपर की लाभप्रदता अखबारी बाजार की तुलना में अधिक है, इसलिये कम्पनी को हानी की भरपाई करने तथा एक नया बाजार आधार प्राप्त करने की संभावना है। मुद्रण हाउसों एवं पाठ्यपुस्तक निर्माताओं के साथ गठजोड़ पहले ही प्रारम्भ हो चुका है।

आर.एम.डी.पी. के पूर्ण होने पर कम्पनी बाजार की मांग एवं लाभप्रदता समीकरण के आधार पर 100000 एम.टी. प्रतिवर्ष, लेखन एवं मुद्रण तथा अखबारी कागज का उत्पादन करेगी। कार्डों पर निविष्ट कच्चे माल, रसायनों और वायर-फेब्रिक्स आदि की प्राप्ति के लिये रोडमैप है। हम इसके शानदार बदलाव के प्रति आशान्वित हैं।

**निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लिये**

| | **हस्ता./-** | **हस्ता./-** |
|---|---|---|
| | **(कमोडोर सौरभ देब) (सेवानिवृत्त)** | **(प्रदीप कुमार नाईक)** |
| **दिनांक : 16.10.2023** | **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक** | **निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)** |
| **स्थान : नई दिल्ली** | **डी.आई.एन. : 09068496** | **डी.आई.एन. : 08676709** |

**निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक**

**प्रपत्र क्र. एम.जी.टी.-9**

**वार्षिक विवरणी का उध्दरण**

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर**

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

## I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

| | | |
|---|---|---|
| i. | सी.आई.एन. | U21012MP1947GOI000636 |
| ii. | पंजीकरण तिथि | 25.01.1947 |
| iii. | कम्पनी का नाम | नेपा लिमिटेड |
| iv. | कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी | पब्लिक कम्पनी/सरकारी कम्पनी/अंशों द्वारा लिमिटेड |
| v. | पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण | नेपानगर, जिला बुरहानपुर, म.प्र.-450 221 |
| vi. | क्या सूचीबध्द कम्पनी है | नहीं |
| vii. | पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्त्ता का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण | पूर्वा शेयरजिस्ट्री (आई) प्रायवेट लिमिटेड, 9, शिवशक्ति इण्डस्ट्रियल ईस्टेट, जे.आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई, 400011 |

## II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ

कम्पनी के कुल सकल विक्रय का समस्त व्यापार गतिविधियाँ में 10% अथवा अधिक अंशदान दर्शाया गया है :-

| क्र. | मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण | उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड | कम्पनी के कुल सकल बिक्री का % |
|---|---|---|---|
| 1. | अखबारी कागज | 4801 | 29.56% |

नोट :- सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान आर.एम.डी.पी. के कारण दोनों मशीन बंद हैं।

## III. धारित, अधीनस्थ एवं सहायक कम्पनियों के विवरण

| क्र. | कम्पनी का नाम एवं पता | सी.आई.एन./जी.एल.एन. | धारित, अधिनस्थ एवं सहायक | अंशों का % | लागू प्रभाग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अधीनस्थ एवं सहायक कम्पनियाँ नहीं हैं। | | | | |

**IV. अंशधारिता पैटर्न (साम्य अंश पूँजी कूल साम्य प्रतिशत पर ब्रेकअप)**

| अंशधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरम्भ में अंशों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में अंशों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अप्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष | योग | कुल अंशों का % | अप्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष | योग | कुल अंशों का % | |
| **ए. प्रवर्तक** | | | | | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | | | | | |
| ए) व्यक्तिगत/एच.यू.एफ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| बी) केन्द्र सरकार | - | 1047477344 | 1047477344 | 97.11 | - | 1204297344 | 1204297344 | 97.47 | 0.36 |
| सी) राज्य शासन | - | 30537290 | 30537290 | 2.83 | - | 30537290 | 30537290 | 2.47 | - 0.36 |
| डी) निकाय निगम | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ई) बैंकें/वित्तीय संस्थान | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एफ) कोई अन्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **उप योग (ए) (1)** | - | 1078014634 | 1078014634 | 99.94 | - | 1234834634 | 1234834634 | 99.94 | - |
| **(2) विदेश** | | | | | | | | | - |
| ए) एन.आर.आई.-व्यक्तिगत | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| बी) अन्य - व्यक्तिगत | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| सी) निकाय निगम | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| डी) बैंकें/वित्तीय संस्थान | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ई) कोई अन्य | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| **उप योग (ए) (2)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| प्रवर्तक की कुल अंशधारिता (ए)=(ए)(1) + (ए)(2) | - | 1078014634 | 1078014634 | 99.94 | - | 1234834634 | 1234834634 | 99.94 | - |
| बी.(1) पब्लिक अंशधारिता | | | | | | | | | |
| ए) म्युचुअल फण्ड/बैंकें/वित्तीय संस्थान | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| बी) केन्द्रीय सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| सी) राज्य सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| डी) उद्यमी पूँजीगत कोष | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ई) बीमा कम्पनियाँ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एफ) कोई अन्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जी) एफ.आई.आई. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एच) विदेश उद्यमी पूँजी कोष | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| आई) अन्य (स्पष्ट करें) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **उप योग (बी) (1)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(2) गैर-संस्थान** | - | | | | | | | | |
| ए) निकाय निगम | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i) भारतीय | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ii) विदेशी | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| बी) व्यक्तिगत | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i) व्यक्तिगत अंशधारियों द्वारा धारित रुपये 1 लाख तक की नाममात्र की अंशपूँजी | - | 654930 | 654930 | 0.06 | - | 654930 | 654930 | 0.05 | - 0.01 |
| **i) वर्गानुसार अंशधारिता** : i) व्यक्तिगत अंशधारियों द्वारा धारित रुपये 1 लाख से अधिक की नाममात्र की अंशपूँजी | | | | | | | | | |
| सी) अन्य, हिन्दु अविभाजित परिवार | | | | | | | | | |
| डी) एन.आर.आई. | | | | | | | | | |
| **उप योग (बी) (2)** | - | 654930 | 654930 | 0.06 | - | 654930 | 654930 | 0.05 | - |
| **कुल सार्वजनिक अंशधारिता** (बी)=(बी)(1) + (बी)(2) | - | 654930 | 654930 | 0.06 | - | 654930 | 654930 | 0.05 | - |
| **सी. जी.डी.आर. एवं ए.डी. आर. के लिये अभिरक्षक द्वारा धारित अंश** | | | | | | | | | |
| **कुल योग (ए+बी+सी)** | - | 1078669564 | 1078669564 | 100 | - | 1235489564 | 1235489564 | 100 | - |

**(ii) प्रवर्तकों की अंशधारिता**

| क्र. | अंशधारक का नाम | वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता | | | वर्ष के अंत में अंशधारिता | | | अंश में % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंशों की संख्या | कम्पनी के कुल अंशों का % | कुल अंशों के रेहन/ऋणग्रस्त अंशों का % | अंशों की संख्या | कम्पनी के कुल अंशों का % | कुल अंशों के रेहन/ऋणग्रस्त अंशों का % | |
| 1. | भारत के राष्ट्रपति | 1047477344 | 97.11 | - | 1204297344 | 97.47 | - | 0.36 |
| 2. | मध्यप्रदेश के राज्यपाल | 30537290 | 2.83 | - | 30537290 | 2.47 | - | - 0.36 |
| | **योग** | 1078014634 | 99.94 | - | 1234834634 | 99.94 | - | - |

**(iii) प्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो)**

| क्र. | अंशधारक का नाम | वर्ष के आरम्भ/अंत में अंशधारिता | | वर्ष के दौरान परिवर्तन | कारण | वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंशों की संख्या | कम्पनी के कुल अंशों का % | बढोत्तरी/ कमी | | अंशों की संख्या | कम्पनी के कुल अंशों का % |
| 1. | भारत के राष्ट्रपति | 1047477344 | 97.11% | रुपये 5/- प्रत्येक के 156820000 साम्य अंश के आवंटन से वृद्धि हुई। | आवंटन | 1204297344 | 97.47% |
| 2. | मध्यप्रदेश के राज्यपाल | 30537290 | 2.83% | वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं | | 30537290 | 2.47% |

**(iv) प्रमुख दस अंशधारकों की अंशधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रसारकों और जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के धारकों के अलावा)**

| क्र. | प्रमुख दस अंशधारकों के नाम | वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता | | वर्ष के दौरान परिवर्तन | | | वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंशों की संख्या | कम्पनी के कुल अंशों का % | दिनांक | बढोत्तरी/ कमी | कारण | अंशों की संख्या | कम्पनी के कुल अंशों का % |
| 1. | कौशिक एस. भट्ट | 11000 | 0.00 | | - | | 11000 | 0.00 |
| 2. | अम्मर अयाज़ | 5000 | 0.00 | | - | | 5000 | 0.00 |
| 3. | राजू भंडारी | 5000 | 0.00 | | - | | 5000 | 0.00 |
| 4. | महाराजा प्रविणचन्द्र भांजडे | 4000 | 0.00 | | - | | 4000 | 0.00 |
| 5. | नरिन्द्र कौर सचदेवा | 2500 | 0.00 | | - | | 2500 | 0.00 |
| 6. | गोविन्द प्रसाद के. पोद्दार | 2200 | 0.00 | | - | | 2200 | 0.00 |
| 7. | हाईनेस एम.के. मोदिनी देवी | 2000 | 0.00 | | - | | 2000 | 0.00 |
| 8. | अमीत आर. सुचदे | 2000 | 0.00 | | - | | 2000 | 0.00 |
| 9. | यशपाल खन्ना | 1850 | 0.00 | | - | | 1850 | 0.00 |
| 10. | चुन्नीलाल गगलदास शाह | 1580 | 0.00 | | - | | 1580 | 0.00 |

**(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की अंशधारिता**

| क्र. | निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के नाम (सर्वश्री) | वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन | | | वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दिनांक | अंशों की संख्या | कम्पनी के कुल अंशों का % | दिनांक | बढोत्तरी/ कमी | कारण | अंशों की संख्या | कम्पनी के कुल अंशों का % |
| निरंक | | | | | | | | | |

**V. ऋणग्रस्तता**

**कम्पनी की ऋणग्रस्तता, जिसमें ब्याज अदत्त/अर्जित लेकिन भुगतान के लिये देय नहीं**

**(रुपये लाख में)**

| | रक्षित ऋण जमा छोड़कर | अरक्षित ऋण | जमा* | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूल राशि | - | 24680.00 | - | 24680.00 |
| ii) ब्याज देय किंतु प्रदत्त नहीं | - | 19865.95 | - | 19865.95 |
| iii) ब्याज जमा किंतु देय नहीं | - | 1560.54 | - | 1560.54 |
| **योग (i+ii+iii)** | - | **46106.49** | **-** | **46106.49** |
| **वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन** | | | | |
| जोड़ना | - | - | - | - |
| कम करना | - | - | - | - |
| **शुध्द ऋणग्रस्तता परिवर्तन** | | | | |
| **वित्तीय वर्ष के अंत में** | | | | |
| i) मूल राशि | - | 24680.00 | - | 24680.00 |
| ii) ब्याज देय किंतु प्रदत्त नहीं | - | 24631.15 | - | 24631.15 |
| iii) ब्याज जमा किंतु देय नहीं | - | 1654.14 | - | 1654.14 |
| **योग (i+ii+iii)** | - | **50965.29** | **-** | **50965.29** |

**VI निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक (रुपये में)**

**(ए). प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक**

**(रुपये लाख में)**

| क्र. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (सर्वश्री) | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | **कमोडोर सौरभ देब** | **-** | |
| 1. | सकल वेतन | 33.98 | - | 33.98 |
| | ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | - | - | - |
| | बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत् परिलब्धियों का मूल्य | - | - | - |
| | सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत् वेतन के स्थान पर लाभ | - | - | - |
| 2. | स्टॉक विकल्प | - | - | - |
| 3. | स्वेट साम्य | - | - | - |
| 4. | कमीशन<br>- लाभ के अनुसार %<br>- अन्य, उल्लेख करें | <br>-<br>- | <br>-<br>- | <br>-<br>- |
| 5. | अन्य, कृपया उल्लेख करें (अधिवेशन शुल्क) | - | - | - |
| **योग (ए)** | | 33.98 | - | 33.98 |
| **अधिनियम के अनुसार सीमा** | | लागू नहीं | | |

**बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (रुपये में)**

| क्र. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों का नाम (सर्वश्री) | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | स्वतंत्र निदेशक | श्रीमती कमलावती सिंह | - |
| | मण्डल/समिति बैठकों में शामिल होने के लिये शुल्क | 24000 | 24000 |
| | कमीशन | - | 0 |
| | अन्य, कृपया उल्लेख करें | - | 0 |
| | योग (1) | - | 0 |
| 2. | अन्य गैर-अधिशाषी निदेशकगण | श्रीमती पद्मप्रिया बालाकृष्णन | |
| | मण्डल/समिति बैठकें अटेन्ड करने के लिये फीस | - | - |
| | कमीशन | - | - |
| | अन्य, कृपया उल्लेख करें | - | - |
| | योग (2) | - | - |
| | योग (बी) = (1+2) | - | - |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | लागू नहीं | - |
| | अधिनियम के अनुसार समग्र सीमान्त | स्वतंत्र निदेशकों को चुकता की गई अधिवेशन शुल्क कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार समग्र सीमान्त के अन्दर है। | |

**सी. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक (रुपये लाख में)**

| क्र. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सी.ई.ओ. | कम्पनी सचिव एवं सी.एफ.ओ. | | |
| | | | सुश्री पूर्णिमा पाराशर | श्री वी.एन. बरोले (दिनांक 31.12.2022 तक) | |
| 1. | सकल वेतन | निरंक | 9.98 | 10.15 | 20.13 |
| | ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | - | - | - |
| | बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत् परिलब्धियों का मूल्य | | - | | - |
| | सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत् वेतन के स्थान पर लाभ | | - | | - |
| 2. | स्टॉक विकल्प | | - | | - |
| 3. | स्वीट साम्य | | - | | - |
| 4. | कमीशन<br>- लाभ के अनुसार %<br>- अन्य, उल्लेख करें | | - | | - |
| 5. | अन्य, कृपया उल्लेख करें | | - | | - |
| | **योग (सी)** | | **9.98** | **10.15** | **20.13** |

## VII. शास्ति/दण्ड/संयोजित का उल्लंघन

| प्रकार | कम्पनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | लगाए गए शास्ति/दण्ड/ संयोजित शुल्क विवरण | प्राधिकृत (आर.डी./ एन.सी.एल.टी/ अदालत | की गई अपील, यदि कोई (विवरण दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ए. कम्पनी** | | | | | |
| शास्ति | | | | | |
| दण्ड | | | | | |
| संयोजित | | | | | |
| **बी. निदेशकगण** | | | | | |
| शास्ति | | | | | |
| दण्ड | | | निरंक | | |
| संयोजित | | | | | |
| **सी. अन्य दोषी अधिकारी** | | | | | |
| शास्ति | | | | | |
| दण्ड | | | | | |
| संयोजित | | | | | |

**फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**बी-14, रतलाम कोठी, कंचन बाग, मुख्य मार्ग,**
**इंदौर - 452001 (म.प्र.) भारत**
**फोन : 0731-2514448, 2527716, 2528730**
**मेल : mail@fngca.com, वेबसाइट : www.fngca.in**

**स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन**

**सेवा में,**
**सदस्यगण,**
**नेपा लिमिटेड,**
**नेपानगर (म.प्र.)**

## स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर प्रतिवेदन

### योग्य अभिमत

हमने नेपा लिमिटेड (कम्पनी) के स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण कर लिया है, जिसमें दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र, तब समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखों का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी सहित महत्वपूर्ण लेखा विधि की नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है।

हमारे विचार में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे प्रतिवेदन के योग्य अभिमत अनुभाग के लिये आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपर अर्हता अभिमत परिच्छेद के लिये उपरोक्त वित्तीय विवरण जैसा आवश्यक हो, उस विधि में कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और दिनांक 31.03.2023 को कम्पनी मानकों की स्थिति तथा इसी तिथि के लिये और इसकी हानि एवं रोकड़ प्रवाह के लिये भारत में स्वीकार्य लेखा सिध्दांतों की अनुरुपता में सत्य एवं साफ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

### योग्य अभिमत के लिये आधार

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर रुपये 10,841 लाख की लंबित अंश आवेदन राशि का आवंटन नहीं किया है। उक्त राशि में से वर्ष के दौरान रुपये 7,841 लाख आवंटित किये गये हैं, जिसके लिये कम्पनी पंजीयक के साथ वैधानिक औपचारिकतायें अभी भी लंबित हैं।

2. कम्पनी बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) को लागू कर रही है एवं नये संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने के लिये विभिन्न परिसंपत्तियों को नष्ट कर दिया है। लेखा मानक (ए.एस.) 10-संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पैरा 15 के अनुसार, कम्पनी को मान्यता रद्द करने के प्रावधानों के अनुसार प्रतिस्थापन पर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की मान्यता समाप्त करने की आवश्यकता है। प्रबंधन ने आर.एम.डी.पी. के नये संयंत्र के चालू होने एवं आर.एम.डी.पी. के पूर्ण होने पर उसकी पहचान करने तथा उसे अलग करने का निर्णय लिया है।

3. रुपये 96.21 लाख के शुद्ध खण्ड वाली परित्यक्त परिसंपत्तियाँ तुलन पत्र में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण शीर्षक के तहत दृष्टिगत हो रही हैं, जिसके लिये कम्पनी के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है। हम इसके अस्तित्व एवं उपयोगी जीवन का पता लगाने में असमर्थ है। परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है तथा संचित हानि को उस सीमा तक कम करके दिखाया गया है।

4. रुपये 781.66 लाख (गत वर्ष के रुपये 691.04 लाख) के नेपा नगर पालिका से वसूली योग्य जल आपूर्ति शुल्क सहित व्यवसाय प्राप्य आरक्षित एवं संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किये गए हैं। रुपये 287.51 लाख (गत वर्ष के रुपये 287.51 लाख) का ऐसे बही ऋणों के विरूद्ध अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान किया गया है। शेष राशि रुपये 494.15 लाख, जिसकी वसूली संदिग्ध है, के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। व्यवसाय प्राप्तियों को अधिक बताया गया है एवं संचित हानि को उस सीमा तक कम करके दिखाया गया है।

5. रुपये 2,286.20 लाख की आर.एम.डी.पी. परियोजना एवं रुपये 1,738 लाख व्यवसाय प्राप्तियाँ के लिये लेनदारों को शेष पुष्टि पत्र जारी किये गये थे। कुछ पार्टियों ने शेष राशि की पुष्टि की है, तथापि, ऐसी शेष राशि कम्पनी के खातों की पुस्तकों में दिखाई देने वाली शेष राशि से मेल नहीं खाती है। किसी भी उचित समाधान के अभाव में लेनदारों की शुद्धता का पता लगाना हमारे लिये संभव नहीं है।

6. रुपये 50.54 लाख (गत वर्ष रुपये 50.54 लाख) की जमा राशि लंबे समय तक वसूली योग्य है। इन जमाओं की पुनर्प्राप्ति को प्रमाणित करने के लिये किसी नवीनतम पुष्टि के अभाव में परिसंपत्तियों की मान्यता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. कम्पनी के पास व्यवसाय देय और पूंजीगत वस्तुओं (आर.एम.डी.पी. परियोजना) एवं सुरक्षा जमा के लिये कोई शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। लेनदारों को भुगतान की अनुसूची एवं सुरक्षा जमा के संबंध में कम्पनी के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं है तथा इसलिये चालू एवं गैर चालू के तहत देय व्यवसाय का वर्गीकरण संभव नहीं है।

8. कम्पनी ने नोट क्र.35 में उल्लिखित कारणों के लिये पेट्रोल/डीज़ल के विक्रय को पृथक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खण्ड के रूप में स्पष्ट नहीं किया है, जो ए.एस.-17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के विपरीत है।

9. कम्पनी के जी.एस.टी. अभिलेखों का मिलान खातों की पुस्तकों में रुपये 3550.40 लाख (गत वर्ष रुपये 3398.11 लाख) की राशि के शेष के साथ नहीं किया गया है। उचित विवरण के अभाव में हम जी.एस.टी. प्राप्य की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

10. नगरीय किराये की बकाया राशि की वसूली रुपये 328.55 लाख है, जबकि नगरीय किराये की संदिग्ध वसूली के लिये प्रावधान रुपये 20.92 लाख है। इस तरह के किराये की वसूली न करने की स्थिति को देखते हुये यह अपर्याप्त है। किसी भी पर्याप्त विवरण के अभाव में लाभ एवं हानी के विवरण पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

हम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत लेखा परीक्षण पर मानक (एस.ए.) के अनुसार अंकेक्षण आयोजित करते हैं। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, जो नैतिक आवश्यकताओं के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के लिये प्रासंगिक हैं एवं हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को वहां की आवश्यकताओं और (आई.सी.ए.आई.) के आचार संहिता के अनुसार पूर्ण किया है। हम मानते हैं कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे योग्य अभिमत के लिये आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**विषयवस्तु का महत्व**

1. हम नोट क्र. 32.2 पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह के नुकसान का प्रावधान नहीं किया गया है। हमने इस संबंध में हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण पर विश्वास किया है।

2. हम नोट क्र.संख्या 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो उपादान के दायित्व का वर्तमान मूल्य रुपये 1,844.47 लाख को उसी पर योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किये बिना मान्यता प्राप्त है। तुलन पत्र में रुपये 1,844.47 लाख के कुल प्रावधान के विरूध्द योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को समायोजित करने के पश्चात शुद्ध दायित्व रुपये 500.36 लाख है। तथापि, कम्पनी द्वारा प्राप्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र के अनुसार शुद्ध देयता रुपये 238.25 लाख है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र के अनुसार रुपये 171.75 लाख है। इस तरह के बदलाव एवं वास्तविक देनदारी के लिये कम्पनी के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन ने पुस्तकों में पहले से बनाये गये प्रावधान को अपरिवर्तनवादी आधार पर उत्क्रम नहीं करने का निर्णय लिया है।

3. हम टिप्पणी क्रमांक 17.1 पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि ई.पी.एफ़.ओ. द्वारा लगाये गये जुर्माने के कारण पहले के वर्षों में भुगतान किये गये हानि के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से देय दावे में रुपये 726.73 लाख शामिल हैं एवं इसे वसूली योग्य के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि कम्पनी का मानना है कि इसके लिये राहत बी.आई.एफ़.आर. द्वारा दी जायेगी। उक्त राशि को लाभ एवं हानि विवरण में विकलन नहीं किया जाता है।

इन मामलों में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

**चालू व्यापार से संबंधित सामग्री अनिश्चितता**

हम टिप्पणी क्रमांक 40 पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वित्तीय विवरण के लिये, जो दर्शाता है कि कम्पनी ने वार्षिक अंतराल के रूप में संचित हानि रुपये 71,040.86 लाख के कारण अपने शुद्ध सम्पन्नता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। शुद्ध वर्तमान देयता स्थिति अपनी वर्तमान संपत्ति रुपये 25,980.15 लाख से अधिक है एवं कोई सकारात्मक कामकाजी पूंजी निधि नहीं है।

कम्पनी के वित्तीय विवरण एक वर्तमान व्यवसाय अवधारणा के आधार पर तैयार किये गये हैं, क्योंकि कम्पनी ने बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार आर.एम.डी.पी. के रूप में ज्ञातव्य पुनरुद्धार योजना के पश्चात पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। कम्पनी का व्यवसाय केवल एवं पूर्णरूपेण सरकार के बकाया के निपटान/माफी एवं सफल प्रचालन पर निर्भर है।

इस मामले के संबंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

**वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी**

अन्य जानकारी के लिये कम्पनी का निदेशक मण्डल ही उत्तरदायी है। वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य जानकारी सहित जानकारी सम्मिलित है, किन्तु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। इस अंकेक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के पश्चात कम्पनी के अंकेक्षक प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारी को सम्मिलित नहीं करता है एवं हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रुप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारे अंकेक्षण के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें एवं ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों या अंकेक्षण में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। जब हम कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उन्हें, जो शासन के प्रति जिम्मेदार है, इस मामले को बताना होगा।

**स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के लिये शासन के साथ अधिरोपित एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कम्पनी का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में शामिल धारा 134 (5) के मामलों के लिये उत्तरदायी है। इसमें स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों की तैयारी जिससे वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह पर सत्य एवं स्पष्ट विचार प्रदान किये हैं, जो कम्पनी के लेखा विधि स्तर में अधिनियम की धारा 133 में लेखा विधि सिध्दांत सामान्यत: भारत में स्वीकार्य सम्मिलित है। इस उत्तरदायित्व में पर्याप्त लेखा विधि दस्तावेज शामिल है, जो कम्पनी की सुरक्षा की धारा की सुविधानुसार कम्पनी की सम्पत्ति और धोखों को रोकने और उस पर नजर रखने तथा अन्य अनियमित एवं चुनाव, उचित लेखा विधि नीति के आवेदन, निर्णय लेने, जो कि उचित रुप रेखा, क्रियांवयन और सटीक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के रखरखाव, जो कि लेखा विधि दस्तावेजों की पूर्णता सही रुप से संचालित था। इस जवाबदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की रुपरेखा, कार्यांवयन एवं रखरखाव सम्मिलित है, जिन्होंने सत्य एवं स्पष्ट विचार प्रदाय किये और सारयुक्त यथार्थ विवरण से स्वतंत्र हैं, चाहे धोखे या गलती के कारण आया हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कम्पनी की क्षमता का आकलन करने के लिये वर्तमान समुत्थान के रूप में जारी रखने, खुलासा करने, जो लागू हो, वर्तमान समुत्थान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिये वर्तमान समुत्थान के आधार का उपयोग करने के लिये उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मण्डल या तो इरादा नहीं करता है कि कम्पनी को परिसमापन करना या संचालन को बंद करना या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिये भी उत्तरदायी हैं।

**वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण सामग्री के गलत अनुमान से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण एवं अंकेक्षक के प्रतिवेदन जारी करने के लिये जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार किया गया एक अंकेक्षण सदैव अस्तित्व में होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत अनुमान उत्पन्न हो सकता है और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे यथोचित रूप से इन वित्तीय विवरणों पर आधारित लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

एस.ए. के अनुसार एक अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पूर्ण अंकेक्षण में पेशेवर संदेह को बनाये रखते हैं। हम भी :-

- स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें एवं उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी प्रक्रियाओं को बनावट तथा निष्पादित करें, एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारे अभिमत के लिये आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त तथा उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना सम्मिलित हो सकती है।

- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने के लिये अंकेक्षण से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि कम्पनी के पास स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, एवं प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कम्पनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने अंकेक्षक के प्रतिवेदन में स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तब हम हमारे अभिमत को संशोधित करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कम्पनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।

- खुलासे सहित स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करें, तथा क्या स्वप्रमाणित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य विषयों में, अंकेक्षण की योजनाबध्द विस्तार एवं समय तथा महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं, जिसे हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के साथ ऐसा कथन करते हुये उन्हें भी सहायता मुहैया कराते हैं, जो स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा उनके साथ समस्त सम्बन्धों तथा आँय मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता के लिये उचित माने गए हैं, एवं जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो, का अनुपालन करते हैं।

**अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन**

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) शर्त में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी यथाआवश्यक कम्पनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2020 (आदेश), के साथ हमने इस आदेश के परिच्छेद 3 एवं 4 में सीमा तक लागू विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण **"अनुलग्नक ए"** में दिया है।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की 143 की उप धारा 5 के संबंध में जारी निर्देशानुसार, हम यथा निर्देश पर रिपोर्ट "**अनुलग्नक बी"** पर देते हैं।

3. अधिनियम का अनुच्छेद 143 (3) के द्वारा यथा आवश्यक, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :-

   (ए) हमने उपरोक्त योग्य अभिमत पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों को छोड़कर वे समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण देखें एवं प्राप्त किये हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन के लिये आवश्यक थे।

   (बी) हमारे विचार से उपरोक्त योग्य अभिमत पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखों की समुचित पुस्तकें कम्पनी के पास रखी गई हैं, जहाँ तक ऐसी पुस्तकों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

   (सी) तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण इस प्रतिवेदन के द्वारा लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

   (डी) हमारे मतानुसार, प्रारम्भिक सिध्दांत में सक्षम अभिमत के लिये जैसा वर्णित है, को छोड़कर, उक्त कथित वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत सूचित, जिन्हें अधिनियम की धारा 133 के संबंध में कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पढ़ा जाये, मामलों की अवधारणा पैराग्राफ में दर्शाये को छोड़कर, लेखों के मानदण्डों का पालन करते हैं।

   (ई) उपरोक्त पैराग्राफ में योग्य अभिमत के लिये वर्णित विषय एवं व्यापार अवधारणा, जो ऊपर पैराग्राफ व्यापार अवधारणा से संबंधित माल अनिश्चितता में वर्णित है, हमारे अभिमत में कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

   (एफ) सरकारी कम्पनी होने से अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कम्पनी के निदेशकों के लिये लागू नहीं होते हैं।

   (जी) खातों के रखरखाव से संबन्धित योग्यता एवं उसमें जुड़े अन्य विषयों को ऊपर दिये गये अर्हताप्राप्त पैराग्राफ के आधार तथा नीचे हमारे **अनुलग्नक "सी"** में पृथक प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

   (एच) कम्पनी के स्वप्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की यथेष्टता के संबंध में हमारा प्रतिवेदन पृथक से **"अनुलग्नक सी"** पर दर्शाया गया है। हमारा प्रतिवेदन स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक संशोधित अभिमत व्यक्त करता है।

   (आई) अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार सरकारी कम्पनी के लिये लागू नहीं हैं।

(जे) हमारे विचार और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 11 के अनुसार अन्य विषयों, जो अंकेक्षक प्रतिवेदन में समाहित किये गये है, के संबंध में :-

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लम्बित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों के नोट क्र.39 का संदर्भ लें।

(ii) कम्पनी के पास अनुमानित ठेके सहित कोई दीर्घावधि ठेका नहीं था, जिसके लिये कोई भौतिक अनुमानित हानि थी।

(iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष, जो उन्हें हस्तांतरित किया जाना हो, उसके लिये कोई राशि नहीं थी।

(iv) (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, खातों में नोट क्रमांक 46(एन) में बताये गये के अलावा, कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गए निधि या अंश की किश्त से या किसी भी अन्य स्त्रोत या धन के प्रकार) कम्पनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(यों) में, विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") सहित, जिसे समझ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ होगा, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें;

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, खातों में नोट क्रमांक 46(एन) में बताये गये के अलावा, कंपनी द्वारा विदेशी इकाई सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है। ("फंडिंग पार्टियां"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कम्पनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य प्रदान करना;

(सी) अंकेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खण्ड (i) एवं (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) एवं (बी) के तहत प्रदान किया गया, कोई भी सामग्री गलत है।

(v) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है। इसलिये, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(vi) कम्पनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की पुस्तकें बनाये रखने के लिये है, जिसमें अंकेक्षण ट्रेल (लॉग संपादित) की सुविधा दिनांक 01.04.2023 से कम्पनी पर लागू होती है एवं तदनुसार, कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत प्रतिवेदित दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लागू नहीं है।

**कृते फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**फर्म रजिस्ट्रेशन क्र.006600C/C400324**
**हस्ता./-**
**(सी.ए. विक्रम गुप्ते)**
**भागीदार**
**एम. क्रमांक 074814**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 28.08.2023**
**यू.डी.आई.एन. : 23074814BGSAHY3047**

**स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के लिये अनुलग्नक-ए**

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये नेपा लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तिथि के हमारे स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में संदर्भित**

(i) ए. (ए) उपलब्ध जानकारी के आधार पर कम्पनी परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति एवं मात्रात्मक विवरण सहित सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए परिसम्पत्तियों से संबंधित समुचित अभिलेख रख रही हैं।

(बी) कम्पनी उस वर्ष के दौरान किये गये परिवर्धन/हटाने के लिये वार्षिक आधार पर अभिलेख बनाये रखती है, जिसमें अमूर्त परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण दिखाया जाता है।

बी. प्रबंधन ने वर्ष के दौरान पूँजीगत कार्य से परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में स्थानांतरित परिसंपत्तियों तथा वर्ष के दौरान छोड़ी गई परिसंपत्तियों के खण्ड को छोड़कर कम्पनी की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है एवं इस तरह के प्रत्यक्ष सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण सामग्री विसंगति नहीं देखी गई है।

सी. हमारी सर्वश्रेष्ट जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर समस्त अचल परिसम्पत्तियों के शीर्षक विलेख (उन परिसंपत्तियों को छोड़कर जहाँ कम्पनी पट्टेदार है एवं पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किये गये है) वित्तीय विवरणों में कम्पनी के नाम पर रखे गये हैं।

डी. जैसा कि हमें सूचित किया गया एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ई. हमारी सर्वश्रेष्ट जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर बेनामी परिसंपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 [जिसे पहले बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के रूप में जाना जाता था) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत किसी भी बेनामी परिसंपत्ति को रखने के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

(ii) (ए) जैसा कि हमें सूचित किया गया एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा चुका है। हमारे मतानुसार, व्यवसाय की प्रकृति तथा आकार को देखते हुये सत्यापन की आवृत्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। मालसूची की श्रेणियों के कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान नहीं देखी गई।

(बी) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है एवं इसलिये धारा (ii)(बी) लागू नहीं है।

(iii) कम्पनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई रक्षित या अनारक्षित ऋण अथवा अग्रिम प्रदान किया है एवं इसलिये धारा (iii) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

(iv) हमारे मतानुसार एवं हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के तहत सम्मिलित कोई ऋण एवं निवेश को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(v) कम्पनी ने धारा 73 से 76 के तहत जमा समझी राशि या कम्पनी अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। इसलिये धारा (v) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

(vi) अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेख के रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये उक्त नियमों के अनुसार निर्धारित खाते एवं अभिलेख बनाये तथा रखे गये हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा समीक्षा के लिये इसे हमे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(vii) ए. भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अंकेक्षण प्रथाओं के अनुसार हमारे द्वारा परीक्षण किये गये खातों और अभिलेखों की पुस्तकों के अनुसार, हमारा अभिमत है कि कम्पनी कस्टम ड्यूटी, सामग्री एवं सेवा कर अधिनियम, व्यावसायिक कर एवं अन्य वैधानिक देयताओं सहित निर्विवाद वैधानिक देयक उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करने में नियमित रही है। हमे प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन वैधानिक देयताओं के मदों के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि नहीं थी, जो 31 मार्च 2023 से अधिक की अवधि के लिये वे देय होने के छह महीने पश्चात शेष रह गई है।

बी. उप-धारा (ए) में निर्दिष्ट वैधानिक देय राशि के कारण कोई विवादित देय राशि नहीं है, जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है :-

| संविधि का नाम | अवधि | राशि (रुपये लाख में) | जहाँ से विवाद लम्बित है। |
|---|---|---|---|
| प्रवेश कर | 2008-09 | 4.49 | मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल, इन्दौर |
| मूल्य समाविष्ट कर | 2009-10 | 75.65 | मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल |
| प्रवेश कर | 2009-10 | 7.16 | मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल |
| मूल्य समाविष्ट कर | 2010-11 | 10.42 | मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल |
| सम्पत्ति कर एवं उस पर ब्याज | 1993-94 से 2022-23 | 202.01 | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच |
| मण्डी कर | 1998 | 35.95 | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर |

(viii) प्रबंधन द्वारा हमें दिये गये स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार तथा जैसा कि हमारे द्वारा सत्यापित किया गया है, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है, जो खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था तथा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में खुलासा करते हुये समर्पित किया गया है।

(ix) (ए) कम्पनी ने वित्तीय प्रतिवेदन की तिथि को सरकार के अतिदेय ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में चूक की है, जो नीचे दर्शाया जा रहा है :-

(राशि रुपये में)

| उधार की प्रकृति, ऋण प्रतिभूतियों सहित | ऋणदाता का नाम | नियत तिथि पर भुगतान नहीं किया गया | मूलधन या ब्याज | दिनों की संख्या या चुकता नहीं | टिप्पणी, यदि कोई |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII–I दिनांक 02.07.2012 | भारत सरकार | 33,45,55,487/- | मूलधन एवं ब्याज दोनों | 06.07.2017 | |
| क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII–II दिनांक 02.07.2012 | | 9,24,54,661/- | | 06.07.2017 | |
| क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII–I दिनांक 18.03.2013 | | 32,74,08,960/- | | 23.03.2018 | |
| क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII–II दिनांक 18.03.2013 | | 3,75,62,330/- | | 23.03.2018 | |
| क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII–I दिनांक 19.09.2013 | | 48,34,26,220/- | | 20.07.2018 | |
| क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII–II दिनांक 16.09.2013 | | 9,04,40,540/- | | 20.07.2018 | |
| क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII–I दिनांक 12.03.2014 | | 29,70,77,893/- | | 15.03.2019 | |
| क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII–I दिनांक 12.03.2014 | | 3,22,91,075/- | | 15.03.2019 | |
| क्र.7(13)/2013/पी.ई.VII दिनांक 07.03.2014 | | 46,51,43,088/- | | 12.03.2022 | |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014 | | 39,02,75,824/- | | 10.10.2019 | |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014 | | 46,66,12,794/- | | 10.10.2019 | |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 20.01.2020 | | 27,13,94,907/- | | 21.01.2023 | |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 27.01.2022 | | 6,20,36,772/- | | 02.02.2023 | |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022 | | 4,84,37,596/- | | 31.03.2023 | |

(बी) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्त्ता घोषित नहीं किया गया है।

(सी) वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण स्वीकृत या वितरित नहीं किया गया है। मियादी ऋण उस उद्देश्य के लिये लागू किया गया था, जिसके लिये ऋण प्राप्त किये गये थे। इसलिये आदेश की धारा (ix)(सी) कम्पनी पर लागू नहीं है।

(डी) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी द्वारा हानि की पूर्ति हेतु अल्पावधि के आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया है।

(ई) कम्पनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है एवं इसलिये धारा (ix)(ई) लागू नहीं है।

(एफ) कम्पनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है एवं इसलिये धारा (ix)(एफ) लागू नहीं है।

(x) (ए) कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया।

(बी) कम्पनी ने वर्ष के दौरान अंशों या परिवर्तनीय ऋण पत्र (पूर्णरूपेण, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रारम्भिक आवंटन या निजी आवंटन किया है, जिसके लिये कम्पनी पंजीयक के साथ वैधानिक औपचारिकतायें अभी भी लंबित है।

(xi) (ए) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई;

(बी) कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत केन्द्र सरकार के साथ कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT 4 में हमारे द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है;

(सी) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारे मतानुसार चूँकि कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है एवं इसलिये आदेश की पैरा 3 की धारा (xii)(ए), (xii)(बी) एवं (xii)(सी) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

(xiii) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, व्यवहार, जो पार्टी से संबंधित है, जहाँ लागू है, अधिनियम की धारा 177 एवं धारा 188 के प्रावधानों का अनुपालन किया है एवं इस तरह के व्यवहार की विस्तृत जानकारी लेखा मानक संबंधित पार्टी के प्रकरण के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट कर दी गई है।

(xiv) (ए) हमारे मतानुसार कम्पनी के पास अंकेक्षण के दायरे एवं प्रबंधन द्वारा उठाये गये उपचारात्मक उपायों के संदर्भ में व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली नहीं है।

(बी) दिनांक 31.03.2023 को समाप्त तिमाही के लिये आंतरिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन हमें इस रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमने दिनांक 31.12.2022 को समाप्त अवधि तक आंतरिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार किया है।

(xv) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 192 में संदर्भित निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-रोकड़ व्यवहार नहीं किया है।

(xvi) (ए) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई.ए. के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सी.ओ.आर.) के बिना कम्पनी ने कोई भी गैर बाइंकिन वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं।

(सी) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों में परिभाषित कम्पनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कम्पनी (सी.आई.सी.) नहीं हैं।

(डी) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सी.आई.सी. नहीं है, इसलिये उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xvi)(डी) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xvii) कम्पनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपये 9,415.17 लाख एवं इसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रुपये 5,907.34 लाख की हानि वहन की थी।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) निदेशक मण्डल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी में, वित्तीय अनुपात, उम्रदराज एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियों तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी के आधार पर, हमारा मत है कि भौतिक अनिश्चितता अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि के अनुसार विद्यमान है कि कम्पनी तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को पूर्ण करने में सक्षम है एवं जब वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं।

(xx) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकता के अनुसार कम्पनी को कोई राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है एवं इसलिए पैरा 3 की धारा (xx) की उप-धारा (ए) एवं (बी) लागू नहीं होते हैं।

(xxi) चूंकि यह रिपोर्ट कम्पनी के स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में जारी की जा रही है, इसलिये उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xxi) लागू नहीं है।

**कृते फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**फर्म रजिस्ट्रेशन क्र.006600C/C400324**
**हस्ता./-**
**(सी.ए. विक्रम गुप्ते)**
**भागीदार**
**एम. क्रमांक 074814**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 28.08.2023**
**यू.डी.आई.एन. : 23074814BGSAHY3047**

**अनुलग्नक-बी**

**कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) में दिये शक्तियों के अनुपालन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्देशित अतिरिक्त मुद्दों पर अंकेक्षण अभिमत**

| क्र. | सी.ए.जी. निर्देश | अंकेक्षकों का निरीक्षण |
|---|---|---|
| 1. | क्या आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिये कम्पनी की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आई.टी. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख करें। | कम्पनी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिये फॉक्स प्रो का उपयोग करती है। सभी लेखांकन लेनदेन ऐसी आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित होते हैं। हमारे अंकेक्षण के दौरान हम आई.टी. प्रणाली से बाहर संसाधित किसी भी वित्तीय लेनदेन में नहीं आये हैं।<br>हम वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर निहितार्थता का पता नहीं लगा सकते हैं। |
| 2. | विद्यमान ऋण की कोई पुनर्संरचना है या छूट के किसी भी मामले/ऋण पत्र अपलेखन/ऋणों/ ब्याज आदि को कम्पनी द्वारा ऋण चुकाने के लिये कम्पनी को देय होने के कारण ऋण के लिये देय है, यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव दर्शायें। क्या ऐसे मामलों की ठीक से गणना की जाती है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के लिये भी लागू होता है)। | ऐसे कोई मामले नहीं हैं। |
| 3. | क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये निधि (अनुदान/ रियायत इत्यादि) प्राप्त/प्राप्य इसकी निबंधन एवं शर्त के अनुसार ठीक से लेखा/उपयोग के लिये थे? विचलन के मामले को सूचीबध्द करें। | केंद्र सरकार से विशिष्ट योजनाओं के लिये निधि (अनुदान/रियायत इत्यादि) प्राप्त की गई है और निधियों की यथोचित गणना के लिये/ उपयोग उसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है। |

**कृते फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**फर्म रजिस्ट्रेशन क्र.006600C/C400324**
**हस्ता./-**
**(सी.ए. विक्रम गुप्ते)**
**भागीदार**
**एम. क्रमांक 074814**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 28.08.2023**
**यू.डी.आई.एन. : 23074814BGSAHY3047**

**अनुलग्नक-सी**

**कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 की धारा (i) के अंतर्गत स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन**

हमने वर्ष समाप्ति के समय पर कम्पनी स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ के संयोजन में दिनांक 31.03.2023 पर नेपा लिमिटेड ("कम्पनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अंकेक्षित किया।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा में दर्शाये मार्गदर्शन टिप्पणी के आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य तत्वों को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शामिल कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन कसौटी पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित, कम्पनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं संभालने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में रुपरेखा बनाना, यथेष्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का क्रियान्वयन एवं देखरेख करना, कि वह अपने कार्य व्यापार के दक्ष मार्गदर्शन और क्रमानुरुप में सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रुप से प्रचालित कर रहे थे, शामिल कम्पनियों की नीतियों का आसंजन, इसकी परिसम्पतियों की सुरक्षा पर, धोखेबाजों अथवा त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की परिपूर्णता और परिशुध्दता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

**अंकेक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारे उत्तरदायित्व, हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय प्रतिवेदन पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, अभिमत को अभिव्यक्त करना है। हमने अंकेक्षण का आयोजन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत, नियत मानें और आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी अंकेक्षण पर मानक और वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुरुप किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के एक अंकेक्षक के विस्तृत लागू के लिये, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के एक अंकेक्षण के लिये दोनों लागू और आई.सी.ए.आई. द्वारा दोनों जारी किया गया है। दोनों मानक मार्गदर्शन टिप्पणी आवश्यक है कि समस्त माल के संबंधों में, क्या यथेष्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रणों पर स्थापित है, समुचित रखा गया है और अगर यथा नियंत्रण प्रभावी ढंग से प्रचालित हो, के बारे में हम नीतिगत विषयों और योजना एवं उचित आश्वासन पाने के लिये अंकेक्षण में अनुपालन करें।

हमारा अंकेक्षण, वित्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था की यथेष्टता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में, अंकेक्षण साक्ष्य को पाने के लिये प्रदर्शन प्रणाली में स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शामिल रहता है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारा अंकेक्षण जिसमें स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ को पाने, जोखिम का मूल्यांकन करना ताकि वस्तुगत कमजोरी निकल जाये, आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावीयता और रुपरेखा का मूल्यांकन करना, जाँच करना, शामिल है। चयन प्रक्रियाएँ अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जहाँ धोखा अथवा त्रुटि हो, स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के माल त्रुटि विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य वित्तीय प्रतिवेदन से अधिक स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रदान करते हैं।

**वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय**

सामान्यत: स्वीकृत लेखाविधि सिध्दांतों के अनुरुप बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनियता के संबंध में, एक उचित भरोसा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया की रुपरेखा बनाई गयी है। कम्पनी का स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन पर, जिसमें दोनों नीतियाँ और प्रणाली शामिल हैं, (1) अभिलेखों की समुचित देखभाल, उचित व विस्तृत जानकारी है, के संबंध में कम्पनी की परिसम्पत्तियों को हटाने और व्यवहार की पारदर्शिता और यथार्थ झलकता है; (2) उचित भरोसा प्रदान करना कि सामान्यत: स्वीकृत लेखा विधि के सिध्दांत के अनुपालन में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये अनुमति हेतु आवश्यकता पर व्यवहार दर्ज है और कम्पनी का व्यय और वह रसीद केवल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन की अधिकृतता के अनुसार बना है; तथा (3) कम्पनी की परिसम्पतियों की व्यवस्था करने की वित्तीय विवरणों पर माल प्रभाव अथवा प्रयोग, अनाधिकृत अभिव्यंजन का समय पर पता लगाना अथवा निवारण के संबंध में उचित भरोसा प्रदान करना।

**स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें**

चूँकि वित्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें, त्रुटि अथवा जालसाज के कारण माल विवरणों में दोष नियंत्रणों के अपर्याप्त प्रबंधन अति संचलन अथवा दुस्संधि की सम्भावनायें शामिल हैं, ध्यान में लाया जाये, जिसकी पड़ताल नहीं हुई है। वित्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के परियोजन, भविष्य के समय में जोखिम के अधीन है, की वित्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अवास्तविक हो सकता है। क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों में अनुपालन की डिग्री अथवा प्रणालियाँ बिगड़ सकती है।

**योग्य अभिमत**

हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अंकेक्षण के आधार पर, दिनांक 31.03.2023 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित प्रत्यक्ष कमजोरियों की पहचान की गई है :-

(ए) लेखा पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियाँ करने के संबंध में नियंत्रण पर्याप्त नहीं है तथा व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

(बी) कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में मालसूची कच्चे माल, लूज उपकरण, कलपुर्जों एवं तैयार माल शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों में दिखाई देते हैं, धीमी/अप्रचलित मालसूची की नियमित निगरानी के संदर्भ में सुधार करने की आवश्यकता है।

(सी) कम्पनी द्वारा प्रदत्त व्यवसाय प्राप्तियों एवं अग्रिमों से शेष राशि की पुष्टि की प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता है, कम्पनी को अभी भी प्राप्तियों की सही स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है।

(डी) कम्पनी की लेखा प्रणाली उपार्जित आय प्राप्य के तहत वर्गीकृत गृह किराये की उम्रदराज वसूली बढाने में सक्षम नहीं है।

(ई) परियोजना के लंबे कार्यकाल एवं कम्पनी द्वारा पर्याप्त व्यय के कारण कम्पनी को आर.एम.डी.पी. परियोजना के विक्रेताओं के साथ खाता शेष के सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है।

(एफ) बैंक लेनदेन लेखांकन की प्रक्रिया अपर्याप्त है। बैंक समाधान विवरण नियमित आधार पर तैयार नहीं किये गये। प्रविष्टियाँ वास्तविक समय के आधार पर अद्यतित नहीं की जाती हैं। बैंक प्रविष्टियों के लेखा-जोखा में पर्याप्त विलम्ब हुआ है। लेखांकन सॉफ्टवेयर में नियमित प्रविष्टियाँ नहीं की जाती हैं, सभी प्रविष्टियों को समेकित किया जाता है और दिनांक 31.03.2023 को पारित किया जाता है, जिसके कारण नियमित बैंक समाधान प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।

(जी) चेक बुक रजिस्टर का रखरखाव विभाग द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि सभी प्रविष्टियां सीधे संगणक सिस्टम में प्रविष्ट की जाती हैं। यदि चेक जारी किए गए हैं और सिस्टम में दर्ज नहीं किए गए हैं तो कोई नियंत्रण नहीं है।

(एच) पुस्तकों में लंबे समय से बकाया प्रारंभिक शेष हैं, जिसके लिये कम्पनी के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। इसे पुस्तकों में अपलिखित/पुनः लिखने की आवश्यकता है।

(आई) विभिन्न वित्तीय जानकारी विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध है, कम्पनी को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये आवश्यक समन्वय की कमी को सशक्त करने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत में वित्तीय समापन एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया की नियंत्रण व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

(जे) अखबारी कागज के विक्रय एवं क्रय से संबंधित समस्त प्रविष्टियाँ कम्पनी द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखा प्रणाली में एक ही दिन में दर्ज की जाती हैं, जिसके कारण लेन देन एवं संबंधित व्ययों तथा आय के गलत एवं अपूर्ण अभिलेखबध्द करने का जोखिम रहता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'प्रत्यक्ष कमजोरी' एक कमी है, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कम्पनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत उपयोग को समय के आधार पर रोका नहीं जायेगा या इसका पता नहीं लगाया जायेगा।

सभी विषयों में कम्पनी के ऊपर सूचीबद्ध विषयों को छोड़कर, दिनांक 31.03.2023 तक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाये रखा। भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन नोट में कहे गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुये कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण"], और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित सामग्री की कमजोरियों के प्रभाव/संभावित प्रभाव को छोड़कर, वित्तीय विवरण पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31.03.2023 तक प्रभावी ढंग से चल रहे थे।

हमने कम्पनी के वित्तीय विवरणों के दिनांक 31.03.2023 के अंकेक्षण में लागू प्रकृति, समयावधि और अंकेक्षण परीक्षण की सीमा निर्धारित करने और ऊपर बताई गई प्रत्यक्ष कमजोरियों पर विचार किया है, और ये प्रत्यक्ष कमजोरियाँ कम्पनी के स्वप्रमाणित वित्तीय विवरण पर हमारे योग्य अभिमत को प्रभावित नहीं करती हैं।

**कृते फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**फर्म रजिस्ट्रेशन क्र.006600C/C400324**
**हस्ता./-**
**(सी.ए. विक्रम गुप्ते)**
**भागीदार**
**एम. क्रमांक 074814**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 28.08.2023**
**यू.डी.आई.एन. : 23074814BGSAHY3047**

**नेपा लिमिटेड**

**नेपानगर (म.प्र.)**

**सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636**

**दिनांक 31.03.2023 को तुलन-पत्र**

**(रुपये लाख में)**

| विवरण | | नोट | 31.03.2023 को | 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **साम्य एवं देयतायें** | | | |
| **(1)** | **अंशधारकों की निधियाँ** | | | |
| | (ए) अंशपूँजी | "2" | **69,432.78** | 61,591.78 |
| | (बी) रिजर्व एवं अधिशेष | "3" | **(71.040.86)** | (60.461.22) |
| **(2)** | **आवंटन के लिये लम्बित अंश आवेदन राशि** | "4" | **3,000.00** | 10,841.00 |
| **(3)** | **गैर-चालू देयतायें** | | | |
| | (ए) दीर्घावधि ऋणी | "5" | **9,258.80** | 11,923.00 |
| | (बी) दीर्घावधि प्रावधान | "6" | **2,532.72** | 2,337.62 |
| **(4)** | **चालू देयतायें** | | | |
| | (ए) अल्पावधि ऋणी | "7" | **15,421.20** | 12,757.00 |
| | (बी) व्यवसाय देय | "8" | | |
| | (I) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों की बकाया राशि | "8ए" | **654.01** | 11.02 |
| | (II) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि | "8बी" | **1,083.99** | 1,022.73 |
| | (सी) अन्य चालू देयतायें | "09" | **29,910.30** | 26,421.24 |
| | (डी) अल्पावधि प्रावधान | "10" | **164.43** | 343.24 |
| | **कुल योग** | | **60,417.37** | 66,787.41 |
| **II** | **परिसम्पतियाँ** | | | |
| **(1)** | **गैर-चालू परिसम्पतियाँ** | | | |
| | (ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपतियाँ | "11" | | |
| | (i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | "11ए" | **38,607.31** | 1,426.88 |
| | (ii) चल रहे पूँजीगत कार्य | "11बी" | **475.26** | 35,971.64 |
| | (iii) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्ति (ई.आर.पी.) | "11सी" | **4.70** | -- |
| | (बी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम | "12" | **25.77** | 28.70 |
| | (सी) अन्य गैर चालू परिसम्पतियाँ | "13" | **50.54** | 50.38 |
| **(2)** | **चालू परिसम्पतियाँ** | | | |
| | (ए) मालसूची | "14" | **3,949.31** | 445.08 |
| | (बी) व्यवसाय प्राप्य | "15" | **498.45** | 411.68 |
| | (सी) नकद एवं बैंक शेष | "16" | **10,073.10** | 23,230.23 |
| | (डी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम | "17" | **6,120.27** | 4,804.82 |
| | (ई) अन्य चालू परिसम्पतियाँ | "18" | **612.66** | 418.01 |
| | **कुल योग** | | **60417.37** | 66787.41 |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ | | "01" | | |
| वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ | | "02" से "48" | | |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**एफ.आर.एन. : 006600सी/सी400324**
**हस्ता./-**
**सी.ए. विक्रम गुप्ते**
**भागीदार**
**एम. क्रमांक 074814**
**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 28.08.2023**

**निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लिये**

**हस्ता./-**
**(प्रदीप कुमार नाईक)**
**निदेशक (वित्त)**
**(अतिरिक्त प्रभार)**
**डी.आई.एन. 08676709**

**हस्ता./-**
**(कमोडोर सौरभ देब)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
**डी.आई.एन. 09068496**

**हस्ता./-**
**(सुश्री पूर्णिमा पाराशर)**
**कम्पनी सचिव**
**एम.क्र. ए36079**

**हस्ता./-**
**(छबिनाथ वर्मा)**
**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

**नेपा लिमिटेड**

**नेपानगर (म.प्र.)**

**सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636**

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि विवरण**

**(रुपये लाख में)**

| विवरण | नोट | समाप्त अवधि दिनांक 31.03.2023 | समाप्त अवधि दिनांक 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| I प्रचालन से राजस्व | "19" | **2,717.17** | 2,069.90 |
| II अन्य आय | "20" | **1,351.55** | 1,015.40 |
| **III कुल राजस्व** | | **4,068.72** | 3,085.38 |
| **IV व्यय** | | | |
| (ए) प्रयुक्त सामग्री की लागत | "21" | **2,875.24** | -- |
| (बी) व्यवसाय में स्टॉक का क्रय | "22" | **1,607.73** | 1,213.77 |
| (सी) निर्मित माल एवं व्यवसाय में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन | "23" | **(2,559.35)** | (53.52) |
| (डी) कर्मचारी हित लाभ व्यय | "24" | **3,097.71** | 2,230.55 |
| (ई) वित्तीय लागत | "25" | **4,867.48** | 4,394.14 |
| (एफ) पूर्वावधि व्यय सहित मूल्यह्रास और परिशोधन रुपये 0.26 लाख | "11" | **1,164.43** | 82.55 |
| (जी) अन्य व्यय | "26" | **3,151.46** | 1,207.69 |
| **कुल व्यय** | | **14,204.69** | 9,075.18 |
| (V) विशेष एवं असाधारण मदों के पूर्व लाभ/(हानि) | | **(10,135.97)** | (5,989.89) |
| (VI) विशेष/असाधारण मदें (रुपये 475.36 लाख की पूर्वावधि मदों सहित) (नोट 45 देखें) | | 443.63 | -- |
| (VII) असाधारण मदें एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | **(10,579.60)** | (5,989.89) |
| (VIII) असाधारण मदें | | | |
| (IX) कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | **--** | -- |
| **(X) कर व्यय** | | | |
| वर्तमान कर | | **--** | -- |
| विशेष कर | | **--** | -- |
| (XI) प्रचालन जारी रखने की अवधि के लिये लाभ/(हानि) | | **(10,579.60)** | (5,989.89) |
| (XII) प्रचालन बंद करने की अवधि के लिये लाभ/(हानि) | | **--** | -- |
| (XIII) बंद प्रचालन के लिये कर व्यय | | **--** | -- |
| (XIV) प्रचालन बंद करने की अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर के पश्चात) | | **--** | -- |
| (XV) कर के पश्चात् लाभ/(हानि) | | **(10,579.60)** | (5,989.89) |
| **आय प्रति साम्य अंश** | | | |
| मूल | | **(0.96)** | (0.56) |
| डायल्यूटेड | | **(0.96)** | (0.56) |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ | "01" | | |
| वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ | "02" से "48" | | |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**एफ.आर.एन. : 006600सी/सी400324**
**हस्ता./-**
**सी.ए. विक्रम गुप्ते**
**भागीदार**
**एम. क्रमांक 074814**
**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 28.08.2023**

**निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लिये**

**हस्ता./-**
**(प्रदीप कुमार नाईक)**
**निदेशक (वित्त)**
**(अतिरिक्त प्रभार)**
**डी.आई.एन. 08676709**

**हस्ता./-**
**(कमोडोर सौरभ देब)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
**डी.आई.एन. 09068496**

**हस्ता./-**
**(सुश्री पूर्णिमा पाराशर)**
**कम्पनी सचिव**
**एम.क्र. ए36079**

**हस्ता./-**
**(छबिनाथ वर्मा)**
**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

**नेपा लिमिटेड**

**नेपानगर (म.प्र.)**

**सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636**

**दिनांक 31.03.2023 तक समाप्त वर्ष के लिये रोकड़ प्रवाह विवरण**

**(रुपये लाख में)**

| | विवरण | समाप्त वर्ष 31.03.2023 | समाप्त वर्ष 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| **ए.** | **"प्रचालन गतिविधियों" से संबंधित रोकड़ प्रवाह** | | |
| | असाधारण मदों एवं कर के पूर्व शुध्द लाभ/(हानि) | (10,579.60) | (5,989.89) |
| | **के लिये समायोजन** | | |
| | अर्जित ब्याज | (786.05) | (611.10) |
| | मूल्यह्रास | 1,164.43 | 82.55 |
| | प्रावधान एवं देयतायें पुनः लिखे गये | (31.74) | (19.43) |
| | स्थायी परिसम्पत्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानी | -- | 1.26 |
| | ब्याज एवं वित्तीय प्रभार | 4,867.48 | 4,394.14 |
| | | **(5,365.48)** | **(2,142.47)** |
| | **प्रचालन लाभ (कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के पूर्व)** | | |
| | मालसूचियाँ (बढ़ोत्तरी)/कमी | (3,472.55) | 87.77 |
| | व्यवसाय एवं अन्य अभिग्राह्य (बढ़ोत्तरी)/कमी | (86.77) | (94.02) |
| | अन्य बैंक शेष (बढ़ोत्तरी)/कमी | 7,400.65 | 3,012.51 |
| | अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (बढ़ोत्तरी)/कमी | (1,856.00) | (1,049.57) |
| | अन्य चालू परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/कमी | (30.21) | (118.88) |
| | व्यवसाय देय बढ़ोत्तरी/(कमी) | 704.25 | 74.51 |
| | प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/(कमी) | 16.25 | 1.40 |
| | अन्य चालू देयताओं में बढ़ोत्तरी/(कमी) | (1,369.73) | 3,359.76 |
| | | 1,305.90 | 5,273.47 |
| | आय कर दत्त | -- | -- |
| | **प्रचालन गतिविधियों से नकद की प्राप्ति (ए)** | **(4,059.58)** | **3,131.00** |
| **बी.** | **विनियोजन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | |
| | संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का (क्रय)/विक्रय | (77.00) | (11.38) |
| | पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना में विनियोग (सी.डबल्यू.आई.पी.) | (2,230.93) | (4,279.89) |
| | विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ का (क्रय)/विक्रय | (4.70) | -- |
| | दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में (बढ़ोत्तरी)/कमी | 2.93 | 279.86 |
| | स्थायी जमा में (बढ़ोत्तरी)/कमी | 1,969.07 | (2,205.96) |
| | अर्जित ब्याज | 621.61 | 611.10 |
| | **विनियोजन गतिविधियों से नकद की प्राप्ति (बी)** | **280.98** | **(5,606.26)** |
| **सी.** | **वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | |
| | बैंक अधिविकर्ष | -- | (400.41) |
| | वर्ष के दौरान सब्सिडी रिजर्व से अंतरण | 0.05 | 0.05 |
| | भारत सरकार ऋण से प्राप्ति | 0.00 | 3163.99 |
| | ब्याज एवं वित्तीय प्रभार दत्त | (8.70) | (4,394.14) |
| | अंश आवेदन राशि से प्राप्ति | -- | 7,841.00 |
| | **वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह (सी)** | **(8.65)** | **6,210.49** |
| | **रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्यों में शुध्द अंतर्वहन/बहिर्गमन (ए-बी-सी)** | (3,787.25) | 3,735.23 |
| जोड़े : | प्रारम्भिक रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य | 4,169.84 | 434.61 |
| | अंतिम रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य | **382.59** | **4,169.84** |

**नोट :-**

1. उपरोक्त निधि प्रवाह विवरण "परोक्ष प्रणाली" के तहत् तैयार किये गये है। जैसा कि लेखा विधि मानक - 3 रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रदर्शित है।
2. तुलन पत्र के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष की राशि रुपये 10073.10 लाख में रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य के रुपये 382.59 लाख (गत वर्ष के रुपये 4169.84 लाख) और अन्य बैंक शेष रुपये 9690.50 लाख (गत वर्ष के रुपये 19060.39 लाख) सम्मिलित है।
3. गत वर्ष के आंकड़े, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनः दर्शाये/पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**एफ.आर.एन. : 006600सी/सी400324**
**हस्ता./-**
**सी.ए. विक्रम गुप्ते**
**भागीदार**
**एम. क्रमांक 074814**
**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 28.08.2023**

**निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लिये**

**हस्ता./-**
**(प्रदीप कुमार नाईक)**
**निदेशक (वित्त)**
**(अतिरिक्त प्रभार)**
**डी.आई.एन. 08676709**

**हस्ता./-**
**(कमोडोर सौरभ देब)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
**डी.आई.एन. 09068496**

**हस्ता./-**
**(सुश्री पूर्णिमा पाराशर)**
**कम्पनी सचिव**
**एम.क्र. ए36079**

**हस्ता./-**
**(छबिनाथ वर्मा)**
**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

## दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

**नोट क्रमांक 01**

**निगमित जानकारी**

नेपा लिमिटेड (कम्पनी) भारत की एक अग्रणी अखबारी कागज बनाने वाली कम्पनी 30000 टी.पी.ए. की संस्थापित क्षमता के साथ आरम्भ हुई है, जो मध्यप्रदेश में बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इस मिल को दिनांक 26.04.1956 को राष्ट्र को समर्पित किया था। कम्पनी ने चरणबध्द तरीके से वर्तमान संस्थापित क्षमता 88000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तार किया।

संस्थान की तकनीक एवं संयंत्र पांच दशक से अधिक पुराने हैं और प्रचालन में व्यवरोध/अड़चनें थी। वर्ष 1996 में म.प्र.वि.मं. (मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल) द्वारा विद्युत आपूर्ति विसंयोजन कर देने और वनोपज कच्चेमाल की अत्यधिक कमी के कारण वर्ष 1997 से कम्पनी डी.आई.पी. (डी-इंकिंग प्लांट) के बिना, जो स्याही वाले रिकवर्ड पेपर की प्रक्रिया के लिये आवश्यक है, रिकवर्ड पेपर की रिसाइकलिंग की ओर मुड़ी, जिसके कारण कम्पनी लगातार घाटे में चली गई।

कम्पनी ने मार्च 2014 में बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुध्दार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) को दिनांक 22.08.2022 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। कम्पनी को पुनर्जीवित करने एवं वित्तीय संकट को कम करने के लिये आर.एम.डी.पी. के अंतर्गत एक नये 300 टी.पी.डी. डी-इंकिंग प्लांट की स्थापना एवं पेपर मशीन तथा कैप्टिव पावर प्लांट का नवीनीकरण किया गया है।

**महत्वपूर्ण लेखा विधि नीतियाँ**

**1. तैयारी एवं प्रस्तुति का आधार**

कम्पनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के आकस्मिक एवं लेखा मानकों के साथ निर्दिष्ट ऐतिहासिक लागत एवं चिंता के आधार पर तथा सामान्यत: भारत में स्वीकार्य लेखा सिध्दांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किये जा चुके हैं। कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, जिसे कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पढ़ा जायें, के अंतर्गत लेखा विधि मानकों के संबंधित सामग्री के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार कर चुकी है।

लेखा नीति कम्पनी द्वारा निरंतर लागू है और पिछले वर्ष में भी निरंतर प्रयोग हुआ है। समस्त परिसम्पत्तियाँ और देयतायें चालू और गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत हैं। कम्पनी के प्रचालन तंत्र और अन्य मानदण्ड अनुसूची III, समतुल्य रोकड़ सूची और रोकड़ तथा प्रक्रियाधीन एक लिये उत्पाद की प्रकृति और समय एवं परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के बीच है। कम्पनी 12 महीने के इसके प्रचालन तंत्र के रुप में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के चालू तथा गैर-चालू वर्गीकरणों के उद्देश्य के लिये सुनिश्चित कर चुकी है।

**2. प्राक्कलन का उपयोग**

वित्तीय विवरण की तैयारी में सामान्यत: भारत में स्वीकार्य लेखा सिध्दांतों (जी.ए.ए.पी.) अनुमान एवं पूर्वानुमान के साथ अनुरुपता है, जो परिसम्पत्तियों और दायित्वों की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करने एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का खुलासा एवं वित्तीय विवरणों की तिथि पर दायित्वों को प्रभारित करते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

**3. परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.)**

**(i) मान्यता एवं मापन**

पी.पी.ई. को करों/शुल्कों की लागत के आधार पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है, क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है, यदि कोई हो, तथा बाद में कम संचित मूल्यह्रास एवं संचित हानि नुकसान, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

पी.पी.ई. की लागत में अर्हक परिसम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या प्रस्तुतीकरण के लिये सीधे जिम्मेदार ऋणी लागत सम्मिलित है। अर्हक परिसम्पत्ति वे परिसम्पत्तियाँ हैं जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिये तैयार होने के लिये पर्याप्त समय लेती हैं।

पी.पी.ई. की परिभाषा को पूरा करने वाले मशीनरी पुर्जों को परिसंपत्ति के प्रमुख मद के उपयोगी जीवनकाल पर पूँजीकृत एवं मूल्यह्रास किया जाता है।

संयंत्र एवं मशीनरी के साथ क्रय किये गये कलपूर्जों या इसके पश्चात जो मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, को ऐसे मदों की परिसम्पत्ति की वहन राशि में पूँजीकृत एवं जोड़ा जाता है। उन कलपूर्जों की वहन राशि को बदल दिया जाता है, जब उनके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं की जाती है। अन्य मशीनरी पुर्जों को भंडार और पुर्जों के रूप में मालसूचियों का भाग माना जाता है।

फुटकर औजारों को जारी किये जाने वाले वर्ष में उपभोग करने के लिये उनके जीवनकाल के बावजूद प्रभारित किया जाता है।

**(ii) अनुवर्ती व्यय**

अनुवर्ती लागत को परिसम्पत्ति की वहन राशि में सम्मिलित किया जाता है या एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में पहचाना जाता है, जब उचित हो, तभी यह संभव है कि मदों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे एवं मदों की लागत को स्थायिता से मापा जा सकता है। प्रतिवेदन अवधि के दौरान लाभ या हानि विवरण के लिये अन्य समस्त मरम्मत एवं रखरखाव का शुल्क लिया जाता है जिसमें वे सम्मिलित होते हैं।

**(iii) अमान्यता**

पी.पी.ई. के एक मद को निपटान पर या जब किसी भविष्य के आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं की जाती है तो मद के निरंतर उपयोग से उत्पन्न होता है। पी.पी.ई. के मद के निपटान या निवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को विक्रय की आय एवं राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है तथा यह उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में पी.पी.ई. की अमान्यता प्राप्त है।

**(iv) मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास की गणना सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करके कम्पनी अधिनियम के अनुसार 95% अधिगृहण लागत पर परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मदों की लागत पर की जाती है। शेष राशि का 5% मूल्य पुस्तकों में रखा गया है।

तथापि, निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के विषय में, जिनके उपयोगी जीवन का निर्धारण प्रबंधन द्वारा तकनीकी आँकलन के आधार पर किया गया है, इस प्रकार है :-

| परिसम्पत्ति का प्रकार | मूल्यह्रास के लिये अवधि |
|---|---|
| संयंत्र एवं मशीनरी तथा वाटर वर्क्स | 18 वर्ष |
| रेलवे साइडिंग | 18 वर्ष |
| डीज़ल जनरेटर सेट | 10 वर्ष |
| ट्रेक्टर एवं तेल इंजन | 10 वर्ष |
| अग्निशमन उपकरण | 10 वर्ष |

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन तथा परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्यह्रास के पद्धतियों की समीक्षा की जाती है और यदि उचित हो, तो समायोजित किया जाता है।

**4. अमूर्त परिसम्पत्तियाँ**

**प्राप्त अमूर्त**

अमूर्त परिसम्पत्तियों को प्रारम्भ में लागत पर आंका जाता है। इस तरह की अमूर्त परिसम्पत्तियाँ बाद में लागत कम संचित परिशोधन एवं किसी भी संचित हानि नुकसान पर आंकी जाती है।

**अनुवर्ती व्यय**

अनुवर्ती व्यय को तभी पूँजीकृत किया जाता है, जब यह उस विशिष्ट परिसम्पत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है जिससे यह संबंधित होता है। अन्य समस्त व्यय, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है जब कभी व्यय किया जाता है।

**परिशोधन**

परिशोधन की गणना अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी मूल्यों से कम करने के लिये की जाती है, जो कि सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करके उनके अनुमानित उपयोगी जीवन से कम है और इसे लाभ एवं हानी विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन में सम्मिलित किया गया है।

परिशोधन विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उपयुक्त होने पर समायोजित की जाती है।

**अमान्यता**

एक अमूर्त परिसम्पत्ति की अमान्यता से उत्पन्न होने वाले नुकसान या नुकसान को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में आंका जाता है तथा परिसम्पत्ति के अमान्य होने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

**5. चल रहे पूँजीगत कार्य**

(i) निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों पर व्यय (आर.एम.डी.पी. परियोजना सहित) चल रहे पूँजीगत कार्य के तहत लागत पर किया जाता है। इस तरह की लागतों में आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य करों सहित परिसम्पत्ति का क्रय मूल्य सम्मिलित हैं, व्यापार छूट और छूट में कटौती के पश्चात तथा लागत जो सीधे स्थान के लिये परिसम्पत्ति लाने के लिये और इसके लिये आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा संचालित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिये आवश्यक हैं।

(ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिये सीधे जिम्मेदार लागत में कर्मचारियों के लाभों की लागत, सर्वेक्षण और परियोजनाओं की जांच गतिविधियों के संबंध में व्यय, साइट की तैयारी लागत, प्रारंभिक वितरण और हैंडलिंग शुल्क, स्थापना और विधानसभा लागत, पेशेवर शुल्क, उन्नयन पर व्यय, आम जनता की सुविधाओं के अलावा, परियोजना के निर्माण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज और परियोजनाओं के निर्माण के लिये अन्य लागतें शामिल हैं। इस तरह की लागत 'चल रहे पूँजीगत कार्य' के तहत जमा होती है एवं बाद में परियोजनाओं के प्रवर्तन पर भूमि तथा बुनियादी सुविधाओं के अलावा प्रमुख परिसम्पत्तियों पर व्यवस्थित रूप से आवंटित की जाती है।

(iii) सुविधाओं के निर्माण के लिये किया गया पूँजीगत व्यय, जिस पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन परियोजनाओं के निर्माण के लिये मुख्य रूप से निर्माण आवश्यक है, को 'चल रहे पूँजीगत कार्य' और ए.एस. 16-परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण विशेषता क्षमता तथा 'मापन की ईकाई' के मद्देनजर, परियोजनाओं के प्रवर्तन पर, भूमि एवं संरचना सुविधाओं के अलावा अन्य प्रमुख परिसम्पत्तियों के आधार पर बाद में व्यवस्थित रूप से आवंटित किया जाता है। परियोजना के पूरा होने के पश्चात इस तरह की प्रकृति का व्यय, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

**6. मालसूची**

(i) मालसूची की मदों को अप्रचलन के लिये प्रदान करने के पश्चात लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर आंका जाता है, यदि कोई हो। मालसूची की लागत में क्रय की लागत, परिवर्तन की लागत एवं निर्माण लागत सहित अन्य वसूली योग्य करों के शुध्द उपरिव्यय को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में सम्मिलित हैं।

(ii) कच्चे माल, भण्डार एवं पुर्जों, पैकिंग सामग्री तथा अन्य उत्पादों के मामले में उपयोग की जाने वाली लागत सूत्र भारित औसत लागत है।

(iii) मार्गस्थ कच्चा माल, मार्गस्थ स्टोर एवं निरीक्षणाधीन, कल पुर्जे, प्रक्रिया में स्टॉक, मालसूची प्रत्यक्षत: आरोपणीय लागत के सिध्दांत पर मूल्यांकित की जाती हैं।

(iv) पेट्रोल, डीज़ल, स्नेहक तेल एवं अतिरिक्त प्रीमियम पेट्रोल के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर लागत पर किया जाता है।

(v) कोले के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(vi) स्क्रैप के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन (विक्रय मूल्य विक्रय पर किसी भी व्यय को घटाकर) शुध्द वसूली योग्य मूल्य के रूप में किया जाता है।

(vii) कोल सिंडर का भण्डारण और स्क्रैप का मूल्यांकन अनुमानित प्राप्य मूल्य के सिध्दांत पर किया जाता है। अनुमानित प्राप्य मूल्यगत वित्तीय वर्ष की तिमाही के दौरान विक्रय की गई मात्रा की औसत दर है। यदि पिछली तिमाही में कोई विक्रय नहीं आया, तब पिछली तिमाही की औसत दर का मूल्यांकन के लिये विचार किया गया है।

(viii) अखबारी कागज के स्व-उपभोग एवं अस्वीकृत पुराने स्टॉक को फिर से पल्पिंग करने के लिये कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(ix) मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली कमी/अधिकता को उपभोग के लिये समायोजित किया जाता है।

(x) बीमा पुर्जों को छोड़कर भण्डार एवं पुर्जों की मदों के संबंध में जो पांच साल से अधिक समय तक नहीं चले हैं, अप्रचलन भत्ता के लिये पूर्ण प्रावधान बनाया गया है।

**7. विदेशी विनिमय व्यवहार**

(i) विदेशी मुद्राओं में संप्रेषित लेन-देन सामान्य रूप से लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं।

(ii) वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में निगमित की गई मौद्रिक मदों को समापन विनिमय दर पर अनुवादित किया जाता है और परिणामी विनिमय अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

**8. राजस्व मान्यता**

राजस्व को सामग्री एवं सेवा कर की मान्यता प्राप्त है, इस सीमा तक रिबेट एवं छूट तथा वैट मिलता है कि यह संभव है कि कम्पनी को आर्थिक लाभ होगा तथा राजस्व को मज़बूती से आंका जा सकता है।

आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

**9. अनुसंधान एवं विकास**

अनुसंधान एवं विकास व्यय, प्रयोगशाला सुविधा पर होने वाले व्यय और संबंधित स्टॉफ वेतन व्यय अनुसंधान एवं विकास व्यय के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किये गये हैं।

**10. आर्थिक सहायता एवं अनुदान**

राजस्व प्रकृति की अनुवृत्ती एवं अनुदान को मान्यता दी जाती है जहां उचित आश्वासन होता है कि उद्यम उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगा और जहां उद्यम द्वारा इस तरह के लाभ अर्जित किये गये हैं तथा यह तर्कसंगत रूप से निश्चित है कि अंतिम संग्रह किया जायेगा। मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड से प्राप्त आर्थिक सहायता को लाभ हानि विवरण में स्थानांतरित की गई शुध्द राशि दर्शाई गई है। स्कूल स्टाफ के वेतन के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त सहायता को शाला व्यय से शुध्द वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में अन्य व्ययों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

**11. क्रय एवं विक्रय के अनुबंध से उत्पन्न दावे**

आपूर्ति और सेवाओं के लिये विक्रेता/ठेकेदारों को प्राप्त योग्य या उन्हें देय दावें जो परिसमापन, नुकसान में बढ़ोत्तरी, ब्याज इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई है तथा जहाँ सम्बन्धित क्रय/कार्य आदेश की शर्तों के तहत् प्रदान नहीं किये गये हैं उनका समावेश अंतिम निपटारे के समय रखा गया है। विक्रय के ठेके के लिये ऐसे ही समान दावों का समावेश अंतिम निपटारे के आधार पर रखा गया है।

**12. व्ययों का विनियोजन**

कोयला, भण्डारों और कल पूर्जों को वास्तविक उपभोग के आधार पर विभिन्न व्यय मदों जैसे ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण व्यय, मरम्मत और अनुरक्षण में निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार स्थापना संबंधी खर्चों को वास्तविक आधार पर नगरीय और सामाजिक उपरिव्यय एवं अन्य प्रकार के खर्चों में निर्धारित किया गया है।

**13. ऋणी लागत**

ऋणी लागत, जो विशेषक परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण के लिये सीधी आरोपणीय है, को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत के भाग के रुप में पूँजी में परिणत किया गया है। विशेषक परिसम्पत्ति वह है, जो अपने अभीष्ट उपयोग के लिये तैयार रहने के लिये आवश्यक रुप से पर्याप्त समयावधि लेती है। अन्य सभी ऋणी लागत लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि के लिये प्रभारित की गई है, जिनमें वे लिये गये हैं।

**14. कर्मचारी हित लाभ व्यय**

**अल्पावधि कर्मचारी हित लाभ**

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय समस्त कर्मचारी हित लाभों को अल्पावधि कर्मचारी हित लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण के रूप में एक आकस्मिक आधार पर अघोषित राशि पर व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

**परिभाषित हित लाभ योजनायें**

(i) कम्पनी की उपादान हित लाभ योजना परिभाषित हित लाभ योजना है। कम्पनी की उपादान योजना के संबंध में शुध्द बाध्यता भविष्य की हित लाभ की राशि के अनुसार यह कि कर्मचारी ने जो कमाया यह उनकी वर्तमान एवं पूर्ण अवधि की सेवाओं के लिये वापसी है, पर परिकल्पित है। योजना परिसम्पत्तियों के वर्तमान मूल्य एवं उचित मूल्य के निर्धारण करने में कटौती के लिये हित लाभ में छूट दी गई है।

(ii) उपयुक्त परिभाषित योजना के तहत् बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण परियोजना इकाई प्रत्यय पध्दति को अपनाते हुये बीमांकिक आधार पर किया गया है।

(iii) बाध्यता का मापन भविष्य की अनुमानित रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापन किया गया है। परिभाषित हित लाभ योजना के तहत बाध्यता के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिये उपयोग की गई कटौती दर तुलन पत्र की तिथि पर सरकार की प्रतिभूतियों पर बाजार वृध्दि पर आधारित है।

(iv) बीमांकिक लाभ एवं हानियों को तुरंत वर्ष के अंत में बनने वाले लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात किया गया है।

(v) उपदान एवं अन्य रोजगार पश्चात लाभों के संबंध में देयता की गणना अनुमानित इकाई प्रत्यय पध्दति का उपयोग करके की जाती है और उस अवधि में फैलती है जिसके लाभ कर्मचारियों की सेवाओं के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है।

**परिभाषित अंशदान योजनायें**

भविष्य निधि आयुक्त द्वारा प्रशासित अंशदायी भविष्य निधि परिभाषित अंशदान योजना है। योजनाओं के तहत दत्त/देय कम्पनी के योगदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा कम्पनी स्वैच्छिक अंशदान के रूप में कर्मचारियों के लिये कर्मचारी डी-लिंक बीमा का भुगतान करती है।

**15. रोकड़ प्रवाह विवरण**

रोकड़ प्रवाह विवरण "लेखा विधि स्तर में अप्रत्यक्ष सिध्दांत 3" को प्रयोग करते हुये तैयार किया गया है। "रोकड़ प्रवाह विवरण", जो कम्पनी के प्रचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करता है।

**16. कर निर्धारण**

(i) चालू करों का मापन लागू कर दरों एवं कर नियमों का उपयोग कर रहे कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि (से वसूली) पर किया गया है।

(ii) सभी समय के अंतरों के लिये पुस्तकों में आस्थगित कर को मान्यता दी जानी है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी अवधि के लिये वित्तीय विवरणों को उस अवधि में होने वाले सभी लेनदेन के कर प्रभाव, चाहे वर्तमान हो या आस्थगित, को मान्यता देना पहचानना चाहिये।

तथापि, आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता दी जानी चाहिये एवं केवल इस हद तक आगे बढ़ाया जाना चाहिये कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूध्द ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ साधित हो सकती है।

इस प्रकार कम्पनी ने कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के कारण कम्पनी को आस्थगित कर के लिये प्रदान नहीं किया है, जिससे व्यवसाय हानि और अपघटित मूल्यह्रास किया गया है क्योंकि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो, जिसके विरूध्द ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ साधित हो सकती है, किया गया हो।

**17. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ**

(i) प्रावधान खातों में तब मान्य है जब पुरानी घटनाओं के परिणामस्वरुप वर्तमान बाध्यता हो और यह सम्भावना है कि बाध्यता की पूर्ति और एक तर्कसंगत अनुमान मिल सके, इसके लिये संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक है। प्रावधान उनकी वर्तमान मूल्य पर अगणनीय है और प्रतिवेदित तिथि के समय बाध्यता की पूर्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ आवश्यक अनुमान के आधार पर निर्धारित है। ये अनुमान प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर पुनरीक्षित है और चालू श्रेष्ठ अनुमानों को प्रकट करने के लिये समायोजित किये हैं।

(ii) आकस्मिक देयतायें सम्भावित बाध्यता है, जो पुरानी घटनाओं से उत्पन्न है, जिनकी विद्यमानता एक अथवा अधिक अनिश्चित भविष्य की घटना है, जो कम्पनी अथवा वर्तमान बाध्यता के नियंत्रण से परे उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा पुष्टि होगी, जो मान्य नहीं है, क्योंकि यह सम्भावना नहीं है कि बाध्यता की पूर्ति हेतु संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा। आकस्मिक देयतायें भी नितांत ही बिरले प्रकरण में उत्पन्न होती है, जहाँ यह दायित्व है कि जिसे मान्य नहीं कर सकते क्योंकि इसका मापन तर्कसंगत नहीं हो सकता। कम्पनी ने आकस्मिक देयतायें मान्य नहीं किये है, परंतु वित्तीय विवरणों में इनका खुलासा किया है।

(iii) आकस्मिक परिसम्पत्तियों को न तो मान्य किया है और न ही वित्तीय विवरणों में खुलासा किया है।

**18. प्रति साम्य अंश अर्जन**

कम्पनी अपने सामान्य अंशों के लिये मूल और तनूकृत अर्जन प्रति अंश (ई.पी.एस.) आधार सामग्री प्रस्तुत करती है। अवधि के दौरान बकाया साधारण अंशों की भारित औसत संख्या के आधार पर कम्पनी के सामान्य अंशधारकों के लिये लाभ या हानि को विभाजित करके मूल ई.पी.एस. की गणना की जाती है। तनूकृत ई.पी.एस. सामान्य अंशधारकों के कारण लाभ या हानि को समायोजित करके एवं सभी संभावित तनुकृती सामान्य अंशों के प्रभावों के लिये समायोजन के पश्चात शेष सामान्य अंशों की भारित औसत संख्या को निर्धारित किया जाता है।

**19. पट्टे**

पट्टेदार के रूप में कम्पनी पट्टों को वर्गीकृत करती है, जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे के कार्यकाल पर स्वामित्व के सभी अधिकारों एवं लाभों को काफी हद तक बनाये रखता है। प्रचालन पट्टा किराये को पट्टा अवधि से अधिक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

**20. प्रचालन चक्र**

कम्पनी अपने प्रचालन चक्र के आधार पर चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कम्पनी ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में बारह माह की मान्यता दी है।

**ए. किसी परिसम्पत्ति को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब :-**

(ए) सामान्य प्रचालन चक्र में मान्य किये जाने या विक्रय किये जाना या उपभुक्त होना अपेक्षित हो;

(बी) मुख्य रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिये रखी हो;

(सी) प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर मान्य किया जाना अपेक्षित हो; अथवा

(डी) प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह के लिये विनिमय करने या देयता का निपटान करने हेतु उपयोग करने से प्रतिबंधित होने तक रोकड़ या रोकड़ समतूल्य।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**बी. देयता चालू है जब :-**

(ए) यह सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित होना अपेक्षित हो;

(बी) यह मुख्य रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिये रखी हो;

(सी) यह प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर व्यवस्थित होने के कारण हो; अथवा

(डी) प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह के लिये देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**21. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत**

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु अनुमानों एवं निर्णयों को बनाने के लिये प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि तथा प्रस्तुत अवधियों के लिये आय एवं व्यय की रिपोर्ट के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देनदारियों तथा प्रकटीकरण की प्रतिवेदित की गई शेष राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम विभिन्न मान्यताओं एवं शर्तों पर विचार करने वाले अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान एवं अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन के कारण प्रभाव उस अवधि में माने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किये जाते हैं एवं भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

**(i) व्यवसाय प्राप्य की प्राप्तता**

व्यवसाय प्राप्तियों का हानि प्रावधान चूक एवं अवधि के जोखिम के संबंध में मान्यताओं पर आधारित है। कम्पनी पूर्व वृतांत, विद्यमान बाजार स्थितियों एवं साथ ही प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर मान्यताओं को बनाने में निर्णयों का उपयोग करती है।

**(ii) प्रावधान**

प्रावधान और दायित्व उस अवधि में माने जाते हैं जब यह संभव हो जाता है कि पिछले कार्यों या घटनाओं के परिणामस्वरूप धन का भविष्य में बहिर्वाह होगा एवं नकद बहिर्वाह की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। दायित्व की मान्यता एवं मात्रा निर्धारण के समय को विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के लिये निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकता है। प्रावधानों एवं देनदारियों की मात्रा की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा बदलते तथ्यों एवं परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है।

**नेपा लिमिटेड**

**नेपानगर (म.प्र.)**

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ**

**नोट क्रमांक 02**

**अंशपूँजी** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| **I** | **प्राधिकृत अंश पूँजी** | | |
| | (ए) 1,29,83,40,000 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- | | |
| | (गत वर्ष 108,00,00.000 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- | 64,917.00 | 54,000.00 |
| | (बी) 15,08,300, 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/- | 15,083.00 | 15,083.00 |
| | (गत वर्ष 15,08,300, 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/-) | | |
| | (लेखों पर टिप्पणी का नोट क्र.29 देखें) | 80,000.00 | 69,083.00 |
| **II** | **निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी** | | |
| | (ए) 1,23,54,89,564 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- पूर्ण चुकता | | |
| | (गत वर्ष 1,07,86,69,564 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- पूर्ण चुकता) | 61,774.48 | 53,933.48 |
| | जोड़े : समपहरण साम्य अंश | | |
| | 97,780 (97,780) साम्य अंश प्रत्येक रुपये 10/- पूर्ण चुकता | 4.30 | 4.30 |
| | | **61778.78** | **53,937.78** |
| | (बी) 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश 7,65,400 प्रत्येक रुपये 1000/- | | |
| | (गत वर्ष 7,65,400 अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/-) | 7,654.00 | 7,654.00 |
| | योग (ए + बी) | **69,432.78** | **61,591.78** |
| **III** | **सममूल्य प्रति अंश** | | |
| | 1,23,54,89,564 साम्य अंश | रुपये 5/अंश | रुपये 5/अंश |
| | 7% 7,65,400 गैर संचयी अधिमान्य अंश | रुपये 1000/अंश | रुपये 1000/अंश |

**IV प्रतिवेदन अवधि के आरम्भ एवं समाप्ति के समय अदत्त अंशों की संख्या का समाधान**

| विवरण | | 31.03.2023 को | 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| **(I)** | **साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- पूर्ण चुकता** | | |
| | प्रारम्भिक शेष | 1,07,86,69,564 | 1,07,86,69,564 |
| | जोड़े : वर्ष के दौरान अंश आवंटित | 15,68,20.000 | - |
| | अंतिम शेष | 1,23,54,89,564 | 1,07,86,69,564 |
| **(II)** | **7% गैर संचयी अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/- पूर्ण चुकता** | | |
| | प्रारम्भिक शेष | 7,65,400 | 7,65,400 |
| | जोड़े : वर्ष के दौरान जारी | -- | -- |
| | घटाएँ : वर्ष के दौरान कम हुआ | -- | -- |
| | अंतिम शेष | 7,65,400 | 7,65,400 |
| | **योग** | **1,23,62,54,964** | **1,07,94,34,964** |

नोट :- 1. कम्पनी ने भुगतान नहीं होने के कारण पूर्ववर्ती वर्षों में 97780 साम्य अंशों (मूल चुकता राशि रुपये 10/अंश थी) को जब्त किया।

ई. कम्पनी के पास दो प्रकार के अंश है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- - साम्य अंश का प्रत्येक धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में, साम्य अंशों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात, कम्पनी की किसी भी शेष परिसम्पत्ति को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

संचयी अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/- - अधिमान्य अंशधारकों को वोट देने का अधिकार नहीं है, किन्तु उन्हें साम्य अंशधारकों को लाभांश के भुगतान में वितरण से पहले प्राथमिकता है एवं कम्पनी की किसी भी शेष परिसम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार है। उस समय भी लाभांश (कम्पनी के हानि के कारण पूर्व में छूट गया) प्राप्त करने का अधिकार है, जब कम्पनी लाभ की स्थिति में होगी।

**एफ. कम्पनी में सामूहिक अंशों की 5% से अधिक अंशधारिता**

| क्र. | विवरण | अंशों की संख्या 31.03.2023 | % अंशधारिता | अंशों की संख्या 31.03.2022 | % अंशधारिता |
|---|---|---|---|---|---|
| **साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/-** | | | | | |
| (I) | केन्द्र सरकार | 1,20,42,97,344 | 97.48% | 1,04,74,77,344 | 97.11% |
| **7% गैर संचयी अधिमान्य अंश** | | | | | |
| (II) | केन्द्र सरकार अधिमान्य अंश | 7,65,400 | 100.00% | 7,65,400 | 100.00% |

**जी. प्रवर्तकों की अंशधारिता**

| वर्ष के अंत तक प्रवर्तकों द्वारा अंश धारण (साम्य अंश) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्रमांक** | **प्रवर्तक का नाम** | **अंशों की संख्या** | **कुल अंशों का %** | **वर्ष के दौरान % परिवर्तन** |
| 1. | भारत के राष्ट्रपति | 1,20,42,97,344 | 97.48% | 0.38% |
| 2. | मध्यप्रदेश के राज्यपाल | 3,05,37,290 | 2.47% | कोई परिवर्तन नहीं |
| कुल | | 1,23,48,34,634 | 99.95% | |

| वर्ष के अंत तक प्रवर्तकों द्वारा अंश धारण (अधिमान्य अंश) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्रमांक** | **प्रवर्तक का नाम** | **अंशों की संख्या** | **कुल अंशों का %** | **वर्ष के दौरान % परिवर्तन** |
| 1. | भारत के राष्ट्रपति | 7,65,400 | 100% | कोई परिवर्तन नहीं |
| कुल | | 7,65,400 | 100% | |

**नोट क्रमांक 03**

**निग्रह एवं अधिशेष** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| **ए.** | **अनुवृत्ति निग्रह** | | |
| | प्रारम्भिक शेष | 0.44 | 0.49 |
| | जोड़े : वर्ष के दौरान वृध्दि/(अंतरण) | (0.05) | (0.05) |
| | अंतिम शेष | 0.39 | 0.44 |
| **बी.** | **लाभ एवं हानि प्रपत्र में शुध्द हानि** | | |
| | वर्ष के प्रारम्भ में शुध्द हानि | (60,461.65) | (54,471.77) |
| | जोड़े : वर्ष के दौरान हुये लाभ/(हानि) | (10,579.60) | (5,989.89) |
| | वर्ष के अंत में शुध्द हानि | (71,041.25) | (60,461.66) |
| | **योग** | **(71,040.86)** | **(60,461.22)** |

**नोट 03.01**

रुपये 0.05 लाख का अंतरण (गत वर्ष के रुपये 0.05 लाख) जो पूर्व वर्षों में म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से प्राप्त सहायता से निर्मित 100 नियमित दो कमरे वाले भवनों के जीवनकाल के समानुपाती भाग इस योजना के अंतर्गत निर्मित स्थायी परिसम्पत्ति है।

**नोट क्रमांक 04**

**आवंटन के लिये लम्बित अंश आवेदन राशि** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| (ए) | आवंटन के लिये लम्बित साम्य अंश आवेदन | - | 7,841.00 |
| (बी) | आवंटन के लिये लम्बित 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | **(लेखों पर टिप्पणियों के नोट क्र.26.11 का संदर्भ लें) योग** | 3,000.00 | **10,841.00** |

ए. निबंधन एवं शर्तें :- वर्ष के दौरान, सरकार से प्राप्त निधियों का उपयोग पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिये किया जायेगा।

बी. निर्गमित किये जाने वाले प्रस्तावित अंशों की संख्या 3,00,000 रुपये 1000/- प्रत्येक के 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश।

सी. अवधि जिसके पहले अंश आवंटित किये जाने हैं : आवंटन कम्पनी के अंशधारकों से अनुमोदन के पश्चात किया जाना है, कोई समय अवधि परिभाषित नहीं है।

**नोट क्रमांक 05**

**दीर्घावधि ऋणी** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| | **अरक्षित ऋण** | | |
| | भारत सरकार (योजनागत एवं गैर-योजनागत ऋण) | 9,258.80 | 11,923.00 |
| | **योग** | 9,258.80 | 11,923.00 |

**दीर्घावधि ऋणी के पुनर्भुगतान की शर्तें**

| विवरण | ऋण की कुल अवधि | किस्त की आवृत्ति | अदत्त राशि | ब्याज की दर |
|---|---|---|---|---|
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 20.01.2020 | 5 वर्ष | वार्षिक | 22,95,60,583.80 | 13.50% |
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 23.04.2020 | 5 वर्ष | वार्षिक | 5,76,00,000.00 | 13.50% |
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 17.07.2020 | 5 वर्ष | वार्षिक | 9,79,20,000.00 | 13.50% |
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.08.2020 | 5 वर्ष | वार्षिक | 6,47,20,000.00 | 13.50% |
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.10.2020 | 5 वर्ष | वार्षिक | 12,95,20,000.00 | 13.50% |
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.11.2020 | 5 वर्ष | वार्षिक | 8,00,00,000.00 | 13.50% |
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 03.03.2021 | 5 वर्ष | वार्षिक | 7,67,20,00,000.00 | 13.50% |
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.01.2022 | 5 वर्ष | वार्षिक | 10,32,00,000.00 | 13.50% |
| 7(12)/2014/पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022 | 5 वर्ष | वार्षिक | 8,66,39,400.00 | 13.50% |

**नोट क्रमांक 06**

**दीर्घावधि प्रावधान** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| 1. | उपादान के लिये प्रावधान | 1,910.97 | 1,896.68 |
| 2. | अवकाश नकदीकरण के लिये प्रावधान | 621.75 | 440.94 |
| | **योग** | **2,532.72** | **2,337.62** |

**नोट क्रमांक 07**

**अल्पावधि ऋणी** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| | **अरक्षित ऋण** | | |
| 1. | दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता | 15,421.20 | 12,757.00 |
| | **योग** | 15,421.20 | 12,757.00 |

**भारत सरकार के ऋण के पुनर्भुगतान में चूक** **(राशि रुपये में)**

| विवरण | कुल राशि | मूल राशि | पेनल ब्याज सहित ब्याज | अतिदेय किश्तों की संख्या | कब से चूक |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII–I दिनांक 02.07.2012 | 33,45,55,487 | 11,29,00,000 | 22,16,55,487 | 5.00 | 06.07.2017 |
| क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII–II दिनांक 02.07.2012 | 9,24,54,661 | 3,12,00,000 | 6,12,54,661 | 5.00 | 06.07.2017 |
| क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII–I दिनांक 18.03.2013 | 32,74,08,960 | 11,68,00,000 | 21,06,08,960 | 5.00 | 23.03.2018 |
| क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII–II दिनांक 18.03.2013 | 3,75,62,330 | 1,34,00,000 | 2,41,62,330 | 5.00 | 23.03.2018 |
| क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII–I दिनांक 19.09.2013 | 48,34,26,220 | 17,96,00,000 | 30,38,26,220 | 5.00 | 20.07.2018 |
| क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII–II दिनांक 16.09.2013 | 9,04,40,540 | 3,36,00,000 | 5,68,40,540 | 5.00 | 20.07.2018 |
| क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII–I दिनांक 12.03.2014 | 29,70,77,893 | 11,50,00,000 | 18,20,77,893 | 5.00 | 15.03.2019 |
| क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII–I दिनांक 12.03.2014 | 3,22,91,075 | 1,25,00,000 | 1,97,91,075 | 5.00 | 15.03.2019 |
| क्र.7(13)/2013/पी.ई.VII दिनांक 07.03.2014 | 46,51,43,088 | 17,18,00,000 | 29,33,43,088 | 5.00 | 12.03.2020 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014 | 39,02,75,824 | 15,90,00,000 | 23,12,75,824 | 5.00 | 10.10.2019 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014 | 46,66,12,794 | 19,01,00,000 | 27,65,12,794 | 5.00 | 10.10.2019 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 20.01.2020 | 27,13,94,907 | 7,65,20,195 | 19,48,74,712 | 1.00 | 21.01.2023 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 27.01.2022 | 6,20,36,772 | 3,44,00,000 | 2,76,36,772 | 1.00 | 02.02.2023 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022 | 4,84,37,596 | 2,88,79,800 | 1,95,57,796 | 1.00 | 31.03.2023 |
| **योग** | **3,39,91,18,147** | **1,27,56,99,995** | **2,12,34,18,152** | | |

दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता

| विवरण | कुल राशि | मूल राशि |
|---|---|---|
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 20.01.2020 | 7,65,20,195 | 7,65,20,195 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 23.04.2020 | 1,44,00,000 | 1,44,00,000 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 17.07.2020 | 2,44,80,000 | 2,44,80,000 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.08.2020 | 1,61,80,000 | 1,61,80,000 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.10.2020 | 3,23,80,000 | 3,23,80,000 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.11.2020 | 2,00,00,000 | 2,00,00,000 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 03.03.2021 | 1,91,80,000 | 1,91,80,000 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.01.2022 | 3,44,00,000 | 3,44,00,000 |
| क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022 | 2,88,79,800 | 2,88,79,800 |
| **योग** | **26,64,19,995** | **26,64,19,995** |
| **कुल योग** | **3,66,55,38,141** | **1,54,21,19,989** |

**नोट क्रमांक 07.01**

उपार्जित एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं पर उपार्जित किन्तु देय नहीं ब्याज को "अन्य चालू देयताओं" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**नोट क्रमांक 08**

**व्यावसायिक देय** **(रुपये लाख में)**

| **क्र.** | **विवरण** | **राशि 31.03.2023 को** | **राशि 31.03.2022 को** |
|---|---|---|---|
| 8(ए) | सूक्ष्म उपक्रमों एवं लघु उपक्रमों की कुल बकाया राशि | 654.01 | 11.02 |
| 8(बी) | सूक्ष्म उपक्रमों एवं लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि | 1,083.99 | 1,022.73 |
| | **योग** | **1,738.00** | **1,033.75** |

**नोट : 8.01**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 अथवा अन्य कोई संविदागत बाध्यता के तहत वर्तमान वर्ष अथवा गत वर्षों में कोई ब्याज देय नहीं आया था।

| | | | |
|---|---|---|---|
| i) | किसी भी आपूर्तिकर्ता की ओर देय मूल राशि एवं ब्याज अदत्त नहीं है, जो कि एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के तहत अंतर्निहित किया गया है। | | |
| | मूल | 654.01 | 11.02 |
| | ब्याज | -- | -- |
| ii) | एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा ब्याज की राशि प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ। | -- | -- |
| iii) | भुगतान करने में देरी की अवधि के लिये देय और देय ब्याज की राशि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियुक्त दिन पर कब्जा कर लिया गया है) भुगतान करने में देरी। | -- | -- |
| iv) | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष अदत्त राशि पर ब्याज की राशि | -- | -- |
| v) | आगे आने वाले वर्षों में देय और देय राशि भी, जब तक कि उपरोक्त दिनांक तक ब्याज नहीं मिलता है, वास्तव में लघु उद्यम को एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में भुगतान किया जाता है। | -- | -- |

**पुराने व्यावसायिक देय**

**वित्तीय वर्ष 2022-23** **(रुपये लाख में)**

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | देय नहीं | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग |
| (i) एम.एस.एम.ई. | 649.68 | 4.33 | - | - | - | 654.01 |
| (ii) अन्य | 104.08 | 161.42 | 4.42 | 5.68 | 808.39 | 1083.99 |
| (iii) विवादित बकाया | | | | | | |
| एम.एस.एम.ई. | | | | | | |
| (iv) विवादित बकाया | | | | | | |
| अन्य | | | | | | |

**वित्तीय वर्ष 2021-22** **(रुपये लाख में)**

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | देय नहीं | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग |
| (i) एम.एस.एम.ई. | - | 11.02 | - | - | - | 11.02 |
| (ii) अन्य | 93.43 | 59.67 | 3.03 | 23.90 | 842.69 | 1022.72 |
| (iii) विवादित बकाया | | | | | | |
| एम.एस.एम.ई. | | | | | | |
| (iv) विवादित बकाया | | | | | | |
| अन्य | | | | | | |

**नोट क्रमांक 9**

**अन्य चल देयतायें** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| 1. | उपार्जित ब्याज एवं देय (भारत सरकार के ऋण पर) | | |
| | - ब्याज | 8,982.23 | 7,183.89 |
| | - अतिदेय किश्त पर पेनल ब्याज सहित ब्याज | 15,648.92 | 12,682.06 |
| 2. | उपार्जित ब्याज एवं देय नहीं (भारत सरकार के ऋण पर) | | |
| | - ब्याज | 517.83 | 545.12 |
| | - अतिदेय किश्त पर पेनल ब्याज सहित ब्याज | 1,136.31 | 1,015.42 |
| 3. | ठेकेदार/अभिकर्त्ता/ग्राहकों एवं अन्य से जमा | 786.68 | 460.61 |
| 4. | ग्राहकों से अग्रिम | 40.71 | 20.39 |
| 5. | आर.एम.डी.पी. परियोजना के लिये लेनदार | 2,286.20 | 4,066.22 |
| 6. | आर.एम.डी.पी. परियोजना के सुरक्षा जमा | 238.77 | 232.06 |
| 7. | अन्य देय | 272.66 | 215.46 |
| | **योग** | 29,910.30 | 26,421.24 |
| | **अन्य देय के संबंध में** | | |
| | वैधानिक देयतायें | 207.60 | 167.63 |
| | अन्य लेनदार | 65.06 | 47.83 |
| | **योग** | 272.66 | 215.46 |

**नोट क्रमांक 10**

**अल्पावधि प्रावधान**

**(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| | अवकाश नकदीकरण के लिये प्रावधान | 164.43 | 343.24 |
| | **योग** | 164.43 | 343.24 |

**नोट क्रमांक-11 स्थायी परिसम्पतियाँ** **(रुपये लाख में)**

| विवरण | सकल समूह लागत पर | | | | घटाएँ मूल्यह्रास/परिशोधन | | | | निवल समूह | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2022 को | जुड़ना | कमी | 31.03.2023 को | 01.04.2022 को | वर्ष के लिये | पुनः लिखे गये | 31.03.2023 तक | 31.03.2023 को | 31.03.2022 को |
| **नोट क्र.11 ए** | | | | | | | | | | |
| **मूर्त परिसम्पतियाँ** | | | | | | | | | | |
| **(ए) पट्टे पर दी गई परिसम्पतियाँ** | | | | | | | | | | |
| पट्टा धारित भूमि | 2.50 | - | - | 2.50 | 1.52 | 0.26 | - | 1.88 | 0.62 | 0.88 |
| **(बी) स्वामित्व वाली परिसम्पतियाँ** | | | | | | | | | | |
| फ्री होल्ड भूमि | 2.58 | - | - | 2.58 | - | - | - | - | 2.58 | 2.58 |
| भवन | 1,382.28 | - | - | 1,382.28 | 1,006.77 | 12.70 | - | 1,019.47 | 362.81 | 375.51 |
| संयंत्र एवं उपकरण | 5,947.88 | 35,927.66 | - | 42,875.54 | 6,193.57 | 1,057.62 | - | 7,251.19 | 35,624.35 | 754.31 |
| फर्नीचर एवं जुड़नार | 227.43 | 8.20 | - | 235.63 | 184.21 | 8.56 | - | 192.77 | 42.86 | 43.22 |
| कार्यालय उपकरण | 46.65 | 11.85 | - | 58.50 | 43.18 | 1.02 | - | 44.20 | 14.30 | 3.47 |
| कम्प्यूटर उपकरण | 114.56 | 10.89 | - | 125..45 | 103.47 | 5.59 | - | 109.06 | 16.39 | 11.09 |
| वाहन | 10.50 | - | - | 10.50 | 9.88 | - | - | 9.88 | 0.62 | 0.62 |
| रेलवे पार्श्व | 412.93 | - | - | 412.93 | 312.46 | 11.37 | - | 323.83 | 89.10 | 100.47 |
| जल संयंत्र | 263.77 | 2,386.26 | - | 2,650.03 | 227.82 | 67.31 | - | 295.13 | 2,354.90 | 35.95 |
| सड़कें एवं सेतु | 51.69 | - | - | 51.69 | 49.14 | - | - | 49.14 | 2.55 | 2.55 |
| पुस्तकालय की पुस्तकें | 0.37 | - | - | 0.37 | 0.35 | - | - | 0.35 | 0.02 | 0.02 |
| उपेक्षित परिसम्पतियाँ | 186.57 | - | - | 186.57 | 90.36 | - | - | 90.36 | 96.21 | 96.21 |
| **योग (ए)** | **9,649.71** | **38,344.86** | **-** | **47,994.57** | **8,222.83** | **1,164.43** | **-** | **9,387.26** | **38,607.31** | **1,426.88** |
| **गत वर्ष (ए)** | 9,655.26 | 11.58 | 17.13 | 9,649.71 | 8,155.95 | 82.55 | 15.67 | 8,222.83 | 1,426.88 | 1,499.31 |
| **नोट क्र. 11 बी** | | | | | | | | | | |
| **चालू दशा में पूँजीगत कार्य** | | | | | | | | | | |
| परिनिर्माणाधीन संयंत्र एवं मशीनरी | 35,971.63 | 2,230.93 | 37,727.30 | 475.26 | - | - | - | - | 475.26 | 35,971.64 |
| **योग (बी)** | **35,971.63** | **2,230.93** | **37,727.30** | **475.26** | **-** | **-** | **-** | **-** | 475.26 | **35,971.64** |
| **गत वर्ष (बी)** | 31,691.75 | 4,279.89 | - | 35,971.64 | - | - | - | - | 35,971.64 | 31,691.75 |
| **नोट क्र. 11 सी** | | | | | | | | | | |
| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ | - | 4.70 | - | 4.70 | - | | | | 4.70 | |
| **कुल योग (ए + बी)** | **45,621.34** | **40,580.49** | **37,727.30** | **48,474.53** | **8,222.83** | **1,164.43** | **-** | **9,387.26** | **39,087.27** | **37,398.52** |
| **गत वर्ष कुल योग (ए + बी)** | **41,347.01** | **4,291.46** | **17.13** | **45,621.35** | **8,155.95** | **82.55** | **15.67** | **8,222.83** | **37,398.52** | **33,191.06** |

नोट क्र. 11.01

नोट 46(डी) में प्रगति में पूंजीगत कार्य की अनुसूची एवं 46(ई) में विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख किया गया है।

**नोट क्रमांक 12**

**दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम** **(रुपये लाख में)**

| | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| 1. | आर.एम.डी.पी. परियोजना के लिये पूँजी अग्रिम | 25.77 | 28.70 |
| | **योग** | 25.77 | 28.70 |
| | **12 (ए)** | | |
| | रक्षित अच्छा माना गया | - | - |
| | अरक्षित अच्छा माना गया | 25.77 | 28.70 |
| | संदिग्ध | - | - |
| | **योग** | 25.77 | 28.70 |

**नोट क्रमांक 13**

**अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ** **(रुपये लाख में)**

| | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| 1. | सर्विस कनेक्शन के लिये सुरक्षा जमा | 1.40 | 1.24 |
| 2. | अन्य प्राधिकारियों के पास जमा | 19.41 | 19.41 |
| 3. | असम्मति सहित विक्रय कर चुकता | 15.68 | 15.68 |
| 4. | वसूली योग्य विक्रय कर | 14.06 | 14.06 |
| | **योग** | 50.54 | 50.38 |

**नोट क्रमांक 14**

**मालसूचियाँ** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | | राशि 31.03.2022 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **कच्चा माल** | 787.53 | | 140.78 | |
| | घटायें : मूल्य में कमी के लिये प्रावधान | - | 787.53 | (7.42) | 133.36 |
| | निर्मित माल का भण्डार (वर्ष की समाप्ती पर) | | 2,478.94 | | - |
| | **व्यवसाय के लिये भण्डार** | | | | |
| | (ए) पेट्रोल | | 15.77 | | 11.15 |
| | (बी) डीजल | | 11.70 | | 11.49 |
| | (सी) स्नेहक तेल | | 2.65 | | 0.79 |
| | (डी) पेट्रोल एक्स.पी. | | 16.68 | | 11.78 |
| | **भण्डार एवं पूर्जे** | | | | |
| | (ए) चल भण्डार एवं पूर्जे | | 174.27 | | 80.83 |
| | (बी) 5 वर्ष या अधिका के लिये अचल मदें | 502.46 | | 526.72 | |
| | घटायें : अपरिवर्तनशील मदों के लिये प्रावधान | (502.46) | 0.00 | (526.72) | - |
| | **खुदरा औजार** | | 4.10 | | 4.07 |
| | **अन्य** | | | | |
| | ए) कोल सिंडर | | 191.30 | | 179.40 |
| | बी) कोयला | | 209.46 | | 12.21 |
| | सी) स्क्रेप माल | | 56.93 | | - |
| | **योग** | | **3,949.31** | | **445.08** |

**नोट क्रमांक 15**

**प्राप्ति योग्य व्यावसायिक** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| **15.1** | **अनारक्षित एवं अच्छा माना गया** | 4.30 | 8.15 |
| **15.2** | **अनारक्षित, संदिग्ध माना गया** | 781.66 | 691.04 |
| | घटायें : संदिग्ध देनदारी के लिये प्रावधान | (287.51) | (287.51) |
| | **योग** | **498.45** | **411.68** |

**उमदराज व्यावसायिक प्राप्तियाँ**

**वित्तीय वर्ष 2022-23** **(रुपये लाख में)**

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | देय नहीं | 6 माह से कम | 6 माह-1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग |
| (i) अविवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया | - | 4.30 | 0 | 0 | - | - | 4.30 |
| (ii) अविवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - संदिग्ध माना गया | - | 43.48 | 47.14 | 106.95 | 89.39 | 494.70 | 781.66 |
| (iii) विवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया | | | | | | | |
| (iv) विवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - संदिग्ध माना गया | | | | | | | |

**वित्तीय वर्ष 2021-22** **(रुपये लाख में)**

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | देय नहीं | 6 माह से कम | 6 माह-1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग |
| (i) अविवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया | - | 5.38 | 2.78 | - | - | - | 8.15 |
| (ii) अविवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - संदिग्ध माना गया | - | 66.80 | 40.16 | 89.40 | 112.41 | 382.28 | 691.04 |
| (iii) विवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया | | | | | | | |
| (iv) विवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - संदिग्ध माना गया | | | | | | | |

**नोट क्रमांक 16**

**रोकड़ एवं बैंक शेष** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | | राशि 31.03.2023 को | राशि 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|---|
| **रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य** | | | | |
| **(ए)** | **हस्तगत रोकड़** | | | |
| 1. | रोकड़ पुस्तिका (प्रशासकीय कार्यालय) | | 2.50 | 2.01 |
| 2. | मिल के अन्य विभाग के पास हस्तगत रोकड़ | | 4.97 | 7.42 |
| **(बी)** | **अनुसूची बैंकों में शेष - चालू खाता** | | 375.12 | 4,160.41 |
| | | **योग** | **382.59** | **4,169.84** |
| **अन्य बैंक शेष** | | | | |
| **(सी)** | **अनुसूची बैंकों के पास स्थायी जमा** | | 4,867.44 | 6,836.67 |
| **(डी)** | **निलम्ब खातों में शेष** | | 4,823.07 | 12,223.72 |
| | | **योग** | **9,690.50** | **19,060.39** |
| | | **कुल योग** | **10,073.10** | **23,230.23** |

**नोट क्रमांक 16.1**

**उपांत राशि के रुप में बैंक द्वारा धारित स्थायी जमा के साथ अनुसूची बैंकों में सावधि जमा**

| | | |
|---|---|---|
| (ए) | बैंक अधिविकर्ष | रुपये निरंक |
| (बी) | बैंक गारंटी | रुपये 472.60 लाख |

**नोट क्रमांक 17**

**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम** **(रुपये लाख में)**

| | विवरण | | राशि 31.03.2023 को | | राशि 31.03.2022 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनारक्षित | | | | | | |
| 1. | स्वदेशी क्रय एवं अन्य के पक्ष में अग्रिम | | | | | |
| | - अच्छा माना गया | 1.91 | | - | | |
| | - संदिग्ध | 0.71 | | 0.71 | | |
| | घटायें : अशोध्य एवं संदिग्ध देनदारी के लिये प्रावधान | (0.71) | 1.91 | 0.71 | - | |
| 2. | त्यौहारी अग्रिम | | 22.09 | | 19.75 | |
| 3. | कागज पर उप कर के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास जमा | | 0.05 | | 0.05 | |
| 4. | स्त्रोत से एकत्रित आय कर | | 281.35 | | 232.37 | |
| 5. | विक्रेता द्वारा एकत्रित टी.सी.एस. | | 5.17 | | 3.17 | |
| 6. | पूर्व दत्त व्यय | | 41.56 | | 50.60 | |
| 7. | 7 (ए) एमपीपीकेवीवीसीएल के पास सुरक्षा जमा | 168.30 | | 105.07 | | |
| | 7 (बी) ग्राहकों एवं अन्य प्राधिकारियों के पास जमा | 3.75 | | 3.75 | | |
| | घटायें:अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिये प्रावधान | (4.45) | 167.60 | (4.45) | 104.37 | |
| 8. | प्राप्ति योग्य दावा | 850.45 | | 850.45 | | |
| 9. | घटायें: अशोध्य एवं संदिग्ध दावों के लिये प्रावधान | (13.18) | 837.27 | (13.18) | 837.27 | |
| 10. | प्राप्ति योग्य जी.एस.टी. | | 3,550.40 | | 3,398.11 | |
| 11. | अन्य अग्रिम | | | | | |
| | (ए) अच्छा माना गया | | 1,212.56 | | 158.81 | |
| | (बी) संदिग्ध | 128.38 | | 128.38 | | |
| | घटाये : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिये प्रावधान | (128.06) | 0.32 | (128.06) | 0.32 | |
| | | **योग** | **6,120.27** | | **4,804.82** | |

**नोट क्रमांक 17.1**

प्राप्य दावें, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा लगाई गई शास्ति खाते पर पूर्व वर्षों में चुकता की गई क्षति के लिये ई.पी.एफ.ओ. से देय रुपये 726.73 लाख सम्मिलित है और इन्हें प्राप्ययोग्य दिखाया गया है, क्योंकि कम्पनी का यह मत है कि इसके लिये दी गई राहत बी.आई.एफ.आर. द्वारा दी गई है, इसलिये पूर्वकथित राशि को लाभ एवं हानि विवरण में विकलित नहीं किया गया है।

**नोट क्रमांक 18**

**अन्य चालू परिसम्पतियाँ** **(रुपये लाख में)**

| | विवरण | | राशि 31.03.2022 को | | राशि 31.03.2021 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज | | 305.02 | | 140.58 |
| 2. | प्राप्त आय (नगरीय किराये की अदत वसूली) | 328.55 | | 298.34 | |
| | घटायें : संदिग्ध वसूली के पक्ष में प्रावधान | (20.92) | 307.64 | (20.92) | 277.43 |
| | | **योग** | **612.66** | | **418.01** |

**नेपा लिमिटेड**

**नेपानगर (म.प्र.)**

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ**

**नोट क्रमांक 19**

**प्रचालन से राजस्व** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| **ए** | **उत्पादों के विक्रय से राजस्व** | | |
| | अखबारी कागज का विक्रय | 803.31 | - |
| | पेट्रोल, डीजल, स्नेहक एवं अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल का विक्रय | 1,627.71 | 1,234.14 |
| | योग (ए) | **2,431.02** | **1,234.14** |
| **बी** | **अन्य परिचालन राजस्व** | | |
| | कोल सिंडर का विक्रय | 77.45 | 243.37 |
| | स्क्रेप का विक्रय | 190.86 | 592.39 |
| | उत्पादन एवं अपशिष्ट स्लज का विक्रय | 17.83 | - |
| | योग (बी) | **286.15** | **835.76** |
| | **योग (ए + बी)** | 2,717.17 | 2,069.90 |

**नोट क्रमांक 20**

**अन्य आय** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | जल आपूर्ति से आय | 90.62 | 106.96 |
| 2. | अर्जित ब्याज | 786.05 | 611.10 |
| 3. | नगरीय आय | 224.86 | 211.76 |
| 4. | मेडिकल विभाग से प्राप्तियाँ | 15.60 | 12.76 |
| 5. | दायित्व के लिये प्रावधान अपलिखित किये गये | - | 19.43 |
| 6. | प्रावधान और दायित्व अपलिखित किये गये | 152.84 | 23.58 |
| 7. | अन्य गैर प्रचालन आय | 81.57 | 29.80 |
| | **योग** | **1,351.55** | **1,015.40** |

**नोट क्रमांक 21**

**उपभुक्त माल की लागत** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| | उपभुक्त माल की लागत | 2,875.24 | - |
| | **योग** | **2,875.24** | **-** |

**नोट क्रमांक 22**

**व्यवसाय में भण्डार का क्रय** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| | पेट्रोल, डीजल एवं स्नेहक का क्रय | 1,607.73 | 1,213.77 |
| | **योग** | **1,607.73** | **1,213.77** |

**नोट क्रमांक 23**

**निर्मित माल की मालसूचियों एवं व्यवसाय में भण्डार में परिवर्तन** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | | | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ए** | **वर्ष की समाप्ति पर मालसूचियाँ** | | | | |
| | **(ए)** | **विनिर्माणी माल** | | | |
| | | 1. | कोल सिंडर | 191.30 | 179.40 |
| | | 2. | निर्मित माल | 2,478.94 | - |
| | | 3. | उत्पादन अपशिष्ट एवं स्क्रेप | 56.93 | - |
| | **(बी)** | **व्यावसायिक माल** | | | |
| | | 1. | अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल(एक्स.पी.) | 16.68 | 11.78 |
| | | 2. | पेट्रोल | 15.77 | 11.15 |
| | | 3. | डीज़ल | 11.70 | 11.49 |
| | | 4. | स्नेहक | 2.65 | 0.79 |
| | | | **योग ए** | **2,773.96** | **214.61** |
| **बी** | **वर्ष के आरम्भ में मालसूचियाँ** | | | | |
| | **(ए)** | **विनिर्माणी माल** | | | |
| | | 1. | कोल सिंडर | 179.40 | 134.07 |
| | | 2. | निर्मित माल | - | - |
| | **(बी)** | **व्यावसायिक माल** | | | |
| | | 1. | अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल(एक्स.पी.) | 11.78 | 7.70 |
| | | 2. | पेट्रोल | 11.15 | 9.40 |
| | | 3. | डीज़ल | 11.49 | 8.30 |
| | | 4. | स्नेहक | 0.79 | 1.63 |
| | | | **योग बी** | **214.61** | **161.09** |
| **निवल (वृध्दि)/कमी (बी - ए)** | | | | **(2,559.35)** | **(53.52)** |

**नोट क्रमांक 24**

**कर्मचारियों के हित लाभ व्यय** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | वेतन, मजदूरी एवं भत्ता | 2,029.68 | 1,640.28 |
| 2. | भविष्य निधि एवं अन्य कोषों में अंशदान | 230.26 | 186.19 |
| 3. | उपादान | 461.64 | 79.80 |
| 4. | अवकाश नकदीकरण | 238.37 | 172.71 |
| 5. | स्टॉफ कल्याण व्यय | 58.53 | 66.01 |
| 6. | चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति | 79.23 | 85.57 |
| 7. | एन.ई.पी.एफ. न्यास में कम राशि | - | - |
| | **योग** | **3,097.71** | **2,230.55** |

**नोट क्रमांक 24.01**

**चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | कर्मचारियों को चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति | 27.02 | 35.15 |
| 2. | बाह्य चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति | 38.44 | 39.40 |
| 3. | केजुअल/बदली कर्मचारियों को चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति | 9.06 | 10.52 |
| 4. | संविदागत कर्मचारियों को स्थानीय बिलों की प्रतिपूर्ति | 4.71 | 0.50 |
| | **योग** | **79.23** | **85.57** |

**नोट क्रमांक 25**

**वित्तीय लागत** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | सरकारी ऋण पर ब्याज | 4,858.78 | 4,228.59 |
| 2. | बैंक ऋण पर ब्याज | 0.00 | 156.23 |
| 3. | बैंक प्रभार | 8.68 | 8.70 |
| 4. | पेंशन पर नुकसान का भुगतान | 0.02 | 0.62 |
| | **योग** | **4,867.48** | **4,394.14** |

**नोट क्रमांक 25.01**

ऋण की शर्तों के अनुसार भारत सरकार के ऋण पर ब्याज प्रदत्त किया गया है। तथापि, बी.आई.एफ.आर. की स्वीकृत योजना की सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कम्पनी ने इसे माफ करने की मांग की है।

**नोट क्रमांक 26**

**अन्य व्यय** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | उपभुक्त भण्डार एवं कल पूर्जे | 67.47 | 71.77 |
| 2. | उपभुक्त रसायन | 169.64 | 15.13 |
| 3. | विद्युत एवं ईंधन | 2,209.47 | 602.52 |
| 4. | बीमा | 42.99 | 42.30 |
| 5. | सुरक्षा स्टाफ व्यय | 79.49 | 51.16 |
| 6. | विधि एवं व्यावसायिक प्रभार | 96.81 | 28.59 |
| 7. | अंकेक्षकों को भुगतान | 3.38 | 2.84 |
| 8. | दरें एवं कर | 8.04 | 6.36 |
| 9. | मरम्मत एवं अनुरक्षण | 104.52 | 76.31 |
| 10. | वाहनों का किराया प्रभार | 38.88 | 28.95 |
| 11. | अनुसंधान एवं विकास व्यय | 6.77 | 61.75 |
| 12. | विद्युत प्रभार | 11.57 | 9.67 |
| 13. | कारख़ाना कार्यालय सामान्य व्यय | 71.01 | 31.37 |
| 14. | प्रकाश एवं सफाई | 3.44 | 3.78 |
| 15. | सम्पत्तियों के विक्रय पर हानि | - | 1.26 |
| 16. | विक्रय पर कमीशन | 4.29 | 13.33 |
| 17. | भाड़ा एवं उध्दरण प्रभार | - | 12.16 |
| 18. | सभा व्यय | 0.67 | 2.13 |
| 19. | सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यय | 38.00 | 7.23 |
| 20. | विविध व्यय (आवर्त के 1% से कम) | 195.01 | 139.08 |
| | **योग** | **3,151.46** | **1,207.71** |

**नोट क्रमांक 26.01**

**वैधानिक अंकेक्षकों को भुगतान** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | वैधानिक अंकेक्षण फीस | 1.75 | 1.75 |
| 2. | व्ययों की प्रतिपूर्ति | 1.06 | 0.84 |
| 3. | कर अंकेक्षण फीस | 0.25 | 0.25 |
| 4. | लागत अंकेक्षक फीस | 0.32 | - |
| | **योग** | **3.38** | **2.84** |

**नोट क्रमांक 26.02**

**मरम्मत एवं अनुरक्षण** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | समाप्त अवधि 31.03.2023 | समाप्त अवधि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | संयंत्र एवं मशीनरी | 42.60 | 40.04 |
| 2. | भवन | 54.52 | 26.20 |
| 3. | अन्य परिसम्पतियाँ | 7.68 | 10.08 |
| | **योग** | **104.52** | **76.31** |

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ**

**27. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल (बी.आई.एफ.आर.) कार्यान्वयन स्थिति**

27.1 कम्पनी वर्ष 1998 में प्रकरण क्र.502/1998 द्वारा बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत थी। बी.आई.एफ.आर. ने प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.) यानी भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) को नेपा लिमिटेड के लिये एक विस्तृत पुनरूध्दार योजना (डी.आर.एस.) तैयार करने का निर्देश दिया था।

27.2 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी उद्योग विभाग (डी.एच.आई.) के पत्र क्र. 7(8)/2009-पी.ई.-VII दिनांक 25.09.2012 के द्वारा दिनांक 06.09.2012 को नेपा लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिये रुपये 1,02,596 लाख के कुल पैकेज के लिये अपनी स्वीकृति दी। पुनरुद्धार योजना को बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक 04.03.2014 को कार्यवाही का अंतिम सारांश अभिलेख जारी किया गया था।

27.3 कार्यवाही के अंतिम सारांश अभिलेख के अनुच्छेद 18.7 को इस प्रकार पढ़ा जाये "कम्पनी का भारत सरकार के ऋण रुपये 23,101 लाख तथा मध्यप्रदेश शासन एवं उसके निगमों के रूप में रुपये 2,884 लाख का बकाया तथा उन्हें नये सिरे से प्राप्त करने के लिये तथा पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के लिये रुपये 28,500 लाख के कुल पूँजीगत व्यय के भाग के वित्त पोषण को पूर्ण करने के लिये रुपये 15,700 लाख की साम्य और उसके बाद मध्यप्रदेश शासन के देयताओं पर विचार करने के बाद इक्विटी अनुमान को समाप्त करने के लिये सहमत हुये।"

27.4 इसके अलावा, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.एफ./5/2002/10-3 दिनांक 25.02.2012 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन ने मेसर्स एम.पी.पी.के.वी.वी.सी.एल. के विद्युत प्रभार एवं विद्युत शुल्क तथा वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर देयकों की राशि रुपये 2,884 लाख को साम्य में परिवर्तन के लिये सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। रुपये 2,884 लाख के उक्त देयकों के रुपये 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम पर नेपा लिमिटेड की साम्य पूँजी में परिवर्तन के लिये मध्यप्रदेश शासन ने आदेश दिनांक 07.04.2015 के द्वारा अंतिम स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, पत्र क्र.7 (13)/2013-पी.ई.-VII दिनांक 08.08.2016 के द्वारा डी.एच.आई. ने भी मध्यप्रदेश शासन के रुपये 2,884 लाख के देयकों के नेपा लिमिटेड के साम्य अंश में परिवर्तन के लिये स्वीकृति प्रदान की गई।

27.5 कम्पनी के पुनरुद्धार के लिये मसौदा पुनर्वास योजना (डी.आर.एस.) के अनुसार, भारत सरकार ने रुपये 15,700 लाख चार किस्तों में अर्थात दिनांक 27.03.2014 को रुपये 810 लाख, दिनांक 26.12.2014 को रुपये 5,000 लाख, दिनांक 23.10.2015 को रुपये 5,099 लाख एवं दिनांक 31.03.2016 को रुपये 4,791 लाख की नवीन साम्य उत्प्रेरण जारी की है।

27.6 विभिन्न राहत हेतु योजना के लिये नियत तिथि 31.03.2012 थी, परंतु कुछ राहतें अभी भी संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के लिये विचाराधीन हैं एवं अनुमोदित होने पर उनका लेखा किया जायेगा।

27.7 दिनांक 03.10.2018 को भारत सरकार(GOI)/आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति (सी.सी.ई.ए.) द्वारा संशोधित आर.एम.डी.पी. पैकेज राशि रुपये 46,941 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

27.8 पुनरुध्दार एवं मिल विकास परियोजना के लिये नेपा लिमिटेड को भारत सरकार की बजटीय सहायता के अनुसार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग ने पत्र क्र.7 (12)/2014-पी.ई.-VII दिनांक 12.10.2018 के द्वारा निर्देशित किया कि पुनरुध्दार एवं मिल विकास परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत के लिये रुपये 27,700 लाख के अतिरिक्त साम्य के उत्प्रेरण के लिये भारत सरकार को साम्य अंश निर्गमित किये जाने हैं तथा वी.आर.एस. (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के लिये रुपये 9,083 लाख के 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंशों के रूप में निर्गमित किये जाने हैं।

27.9 बी.आई.एफ.आर. ने अपने आदेश दिनांक 04.03.2014 द्वारा पुनर्वास योजना के एक हिस्से के रूप में 10% प्रति अंश से 5 प्रति अंश की दर से भुगतान की गई अंश पूँजी में कमी को स्वीकृति दी थी। तदनुसार, मंत्रालय, भोपाल में दिनांक 18.06.2019 को नेपा लिमिटेड की 391वीं मण्डल बैठक में रुपये 52466.95 लाख के स्थान पर रुपये 26233.48 लाख के द्वारा विद्यमान साम्य अंश पूँजी की डी-रेटिंग के लिये अंशधारियों के अनुमोदन के लिये डाक मतपत्र के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

27.10 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार के पत्र क्रमांक 7(12)/2014-पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 31.10.2021 के तहत रुपये 7,841 लाख आर.एम.डी.पी. के कार्यान्वयन के लिये एवं रुपये 3163 लाख वेतन, मजदूरी एवं अन्य वैधानिक बकायों के भुगतान के लिये जारी की गई। आर.एम.डी.पी. निधि निम्नलिखित किश्तों में जारी की गयी थी :-

ए. रुपये 3,000 लाख दिनांक 29.10.2021
बी. रुपये 2,347 लाख दिनांक 29.12.2021
सी. रुपये 635 लाख दिनांक 21.03.2022
डी. रुपये 1,859 लाख दिनांक 21.03.2022

**28. राहत एवं रियायतों की स्थिति**

सहायता की स्थिति और/अथवा राहत/रियायत, केन्द्र सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन एजेंसियों से प्राप्त हुये और अन्य संवैधानिक प्राधिकारी माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनर्स्थापन योजना के अनुसार इस प्रकार है :-

**29. भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार**

**29.1** 29.1.1. भारत सरकार का ऋण रुपये 23,101 लाख के परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी एवं तदनुसार पूर्व वर्षों में भारत सरकार को अंश आवंटित किये जा चुके हैं।

29.1.2. केंद्र सरकार के प्राधिकारियों के वैधानिक देयकों रुपये 1,338 लाख की माफी।

29.1.3. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 24,183 लाख के पेनल ब्याज की माफी।

29.1.4. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 2,094 लाख के अर्जित ब्याज, किन्तु देय नहीं, की माफी।

29.1.5. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 9,243 लाख के साधारण ब्याज की माफी।

29.1.6. कम्पनी ने भारत सरकार को 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश निम्नानुसार निर्गमित किये हैं:-

I. दिनांक 31.03.2019 तक रुपये 6,000 लाख के 6,00,000 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश
II. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटित रुपये 1,654 लाख के 1,65,000 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश
III. इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2023 को आवंटित 3,00,000 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश

उपरोक्त कुल राशि रुपये 7,654 लाख करोड़ का उपयोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दायित्व के निर्वहन के लिये किया गया है।

29.1.7. लगभग 400 कर्मचारियों के लिये वी.आर.एस. हेतु रुपये 9,083 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, जिनमें से रुपये 4,654 लाख की राशि प्राप्त की जा चुकी है। इसके पक्ष में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 1,654 लाख के 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश आवंटित कर दिये हैं एवं रुपये 3,000 लाख आवंटन हेतु लंबित है।

**29.2 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13.03.2014 के अपने निर्णय द्वारा नेपानगर में स्थित 849.90 एकड़ वन भूमि पट्टा विलेख पर हस्ताक्षरित पट्टा किश्त रुपये 2,200 लाख को पूर्व वर्षों में माफ कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन से 1517.08 एकड़ मापित भूमि पट्टे पर ली गई है, इसमें से 667.18 एकड़ भूमि दिनांक 05.02.2016 को मध्यप्रदेश शासन को वापस की जा चुकी है। शेष 849.90 एकड़ भूमि के पट्टा विलेख के निष्पादन का कार्य दिनांक 13.10.2018 को पूर्ण हो चुका है, जो कि दिनांक 23.07.2032 तक वैध है।

नेपा लिमिटेड के पास कुल 1199.32 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 849.90 एकड़ पट्टा भूमि एवं शेष 349.42 एकड़ राजस्व भूमि है।

नेपा लिमिटेड के पास 2088 आवासों की आवासीय कॉलोनी है, जिसमें से 303 आवास कर्मचारियों को दिये गये हैं, 716 भूतपूर्व कर्मचारियों एवं 927 आवास बाह्य एजेंसियों के पास है तथा शेष या तो क्षति अवस्था में अथवा रिक्त है। इसके अतिरिक्त 1070196 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण है।

**29.3 कम्पनियों के पंजीयक, ग्वालियर**

आर.ओ.सी. ने अधिकृत अंशपूँजी में वृद्धि के लिये शुल्क एवं शास्ति में छूट प्रदान की है। तथापि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त पर लगाये गये स्टॉम्प शुल्क रुपये 20 लाख कम्पनी द्वारा गत वर्षों में अदा कर दिये गये है। कम्पनी द्वारा अधिकृत अंशपूँजी में वृद्धि के लिये स्टाम्प शुल्क का भुगतान भी किया जाता है शेयर के आवंटन पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान छूट के लिये विचाराधीन है।

**29.4 सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क विभाग**

कम्पनी को बी.आई.एफ.आर. द्वारा डी.आर.एस. के तहत योजना की धारा 18.4 के अनुसार उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क से छूट दी गई थी।

**29.5 मध्यप्रदेश शासन**

29.5.1 विविध देयकों के रुपये 2,884 लाख के परिवर्तन का अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त हो गया है, तदनुसार, गत वर्षों में रुपये 2,884 लाख के अंश मध्यप्रदेश शासन को आवंटित किये जा चुके हैं।

**29.5.2 विक्रय कर विभाग**

बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित योजना की धारा 18.5 के अनुसार बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित योजना में कम्पनी को 10 वर्षों के लिये विक्रय कर, प्रवेश कर की माफी, वैट, सी.एस.टी. एवं निजी विद्युत पर विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई थी। उपर्युक्त छूट के लिये कम्पनी ने पहले ही आवेदन कर दिया है। तथापि, जी.एस.टी. के क्रियान्वयन के परिणामस्वरुप समानांतर छूट के लिये अभी आवेदन किया जाना है। वर्तमान में लागू प्रावधानों के अनुसार जी.एस.टी. लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है एवं भुगतान किया जाता है।

**30. आर.एम.डी.पी. के अनुसार छूट एवं रियायतों का मिलान**

कम्पनी को आर.एम.डी.पी. के तहत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/एजेंसियों एवं अन्य वैधानिक प्राधिकारियों से विभिन्न राहत/रियायत प्राप्त हुये है, जिनका गत वर्षों में लेखा पुस्तकों के साथ मिलान कर दिया गया है। विवरण इस प्रकार है:-

**(रुपये लाख में)**

| | **भारत सरकार का ब्याज एवं पेनल ब्याज** | **मध्यप्रदेश शासन के विविध देय** | **मध्यप्रदेश शासन के कर देय का साम्य में परिवर्तन** | **भारत सरकार के ऋण का साम्य में परिवर्तन** |
|---|---|---|---|---|
| बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित परियोजना में दी गई राशि | 347 | 3,535 | 2,884 | 23,101 |
| जोड़े : पुनरुध्दार योजना में अनुमान त्रुटि | - | - | 49 | - |
| जोड़े : आकस्मिक देयताओं में राशि खुलासा | - | 1,914 | - | - |
| पुस्तकों के अनुसार राशि (देयतायें) | - | 1,621 | 2,835 | - |
| पुस्तकों के अनुसार राशि (साम्य में परिवर्तन) | - | - | - | 23,101 |
| ब्याज एवं फेनल ब्याज की छूट के रूप में राशि | 347 | - | - | - |

**31. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधियों के आवंटन को समायोजित करने के लिये वर्ष के दौरान** कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी में वृद्धि की गई है। कम्पनी की पूँजी संरचना इस प्रकार है :-

कम्पनी की अधिकृत पूँजी है :-

(i) रुपये 6,49,17 लाख, रुपये 5/- प्रत्येक के 1,29,83,40,000 साम्य अंशों में विभाजित हैं एवं

(ii) रुपये 15,083 लाख प्रत्येक रुपये 1000/- के 15,08,300 7% गैर संचयी अधिमान्य अंशों में विभाजित हैं।

**32. नवीनीकरण एवं क्षति के तहत परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**

32.1 कम्पनी परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मदों की पहचान/मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें सक्रिय उपयोग से अप्रचलित किया जाना है। इस तरह की पहचान/मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात, परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी भी मद को सक्रिय उपयोग से अप्रचलित नहीं माना जाता है तथा निपटान के लिये रखा जाता है। तदनुसार, परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की सभी मदों को उनकी वहन राशि पर मापा जाना जारी है। परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मदों की पहचान करने पर, जिन्हें सक्रिय उपयोग से अप्रचलित किया जाना है, फिर उन्हें राशि एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर कहा जायेगा।

32.2 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) कार्यान्वयन के तहत थी। कम्पनी को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुये हैं। परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहाँ लागत के पक्ष में रुपये 38,607.31 लाख (गत वर्ष रुपये 1426.88 लाख) एवं आर.एम.डी.पी. के तहत चालू दशा में पूँजीगत कार्य के खाते में रुपये 475.26 लाख (गत वर्ष रुपये 35,971.64 लाख) है। प्रबंधन का अभिमत है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन के पश्चात, कम्पनी को "कैश जनरेटिंग यूनिट" के रूप में लिया गया, परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की वहन लागत की तुलना में उपयोग में मूल्य अधिक होगा। इसलिये, प्रबंधन का मानना है कि कोई क्षति का प्रावधान आवश्यक नहीं है।

32.3 आर.एम.डी.पी. योजना दिनांक 22.08.2022 को पूर्ण हो गई।

33. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आई.सी.ए.आई.) एवं अधिनियम की धारा 133 के तहत् सूचित, जिसे कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, लेखा विधि मानक-15 "कर्मचारी हित लाभ" (पुनरीक्षित) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण का दिनांक 31.03.2023 को बीमांकिक मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

**परिभाषित हित लाभ योजना**

कर्मचारी उपादान कोष योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। प्रतिज्ञा पत्र का वर्तमान मूल्य बीमांकिक आँकलन परियोजना एकक क्रेडिट सिध्दांत, उपयोग के आधार पर चलाया जाता है, जो सेवा के प्रत्येक समय में माना जाता है, कर्मचारी लाभ हकदार के अतिरिक्त बढ़ाकर देने और प्रत्येक एकक अलग मापक से अंतिम प्रतिज्ञा पत्र तैयार होगा।

| **I. बाध्यता का वर्तमान मूल्य दर्शाने वाली तालिका** | | **(रुपये लाख में)** |
|---|---|---|
| | **2022-23** | **2021-22** |
| वर्ष के आरम्भ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य | 1,571.82 | 1,867.28 |
| ब्याज लागत | 110.03 | 130.71 |
| वर्तमान सेवा लागत | 53.67 | 62.45 |
| चुकता हित लाभ | (279.38) | (436.68) |
| बाध्यता पर बीमांकिक लब्धि/(हानि) | 59.73 | (51.95) |
| वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य | 1,515.86 | 1,571.82 |

| **II. योजना परिसम्पत्तियों के साधारण मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका** | | **(रुपये लाख में)** |
|---|---|---|
| | **2022-23** | **2021-22** |
| वर्ष के आरम्भ में योजना परिसम्पत्तियों का साधारण मूल्य | 1,085.98 | 1,431.79 |
| योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित धन वापसी | 100.55 | 90.87 |
| अंशदान | 436.96 | निरंक |
| चुकता हित लाभ | (279.38) | (436.68) |
| योजना परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लब्धि/(हानि) | निरंक | निरंक |
| वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का साधारण मूल्य | 1,344.11 | 1,085.98 |

| **III. योजना परिसम्पत्तियों का साधारण मूल्य दर्शाने वाली तालिका** | | **(रुपये लाख में)** |
|---|---|---|
| | **2022-23** | **2021-22** |
| वर्ष के आरम्भ में योजना परिसम्पत्तियों का साधारण मूल्य | 1,085.98 | 1,431.79 |
| योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक धन वापसी | 100.55 | 90.87 |
| अंशदान | 436.96 | निरंक |
| चुकता हित लाभ | (279.38) | (436.68) |
| वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का साधारण मूल्य | 1344.11 | 1085.98 |
| निधि की स्थिति | (171.75) | (485.84) |
| योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित धन वापसी पर वास्तविक का आधिक्य | निरंक | निरंक |

| IV. मूल बीमांकिक आकलन | | |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| कटौती दर | 7.40% | 7.00% |
| वेतन लागत में वार्षिक वृध्दि | 7.00% | 7.00% |

| V. बीमांकिक लब्धि/हानि मान्यता | | (रुपये लाख में) |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| बाध्यता पर बीमांकिक (लब्धि)/हानि | (59.72) | 51.95 |
| योजना परिसम्पत्तियाँ - वर्ष के लिये बीमांकिक (लब्धि)/हानि | निरंक | निरंक |
| बाध्यता पर बीमांकिक (लब्धि)/हानि | 59.72 | (51.95) |
| वर्ष में बीमांकिक (लब्धि)/हानि मान्यता | 59.72 | (51.95) |

| VI. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि के विवरण में मान्य की जाने वाली राशि | | (रुपये लाख में) |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य | 1,515.86 | 1,571.82 |
| वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का साधारण मूल्य | 1,344.10 | 1,085.98 |
| निधि की स्थिति | (171.75) | (485.84) |
| तुलन पत्र में शुध्द परिसम्पत्ति/(दायित्व) मान्यता | (171.75) | निरंक |

| VII. लाभ एवं हानि के विवरण में मान्य व्यय | | (रुपये लाख में) |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्तमान सेवा लागत | 53.67 | 62.45 |
| ब्याज लागत | 110.02 | 130.71 |
| योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित धन वापसी | (100.55) | (90.87) |
| वर्ष में शुध्द बीमांकिक (लब्धि)/हानि मान्यता | 59.72 | 51.95 |
| लाभ एवं हानि का विवरण में व्यय मान्यता | 122.87 | 50.34 |

लेखा पुस्तकों के अनुसार उपादान का वर्तमान मूल्य दायित्व रुपये 1844.47 लाख (गत वर्ष रुपये 1910.97 लाख) को उसी पर योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम किये बिना मान्यता दी गई है। कम्पनी द्वारा बीमांकिक प्रतिवेदन के अनुसार योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को समायोजित करने के पश्चात तुलन पत्र में रुपये 208.25 लाख (गत वर्ष रुपये 171.75 लाख) के कुल प्रावधान के मुकाबले रुपये 1844.47 लाख (गत वर्ष रुपये 1910.97 लाख) शुद्ध दायित्व है। प्रबंधन ने पुस्तकों में पहले से बनाये गये प्रावधान को अनुदार आधार पर उत्क्रम नहीं करने का निर्णय लिया है।

**34. कर्मचारियों से संबंधित भुगतान**

(ए) कर्मचारियों से संबंधित वेतन/मजदूरी एवं वैधानिक देयकों के लिये सी.सी.ई.ए. के निर्णय दिनांक 03.10.2018 के द्वारा रुपये 10,158 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रुपये 3,825 लाख (बिजली बिल के भुगतान के लिये रुपये 394 लाख सहित) प्राप्त हुये हैं एवं वर्ष 2020-21 के दौरान रुपये 6,331 लाख प्राप्त हुये हैं। कम्पनी ने घोषित अथवा परिभाषित हित लाभ उपादान के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान किये गये गणना के नियमानुसार उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत् उत्तरदायित्व संभालने के विरुध्द बीमा सुरक्षित के लिये वर्ष के दौरान एल.आई.सी. प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। वर्ष 2021-22 में वेतन/मजदूरी एवं वैधानिक बकायों के पक्ष में भारत सरकार से रुपये 3,163 लाख प्राप्त हुये हैं।

(बी) वर्तमान वर्ष के दौरान कम्पनी ने कर्मचारियों के पक्ष में अवकाश नकदीकरण देयताओं हेतु रुपये 786.18 लाख (गत वर्ष के रुपये 784.18 लाख) का प्रावधान बनाया है। कम्पनी द्वारा प्राप्त बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार देयता रुपये 786.18 लाख एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र के अनुसार देयता रुपये 675.90 लाख है।

**35. खण्ड रिपोर्टिंग**

कम्पनी मुख्य रुप से अखबारी कागज के निर्माण के व्यवसाय से जुड़ी है तथा लेखन एवं मुद्रण कागज के निर्माण में विविधता लाने जा रही है। प्रबंधन ने अखबारी कागज को एकल व्यवसाय खण्ड के रूप में पहचाना है, क्योंकि वर्ष के दौरान केवल अखबारी कागज का उत्पादन आर.एम.डी.पी. के पश्चात किया गया था।

कम्पनी के कर्मचारियों एवं आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम्पनी ने नेपानगर शहर की सीमा के भीतर एक पेट्रोल पंप प्रारम्भ किया है। यह एक आकस्मिक गतिविधि है। इकाई यूनिट के निष्पादन का मूल्यांकन करने एवं संसाधनों के भविष्य के आवंटन के संबंध में निर्णय लेने के उद्देश्य से निदेशक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कोई सूचना नहीं दी जाती है। तदनुसार, ये व्यावसायिक गतिविधियाँ न तो व्यवसाय के तौर पर और न ही बाहरी प्रतिवेदित उद्देश्यों के लिये भौगोलिक खण्डों पर विचार करती है। यद्यपि, नोट क्र.19 के अनुसार रुपये 1627.71 लाख के प्रचालन से सम्पूर्ण राजस्व कथित व्यावसायिक गतिविधियों से ही है।

**36. मुख्य प्रबंधन कार्मिक एवं संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण जिनके साथ लेन-देन दर्ज किया गया**

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गमित संबंधित पक्ष के खुलासे पर लेखा विधि मानक-18 के तहत प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित संबंधित पक्ष सूचना निम्नानुसार है :-

**(ए) संबंधित पक्षों की सूची**

**मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के.एम.पी.) एवं अन्य संबंधित पक्ष**

| क्र. | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध |
|---|---|---|
| 1. | कमोडोर सौरभ देब | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (दिनांक 01.01.2021 से) |
| 2. | श्री प्रदीप कुमार नाईक | निदेशक (वित्त)/(अतिरिक्त प्रभार) (दिनांक 02.05.2019 से) |
| 3. | सुश्री पूर्णिमा पाराशर | कम्पनी सचिव |
| 4. | श्री वी.एन. बरोले | दिनांक 09.12.2021 से मुख्य वित्तीय अधिकारी दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत्त |
| 5. | श्री सी.एन. वर्मा | दिनांक 28.06.2023 से मुख्य वित्तीय अधिकारी |

**(बी) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | लेनदेन का प्रकार | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **पारिश्रमिक** | | |
| | 1. कमोडोर ए.एन. सोनसले* | - | 57.74 (बकाया) |
| | 2. कमोडोर सौरभ देब | 33.98 | 37.32 |
| | 3. सुश्री पूर्णिमा पाराशर | 9.98 | 8.89 |
| | 4. श्री वी.एन. बरोले | 10.15 | 12.41 |
| **2.** | **यात्रा व्यय** | | |
| | 1. कमोडोर सौरभ देब | 3.68 | 1.42 |
| | 2. श्री पी.के. नाईक | 0.23 | 0.48 |
| | 3. सुश्री पूर्णिमा पाराशर | 1.15 | 0.26 |
| | 4. श्री वी.एन. बरोले | 0.14 | 0.03 |
| 3. | अन्य निदेशकों का यात्रा व्यय (विदेश यात्रा व्यय सहित) | 0.40 | 0.00 |

* कमोडोर ए.एन. सोनसले को दिनांक 24.12.2019 से कम्पनी के निदेशक के पद से पदमुक्त कर दिया गया था, किन्तु बकाया वेतन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया।

राज्य-नियंत्रित उद्यम होने के कारण, अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों एवं ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन संबंधित पार्टी संबंध को ए.एस.-18 के अनुसार "संबंधित पार्टी के खुलासे" के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

**37. अर्जन प्रति साम्य अंश (ई.पी.एस.) की गणना ए.एस.20 के अनुसार की गई**

**(रुपये लाख में)**

| | | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| i. | मूल/तनुकृत प्रति अंश अर्जन की गणना करने हेतु रुपये लाख में गणक अनुसार राशि उपयोग की गई है। | (10,579.60) | (5989.89) |
| ii. | मूल प्रति अंश अर्जन की गणना के लिये साम्य अंशों के भारित औसत नम्बर है। (इसमें रुपये 4.30 लाख के 97780 जप्त साम्य अंश सम्मिलित नहीं है।) | 10967.15 | 10786.70 |
| iii. | अंश का नाममात्र का मूल्य (रुपये) | 5 | 5 |
| iv. | मूल प्रति अंश अर्जन (रुपये) | (0.96) | (0.56) |
| v. | तनुकृत प्रति अंश अर्जन की गणना के लिये साम्य अंशों के भारित औसत नम्बर है। | निरंक | निरंक |
| vi. | तनुकृत प्रति अंश अर्जन (रुपये) | (0.96) | (0.56) |

लेखा विधि मानक-20 के पैरा 41 "अर्जन प्रति अंश" के अनुसार, संभावित साम्य अंशों के मामले में, जो गैर-तनूकृत हैं एवं साम्य अंशों में उनके परिवर्तन या तो सामान्य गतिविधियों को जारी रखने से अर्जन प्रति अंश में वृद्धि करेंगे या सामान्य गतिविधियों से जारी रखने वाले प्रति अंश हानि में कमी करेंगे। गत वर्ष में तनूकृत प्रति अंश अर्जन की गणना में इस तरह के गैर-तनूकृत संभावित साम्य अंशों के प्रभावों की उपेक्षा की जाती है। इसलिये, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि तनूकृत प्रति अंश अर्जन की गणना में प्रकृति में गैर-तनूकृत नहीं माने जाते हैं।

**38. कर**

वर्ष के दौरान होने वाली हानि के कारण वर्ष के दौरान वर्तमान कर के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भविष्य के लाभ की आभासी अनिश्चितता के कारण अग्रगामी हानियों एवं अनअवशोषित मूल्यह्रास के कारण आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

**39. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ/देयतायें एवं पूँजी वचन प्रतिबद्धतायें**

39.1 आकस्मिक परिसंपत्तियों को न दर्ज किया जाता है एवं न ही वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है।

**39.2 आकस्मिक देयताएँ**

प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, यह संभव नहीं है कि निम्नलिखित मामलों में दायित्वों का निपटान करने के लिये आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी :-

**ए) कम्पनी के विरुद्ध दावों/विवादित देनदारियों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**

(ए) रेलवे के निर्माण के लिये भूमि अनुज्ञप्ति शुल्क के कारण रुपये 50.67 लाख के कम्पनी विरुध्द दावें, जिनको ऋण नहीं माना गया। (गत वर्ष के रुपये 50.67 लाख)।

(बी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 10.12.2015 को वर्ष 1999 एवं वर्ष 2009 की सूचना की शर्तों के तहत मुफ्त में कोल सिंडर (एश/फ्लाई एश जिसमें उच्च कार्बन सामग्री/बिना जला कोयला सम्मिलित है) प्राप्त करने के लिये कम्पनी के विरुध्द लगाये गये प्रकरण में यह निर्देशित किया कि आवेदक कम्पनी छः माह के भीतर प्लांट एवं तकनीक का उन्नयन करेगी, निपटान किया।

कम्पनी ने समय सीमा बढ़ाने के लिये अनुरोध किया क्योंकि छः माह के भीतर उन्नयन सम्भव नहीं था। तथापि, एन.जी.टी. आवेदक कम्पनी द्वारा उठाये गये कदमों से संतुष्ट नहीं थी एवं छः माह के लिये इस शर्त पर विस्तार दिया गया कि आवेदक कम्पनी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिसका पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आवेदक कम्पनी के आस-पास के क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिये उपयोग करेगी, को रुपये 300 लाख का भुगतान करेगी।

कम्पनी के आवेदन पर एन.जी.टी. ने दिनांक 30.06.2017 तक के समय का विस्तार प्रदान किया, जिसमें समूचित कदम उठाना आवश्यक है। आवेदक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अगले विस्तार के लिये प्लांट एवं अन्य अवसंरचना के उन्नयन के लिये प्रगति दर्शाते हुये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर श्रेष्ठता के आधार पर विचार किया जावेगा। यदि प्रभावी कदम नहीं उठाये गये, तब परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

कोटि उन्नयन के लिये संयंत्र के बंद होने के मद्देनजर कम्पनी संयंत्र के शीघ्र उन्नयन के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभावी कदम उठा रही है। प्रबंधन का यह मत है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर एन.जी.टी. द्वारा क्षतिपूर्ति अधिरोपित नहीं की जावेगी।

कम्पनी समय के और विस्तार के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा को ट्रिब्यूनल को दिये गये अपने पहले शपथपत्र के अध्याय-5 के संबंध में उठाये गये कदमों से संबंधित पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना था, जो लंबित है।

**(सी) विवादित दावे/आरोपित राशि के संबंध में**

(I) श्रमिकों के संघ ने बदली श्रमिकों की ओर से कम्पनी के विरुध्द एक प्रकरण दायर किया है। जिला न्यायालय द्वारा श्रमिकों के संघ के पक्ष में दिये गये निर्णय के आधार पर कम्पनी ने इस प्रकरण के विरुध्द अपील दायर की है। यह प्रकरण अभी भी माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लम्बित है। दिनांक 31.03.2023 तक आकस्मिक देयतायें रुपये 5319.69 लाख (गत वर्ष के रुपये 4970.66 लाख) है।

उपरोक्त प्रकरणों के अलावा, तीन बदली श्रमिकों ने कम्पनी के विरुद्ध व्यक्तिगत रुप से सेवा से संबंधित प्रकरण दर्ज कराये हैं एवं कुल दावा राशि रुपये 0.56 लाख है।

(II) सेल्स गोडाउन के पीसरेटेड कर्मचारियों के उच्च न्यायालय, इन्दौर बेंच के समक्ष दायर प्रकरण लम्बित हैं। प्रतिनिधि संघ ने सभी जॉबरेटेड एवं बदली कर्मचारी की हस्तक्षेपी हेतु उच्च न्यायालय में एक आवेदन भी लगाया है। उच्च न्यायालय, इन्दौर ने हस्तक्षेपी का कार्यवाही आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष अभी भी लम्बित है। दिनांक 31.03.2023 को कम्पनी के विरूध्द दावा, जिसे देयता नहीं माना गया (बदली कर्मचारियों के लिये उपरोक्त (I) को छोड़कर) लगभग रुपये 3287.02 लाख (गत वर्ष के रुपये 3070.31 लाख) है।

(III) कम्पनी के विरुध्द विभिन्न सेवा से संबंधित प्रकरण दायर किये गये हैं, जो विभिन्न फोरमों के समक्ष लम्बित है। इन प्रकरणों पर लगभग रुपये 44.32 लाख (गत वर्ष के रुपये 44.32 लाख) का वित्तीय प्रभाव आयेगा।

(IV) वर्ष 2010 तक की अवधि के संबंध में माफी के लिये विचाराधीन रुपये 168 लाख के सम्पत्ति कर को माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनर्स्थापन योजना के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा माफ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न नहीं हुये है, क्योंकि कम्पनी नगर की बुनियादी सुविधायें प्रदान कर रही है एवं उन पर होने वाले अत्यधिक व्ययों को वहन कर रही है। दिनांक 01.04.2017 से सभी बुनियादी सुविधाओं को नगर परिषद को हस्तांतरित करने पर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्तर पर सहमति व्यक्त की गई। नेपा लिमिटेड थोक पेयजल की आपूर्ति जारी रखेगी, जिसके लिये नेपा नगर परिषद द्वारा रुपये 7/- प्रति किलो लीटर की दर से नेपा लिमिटेड को भुगतान किया जाएगा, जबकि नेपा लिमिटेड दिनांक 01.04.2017 से संपत्ति कर का भुगतान करेगा। सम्पत्ति कर की मात्रा के निर्णय पर जबलपुर उच्च न्यायालय में चर्चा चल रही है। 300 एकड़ वन भूमि की सुपुर्दगी के पूर्व तीन सौ एकड़ भूमि का मापन सर्वेक्षण कार्य भी प्रगति पर है। इस खाते पर ब्याज सहित अनुमानित राशि रुपये 202.01 लाख है।

(V) वित्तीय वर्ष (2012-13 से 2016-17) के लिये के.एम.एस. 176ए/523/25-27 पर स्थित नेपानगर की सम पार की मरम्मत एवं वेतन के संबंध में रुपये 348.22 लाख (गत वर्ष रुपये 348.22 लाख) के दायित्व। सी.ए.जी. द्वारा गत वर्ष में उठाये गये मुद्दे के अनुसार, कम्पनी कथित राशि देने को बाध्य नहीं है, क्योंकि कथित सम पार आम जनता के लिये अत्याधिक उपयोग किया जा रहा है। इसके मद्देनजर समस्त बिल भी रेलवे को लौटा दिये गये है। इस संबंध में आगे कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है। इसलिये यह राशि पुस्तकों में प्रदान नहीं की गई है।

(VI) भूतपूर्व कर्मचारियों ने उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके नियमित रोजगार के पहले की अस्थायी अवधि के लिये इसकी अवधि विनिर्दिष्ट करने के पश्चात एवं बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण के उपादान दावा दायर किया है। चूंकि ये दावें बहुत पुरानी अवधि के लिये हैं तथा बहुत अधिक समय बीत चुका है। अत: इसकी राशि की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। अन्य भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा अस्थायी अवधि के लिये उपादान प्राप्त करने हेतु साधारण पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। दस्तावेजी प्रमाण एवं अभिलेखों रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान, यदि कोई हो, नहीं किया जा सकता है।

(VII) कम्पनी ने पूँजीगत संयंत्र एवं मशीनरी के आयात के लिये ई.पी.सी.जी. योजना का उपयोग किया है। दिनांक 31.03.2023 को रुपये 2620 लाख (गत वर्ष के रुपये 2620.00 लाख) के उत्पादन शुल्क की बचत की गई है, जिसके विरुध्द निर्यात वचनबध्दता रुपये 15721 लाख (गत वर्ष के रुपये 15721 लाख) की है। कम्पनी ने डी.जी.एफ.टी. से अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट पर विचार करने का अनुरोध किया है।

**बी) प्रत्याभूति**

बैंक द्वारा जारी रुपये 472.60 लाख अदत्त बैंक प्रत्याभूति (गत वर्ष के रुपये 472.60 लाख) हैं।

**सी) अन्य**

**I.** अपील जिसके लिये किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, क्योंकि कम्पनी को अपीलों में सफल परिणाम की आशा है। उन बहिर्वाहों की राशि या समय के संबंध में अनिश्चिततायें हैं, क्योंकि यह अपीलीय प्रक्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर करता है। कोई अनुमान नहीं लगाया गया है एवं राशि विभागों द्वारा की गई मांग पर आधारित है।

| संविधि का नाम | विवाद से संबंधित अवधि | विवादित राशि (रुपये लाख में) | जहाँ से विवाद लम्बित है। |
|---|---|---|---|
| प्रवेश कर | 2008-09 | 4.49 | मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल, इन्दौर |
| मूल्य समाविष्ट कर | 2009-10 | 75.65 | मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल |
| प्रवेश कर | 2009-10 | 7.16 | मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल |
| मूल्य समाविष्ट कर | 2010-11 | 10.42 | मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल |
| मण्डी कर | 1998 | 35.95 | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर |
| सम्पत्ति कर एवं उस पर ब्याज | 1993-94 से 2022-23 | 202.01 | म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच |

**II. रुपये 0.53 लाख की टी.डी.एस. चूक**

सभी मूल्यांकन वर्षों के लिये टी.डी.एस. देयता या तो टी.डी.एस. के कम भुगतान, टी.डी.एस. की कम कटौती या ऐसे कम भुगतान या देर से भुगतान पर ब्याज के कारण है। कम्पनी मांग के परिशोधन की प्रक्रिया में है।

**III.** आय कर के तहत रुपये 90.04 लाख (गत वर्ष रुपये 343.50 लाख) की निम्नलिखित अदत्त मांग कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है एवं कम्पनी इस संबंध में आय कर अधिकारियों के समक्ष आवश्यक परिशोधन दर्ज करने की प्रक्रिया में है :-

| क्रमांक | मूल्यांकन वर्ष | धारा 156 के तहत मांग (रुपये लाख में) | से संबंधित |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017-18 | 46.76 | अदत्त ब्याज |
| 2. | 2017-18 | 40.06 | अदत्त ब्याज |
| 3. | 2016-17 | 0.10 | अदत्त ब्याज |
| 4. | 2009-10 | 2.92 | धारा 271(1)(सी) |
| 5. | 2016-17 | 0.20 | अदत्त ब्याज |
| | **योग** | **90.04** | |

**39.3 पूँजी वचनबध्दता (अग्रिम का शुध्द)**

ए. ठेके की अनुमानित राशि रुपये 356.94 लाख (गत वर्ष रुपये 13,267 लाख) पूँजी खाते पर निष्पादन के लिये शेष है

बी. कम्पनी द्वारा डि-इंकिंग संयंत्र के स्वदेशी तथा आयातीत संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति तथा दोनों पेपर मशीनों एवं निजी विद्युत संयंत्र के नवीनीकरण तथा अन्य कारणों के लिये रुपये 50,884.05 लाख (गत वर्ष रुपये 41,311.63 लाख) के ठेके को अंतिम रुप दिया जा चुका है। कम्पनी ने पुनरुध्दार परियोजना के कारण पूंजी प्रतिबद्धता की आपूर्ति/अग्रिम/सेवाओं के लिये रुपये 45,748.69 लाख (गत वर्ष रुपये 35,809.40 लाख) की राशि और शेष राशि भुगतान की है।

सी. इसके अतिरिक्त इन वर्षों में परियोजना की लागत की वास्तविक परिकल्पना तकनीकी बढोत्तरी/वृध्दि/महंगाई/ विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव इत्यादि को ध्यान में रखकर की गई थी और कम्पनी ने रुपये 43,400 लाख (रुपये 2,400 लाख के ई.पी.सी.जी. हित लाभ का निवल) की पुनरीक्षित लागत का अनुमान किया था। बैंकर परियोजना योजना को सहमति देने के लिये सरकारी गारंटी पर जोर दे रहे थे। बैंकर परियोजना योजना को मंजूरी देने के लिये सरकारी गारंटी पर जोर दे रहे थे। चूंकि भारत सरकार की वर्तमान नीति गारंटी प्रदान नहीं कर रही है, इसलिये भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि लागत वृद्धि (रुपये 14,900 लाख) के साथ-साथ रुपये 12,800 लाख के घटक के रूप में संशोधित लागत अनुमानों को निधि देने का अनुरोध किया गया हो, प्रारम्भ में बैंक ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। भारत सरकार/सी.सी.ई.ए. द्वारा दिनांक 03.10.2018 को एक संशोधित समर्थन पैकेज एवं इसके अतिरिक्त दिनांक 13.10.2021 को रुपये 11004 लाख की अतिरिक्त निधि निम्नानुसार स्वीकृत की गई है :-

**(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1. | संशोधित लागत के वित्तपोषण के लिये अतिरिक्त साम्य का उत्प्रेरण - बैंक ऋण के बदले साम्य राशि के रूप में रुपये 12,800 लाख सहित आर.एम.डी.पी. का अनुमान | रुपये 27,700 |
| 2. | कर्मचारियों का वैधानिक देयकों तथा वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लिये आवश्यक धनराशि के लिये ऋण की स्वीकृति | रुपये 10,158 |
| 3. | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की राशि के पक्ष में 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंशों के रुप में निधि की स्वीकृति | रुपये 9,083 |
| 4. | आर.एम.डी.पी. के संशोधित लागत अनुमान के वित्तपोषण के लिए साम्य का अतिरिक्त उत्प्रेरण | रुपये 7,841 |
| 5. | कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी तथा वैधानिक देयकों के भुगतान के लिये आवश्यक धनराशि हेतु ऋण की अतिरिक्त स्वीकृति | रुपये 3,163 |
| | **योग** | **रुपये 57,945** |

| | | |
|---|---|---|
| | इसमें से निम्नलिखित किस्तें प्राप्त हुई हैं :-<br>आर.एम.डी.पी. परियोजना के लिये :-<br>(i) रुपये 3,300 लाख (2018-19)<br>(ii) रुपये 15,105 लाख (2019-20)<br>(iii) रुपये 9,295 लाख (2020-21)<br>(iv) रुपये 7,841 लाख (2021-22) | रुपये 35,541 |
| | वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लिये | रुपये 13,321 |
| | वी.आर.एस. के भुगतान के लिये | रुपये 4,654 |

40. दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये रुपये 10,579.60 लाख (गत वर्ष रुपये 5,989.89 लाख) की हानियों के बावजूद खाते अग्रगमन व्यवसाय के आधार पर बनाए गए हैं। कम्पनी की शुध्द सम्पन्नता पूर्णरूपेण अपक्षरित हो चूकी है। कम्पनी अपने प्रचालन/वित्तीय पुनर्संरचना के लिये वर्ष 1998 में बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित की गई थी और दिनांक 04.03.2014 को सामान्य निबंधन एवं शर्तों के साथ बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनरुध्दार योजना स्वीकृत की जा चुकी है। बी.आई.एफ.आर. ने भारतीय स्टेट बैंक को परीवीक्षक एजेन्सी के रुप में नियुक्त किया है, तथापि, अभी तक भारतीय स्टेट बैंक से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कम्पनी ने पुनरुध्दार योजना की प्रगति की समीक्षा एवं रिपोर्टिंग के लिये बी.आई.एफ.आर. की शर्तों के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षकों के रुप में सनदी लेखापालों के फर्म की नियुक्ति की है। कम्पनी का अग्रगमन व्यवसाय पूर्णरूपेण आर.एम.डी.पी. योजना के सफल कार्यान्वयन एवं प्रचालन तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के निपटान पर निर्भर है।

**41. विविध देनदार**

मेसर्स जन मण्डल, प्रकाशक, "आज" हिन्दी दैनिक, वाराणसी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कम्पनी के देयकों का भुगतान न देने के संबंध में कम्पनी अधिनियम की धारा 433 के तहत याचिका समाप्त करने का आदेश पारित किया। रुपये 242 लाख + ब्याज की राशि की क्षतिपूर्ति के लिये भी कम्पनी ने जुलाई 1997 में माननीय जिला न्यायाधीश, खण्डवा में भी दीवानी प्रकरण दायर किया है, जो अभी भी निर्णय हेतु लम्बित है।

प्रतिवादी द्वारा समापन का आदेश चुनौती के तहत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तरप्रदेश की प्रभागीय न्यायपीठ के समक्ष विशेष अपील क्रमांक 225/99 में विचाराधीन है। नेपा लिमिटेड के पक्ष में मामला तय किया गया है। राशि की वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर है।

**42. विदेशी विनिमय व्यवहार**

**ए) विदेशी मुद्रा में व्यय** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1. | आर.एम.डी.पी. (अग्रिम सहित) के लिये | 0 | 205.25 |
| | **योग** | **0** | **205.25** |

बी) विदेशी मुद्रा में आय रुपये निरंक (गत वर्ष - निरंक)

**सी) आयात का सी.आई.एफ. मूल्य** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1. | कच्चा माल | निरंक | निरंक |
| 2. | आर.एम.डी.पी. के तहत पूँजीगत माल | निरंक | निरंक |
| | **योग** | **निरंक** | **निरंक** |

**43. पूरक जानकारियाँ**

**आयातित एवं स्वदेशी कच्चे माल तथा भण्डार एवं कलपुर्जे के उपभोग का मूल्य** **(रुपये लाख में)**

| क्र. | विवरण | कच्चा माल | | भण्डार एवं कलपुर्जे | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| 1. | आयातित | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 2. | स्वदेशी | 2942.71 | निरंक | निरंक | निरंक |

**44. सचिवीय अनुपालन की स्थिति**

44.1 कम्पनी के मण्डल में भारत सरकार (GOI) द्वारा निदेशक को नियुक्त किया गया था। मण्डल में स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति के पश्चात श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव का कार्यकाल फरवरी 2022 में एवं श्रीमती कमलावती सिंह का कार्यकाल फरवरी 2023 में पूर्ण हुआ। भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2023 को श्री मिलिंद शरदचंद्र कनाड़े को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेपा लिमिटेड के मण्डल में एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार की ओर से लंबित है।

44.2 कम्पनी ने दिनांक 17.02.2016 से 30.08.2016 की अवधि के दौरान तथा वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में भारत के राष्ट्रपति और मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामे अंश निर्गमित किये हैं। कम्पनी ने वर्ष 2019, 2021, 2022 एवं 2023 में सक्षम प्राधिकारी से स्टाम्प शुल्क की छूट के लिये आवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अंकेक्षण के पूर्ण होने तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

44.3 प्रभार संतुष्टि प्रपत्र पहले से ही भरा हुआ था किन्तु आर.ओ.सी. प्रभार निर्देशिका से प्रभार नहीं हटाए गए थे एवं प्रपत्र की भरी हुई प्रति कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऑनलाइन जमा करने के स्थान पर उस समय प्रत्यक्ष प्रतियाँ जमा की गई थी।

44.4 कम्पनी द्वारा लागत अभिलेख बनाये रखा गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये कम्पनी द्वारा अब तक कोई लागत अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया गया है।

45. कम्पनी ने वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक की अवधि हेतु ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत कोयला कम उठाने के लिये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) द्वारा उठाये गये दावे के मुआवजे/जुर्माना का भुगतान कर दिया है, दावा फरवरी 2022 में एस.ई.सी.एल. द्वारा उठाया गया था। सीएजी द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के आधार पर जुर्माने की राशि रुपये 475.36 लाख को असाधारण मद के रूप में प्रतिवेदित की गई पूर्व अवधि की मद के रूप में दर्ज किया गया है।

**46. अतिरिक्त नियामक संसूचना**

ए. पूर्ण स्वामित्व भूमि के शीर्षक विलेख कम्पनी के नाम हैं।

बी. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

सी. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित प्रवर्तकों, निदेशकों, के.एम.पी. एवं संबंधित पार्टियों को या तो अलग से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है :-

I. मांग पर प्रतिदेय या,

II. पुनर्भुगतान की किसी भी शर्त या अवधि को निर्दिष्ट किये बगैर।

डी. कम्पनी के पास पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना है, जो पूँजीगत कार्य के रूप में दिखाई दे रही है, विवरण इस प्रकार है :-

| | **की अवधि के लिये सी.डबल्यू.आई.पी. में राशि** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **एक वर्ष से कम** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्ष से अधिक** | **योग** |
| परियोजनायें प्रगति पर हैं। | 475.26 | - | - | - | 475.26 |

ई. कम्पनी के पास विकासाधीन अमूर्त सम्पत्तियाँ हैं :-

| विकासाधीन अमूर्त सम्पत्तियाँ | एक अवधि के लिए विकासधीन अमूर्त संपत्ति में राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | एक वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग |
| ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर | 4.70 | - | - | - | 4.70 |

एफ. बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 [पहले बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) के रूप में शीर्षक] के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ या लंबित नहीं है।

जी. कम्पनी के पास वर्तमान परिसम्पत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं है।

एच. कम्पनी को इरादतन चूककर्त्ता घोषित नहीं किया गया है।

आई. कम्पनी का उन कम्पनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 के तहत अटकी हुई हैं।

जे. आर.ओ.सी. के साथ तुष्टि के लिये लंबित शुल्क

| विवरण | आर.ओ.सी. की स्थिति | विलंब हेतु कारण |
|---|---|---|
| प्रभार आई.डी. 90204427<br>सृजन तिथि 21.03.1964<br>राशि : रुपये 0.96 लाख<br>पार्टी का नाम : अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल | आर.ओ.सी., ग्वालियर | चूंकि प्रभार पंजीकृत प्रभार के अनुसार बहुत पुराना है, तुष्टि प्रपत्र हार्ड कॉपी के माध्यम से भरा जाता है, लेकिन 2006 में एम.सी.ए. पोर्टल के प्रवारजन के दौरान इसे अद्यतन नहीं किया गया था एवं अभी भी खुले प्रभार के रूप में दिखा रहा है। |
| प्रभार आई.डी. 90204446<br>सृजन तिथि 21.03.1964<br>राशि : रुपये 125.00 लाख<br>पार्टी का नाम : मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल 18.09.1978 | आर.ओ.सी., ग्वालियर | चूंकि प्रभार पंजीकृत प्रभार के अनुसार बहुत पुराना है, तुष्टि प्रपत्र हार्ड कॉपी के माध्यम से भरा जाता है, लेकिन 2006 में एम.सी.ए. पोर्टल के प्रवारजन के दौरान इसे अद्यतन नहीं किया गया था एवं अभी भी खुले प्रभार के रूप में दिखा रहा है। |
| प्रभार आई.डी. 90207971<br>सृजन तिथि 17.03.1997<br>राशि : रुपये 3580.00 लाख<br>द्वारा स्वीकृत : एस.बी.आई. | आर.ओ.सी., ग्वालियर | प्रभार तुष्टि प्रपत्र पहले ही भरा जा चुका है लेकिन प्रभार आई.डी. 90207971 के माध्यम से गलत एस.आर.एन. एम.सी.ए. मास्टर डेटा में दिख रहा है, आर.ओ.सी. को पहले ही जानकारी दे दी गई है, लेकिन आज तक सुधार नहीं किया गया है। |

के. कम्पनी के पास कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (87), जिसे कम्पनियों (स्तर की संख्या पर प्रतिबंध नियम, 2017) के साथ पढ़ा जावे, के तहत कम्पनी के पास निर्धारित स्तर नहीं हैं। कम्पनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

**एल. वित्तीय अनुपात**

| अनुपात | अंश गणक | भाजक | वर्तमान अवधि | पूर्व अवधि | % परिवर्तन | परिवर्तन हेतु कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात | वर्तमान परिसंपत्तियाँ | वर्तमान देनदारियाँ | 0.45 | 0.72 | -37.74% | - |
| ऋण-साम्य अनुपात | कुल ऋण (दीर्घावधि एवं अल्पावधि) | अंशधारकों का साम्य | -31.69 | 40.78 | -177.71 | वर्तमान वित्त वर्ष में ऋणी, ब्याज एवं हानि में वृद्धि के कारण |
| ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात | ऋण सेवाओं के लिये उपलब्ध आय | ब्याज एवं लीज भुगतान + मूल पुनर्भुगतान | -0.08 | -0.12 | -30.22% | वर्तमान वित्त वर्ष में ऋणी, ब्याज एवं हानि में वृद्धि के कारण |
| साम्य पर प्रतिफल अनुपात | कर के पश्चात शुद्ध लाभ - अधिमान्य लाभांश | औसत अंशधारकों का साम्य | -0.83 | -1.45 | -42.40% | हानि के कारण |
| मालसूची आवर्त अनुपात | विक्रय | औसत मालसूची | 1.24 | 4.23 | -70.79% | मालसूची के अंतिम स्टॉक में वृद्धि के कारण |
| व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात | शुद्ध विक्रय | औसत लेखा प्राप्य | 8.94 | 8.46 | 5.68% | व्यवसाय प्राप्तियों के अंतिम मूल्य में वृद्धि के कारण |
| व्यवसाय देय आवर्त अनुपात | शुद्ध जमा क्रय | औसत लेखा देय | 2.54 | 0.77 | 229.18% | व्यवसाय देय के अंतिम मूल्य में वृद्धि के कारण |
| शुद्ध पूँजी आवर्त अनुपात | शुद्ध विक्रय | कार्यशील पूँजी | -0.15 | -0.36 | -57.46% | हानि वृद्धि के कारण |
| शुद्ध लाभ अनुपात | कर के पश्चात शुद्ध लाभ | शुद्ध विक्रय | -2.60 | -2.89 | 10.03% | हानि वृद्धि के कारण |
| नियोजित पूँजी पर प्रतिफल | ब्याज एवं करों के पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) | नियोजित पूँजी | -0.21 | -1.41 | -84.46% | निरंतर हानि |
| निवेश पर प्रतिफल | {एम.वी.(टी.1) - एम.वी.(टी.0) - योग[सी.(टी.)]} | {एम.वी.(टी.0) + योग [डबल्यू.(टी.) * सी.(टी.)]} | | लागू नहीं | | हानि के कारण |

एम. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना तैयार नहीं की गई/सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित नहीं है।

एन. (ए) कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है (या तो ऋणी निधि से या किस्त या किसी अन्य स्त्रोत या निधियों के प्रकार) कम्पनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति(ओं) या इकाई(यों) में, जिसमें विदेशी संस्थायें ("मध्यस्थ") सम्मिलित हैं, समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) मध्यस्थता करेगा कि

(1) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करें या

(2) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना।

(बी) कम्पनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी

(1) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करें या

(2) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना।

ओ. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किये गये खातों की पुस्तकों में कम्पनी का लेनदेन दर्ज नहीं है।

पी. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यवसाय या निवेश नहीं किया है।

क्यू. कम्पनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

47. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण भारतीय रुपये में बनाये गये हैं और लाख के नजदीक पूर्णांक किये गये हैं।

48. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के साथ समूचित तुलना हो सके, के लिये जहाँ आवश्यक हो, गत वर्ष के आंकड़ों में पुन: एकत्र करना, सुधार, पुनर्वर्गीकरण एवं पुन: व्यवस्थित किया गया है।

**निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लिये**

**कृते फड़निस एण्ड गुप्ते एल.एल.पी.**
**सनदी लेखापाल**
**एफ.आर.एन. : 006600सी/सी400324**
**हस्ता./-**
**सी.ए. विक्रम गुप्ते**
**भागीदार**
**एम. क्रमांक 074814**
**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 28.08.2023**

**हस्ता./-**
**(प्रदीप कुमार नाईक)**
**निदेशक (वित्त)**
**(अतिरिक्त प्रभार)**
**डी.आई.एन. 08676709**
**हस्ता./-**
**(सुश्री पूर्णिमा पाराशर)**
**कम्पनी सचिव**
**एम.क्र. ए36079**

**हस्ता./-**
**(कमोडोर सौरभ देब)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
**डी.आई.एन. 09068496**

**हस्ता./-**
**(छबिनाथ वर्मा)**
**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

**नेपा लिमिटेड के दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय ढ़ांचे के अनुसार नेपा लिमिटेड के वित्तीय विवरण विहित वित्तीय प्रारुप में तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा-परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत् अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है। इस बात का उल्लेख उन्होंने दिनांक 28.08.2023 की अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नेपा लिमिटेड के दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। यह पूरक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं मुख्य रूप से सांविधिक अंकेक्षकों तथा कम्पनी कर्मियों की पूछताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूं, जो मेरे ध्यान में आये है तथा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों एवं संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिये आवश्यक है।

**तुलन पत्र**

**चालू परिसंपतियाँ**

**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (नोट क्र.17) : रुपये 6120.27 लाख**

**प्राप्य दावा : रुपये 837.27 लाख**

उपरोक्त में रुपये 7.27 करोड़, जिसमें जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि के लिये नेपा द्वारा भुगतान किये गये शास्ति (रुपये 3.41 करोड़) एवं दिसंबर 2014 से अक्तूबर 2017 की अवधि के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) द्वारा वसूली गई शास्ति (रुपये 3.86 करोड़) सम्मिलित है। नेपा द्वारा भविष्य निधि योगदान के प्रेषण में विलंब के कारण नेपा के बैंक खातों को कुर्क करके यह राशि इस तर्क पर ई.पी.एफ.ओ. से वसूली योग्य दर्शाई गई है कि इसकी राहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा दी जावेगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि नेपा ने कम्पनी की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुये जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि के लिये शास्ति माफ करने के लिये ई.पी.एफ.ओ. से अपील (जून 2014) की। ई.पी.एफ.ओ. ने कम्पनी के अनुरोध (अगस्त 2014) को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि शास्ति माफ करने की शर्तें पूर्ण नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, इस मामले पर ई.पी.एफ.ओ. के साथ पश्चात के पत्राचार (नवंबर 2021) में भारी उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ कम्पनी ने उपरोक्त अवधि से संबंधित शास्ति वापस करने पर बल नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण में बैंक खातों की कुर्की (ई.पी.एफ.ओ. द्वारा दिसंबर 2014 से अक्तूबर 2017 की अवधि के लिये) शास्ति की वसूली के लिये) को चुनौती देते हुये नेपा ने जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि से संबंधित जुर्माने की राशि का दावा नहीं किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि से संबंधित रुपये 3.41 करोड़ की शास्ति राशि की वसूली की संभावना कम है एवं इसलिये रुपये 3.41 करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिये था। प्राप्य दावे के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अशौध्य एवं संदिग्ध दावों के लिये प्रावधान को रुपये 3.41 करोड़ कम बताया गया एवं उसी सीमा तक वर्ष के लिये हानि हुई।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक**
**की ओर से और उनके लिये**
**हस्ता./-**
**(संजय के. झा)**
**प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा**
**(उद्योग एवं निगमित मामले)**
**नई दिल्ली**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.11.2023

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ एवं उसका प्रबंधन द्वारा उत्तर**

| सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|
| **तुलन पत्र**<br>**चालू परिसंपत्तियाँ**<br>**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (नोट क्र.17) : रुपये 6120.27 लाख**<br>**प्राप्य दावा : रुपये 837.27 लाख**<br>उपरोक्त में रुपये 7.27 करोड़, जिसमें जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि के लिये नेपा द्वारा भुगतान किये गये शास्ति (रुपये 3.41 करोड़) एवं दिसंबर 2014 से अक्तूबर 2017 की अवधि के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) द्वारा वसूली गई शास्ति (रुपये 3.86 करोड़) सम्मिलित है। नेपा द्वारा भविष्य निधि योगदान के प्रेषण में विलंब के कारण नेपा के बैंक खातों को कुर्क करके यह राशि इस तर्क पर ई.पी.एफ.ओ. से वसूली योग्य दर्शाई गई है कि इसकी राहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा दी जावेगी।<br><br>अंकेक्षण में पाया गया कि नेपा ने कम्पनी की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुये जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि के लिये शास्ति माफ करने के लिये ई.पी.एफ.ओ. से अपील (जून 2014) की। ई.पी.एफ.ओ. ने कम्पनी के अनुरोध (अगस्त 2014) को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि शास्ति माफ करने की शर्तें पूर्ण नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, इस मामले पर ई.पी.एफ.ओ. के साथ पश्चात के पत्राचार (नवंबर 2021) में भारी उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ कम्पनी ने उपरोक्त अवधि से संबंधित शास्ति वापस करने पर बल नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण में बैंक खातों की कुर्की (ई.पी.एफ.ओ. द्वारा दिसंबर 2014 से अक्तूबर 2017 की अवधि के लिये) शास्ति की वसूली के लिये) को चुनौती देते हुये नेपा ने जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि से संबंधित जुर्माने की राशि का दावा नहीं किया।<br><br>उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि से संबंधित रुपये 3.41 करोड़ की शास्ति राशि की वसूली की संभावना कम है एवं इसलिये रुपये 3.41 करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिये था। प्राप्य दावे के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अशौध्य एवं संदिग्ध दावों के लिये प्रावधान को रुपये 3.41 करोड़ कम बताया गया एवं उसी सीमा तक वर्ष के लिये हानि हुई। | ई.पी.एफ.ओ. ने उस अवधि के लिये शास्ति लगाई है, जब कम्पनी बी.आई.एफ.आर. के अधीन है। बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 27.05.2023 को सम्पन्न अपनी सुनवाई में मामले पर विचार किया एवं निम्नलिखित आदेश जारी किया "कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण क्रमशः दिनांक 02.01.2015 तथा दिनांक 02.03.2015 की मांग की सूचना पर कम्पनी के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा एवं माफ करने पर विचार करेगा एवं कर्मचारी भविष्य निधि विविध अधिनियम की धारा 14 (बी) के तहत लगाई गई शास्ति को माफ करने एवं प्रचलित नीति के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 7क्यू के तहत ब्याज की वापसी पर विचार करना।<br><br>तदनुसार, कम्पनी द्वारा सी.पी.एफ.सी., ई.पी.एफ.ओ. से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने एवं नुकसान की माफी तथा कम्पनी पर लगाये गये ब्याज की वापसी का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। कम्पनी इस मामले पर सी.पी.एफ.सी., ई.पी.एफ.ओ. के साथ निरंतर आधार पर कार्रवाई कर रही है। इसके अतिरिक्त, ई.पी.एफ.ओ. ने कम्पनी के निलंब खाते से शास्ति वसूली, जो आर.एम.डी.पी. के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के लिये समर्पित है एवं आर.एम.डी.पी. निधि का विनियोजन भारत सरकार द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित है तथा मामला इंदौर एवं जबलपुर न्यायालय में उप न्यायिक है। इसे ध्यान में रखते हुये कम्पनी जून 2004 से मार्च 2011 की अवधि से संबंधित रुपये 3.41 करोड़ की शास्ति राशि की वसूली के प्रति सकारात्मक है, इसलिये उक्त राशि के लिये प्रावधान नहीं बनाया गया है। |

**नोट :- किसी भी विवाद की स्थिति में वार्षिक प्रतिवेदन का अंग्रेजी रुपांतर ही मान्य होगा।**

# INAUGURATION PROGRAMME
# उद्घाटन समारोह

NEPA LADIES CLUB

नेपा महिला क्लब

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
NEPA LIMITED
T.V.S.M
CHANDRAYAN
ISRO
INDIA

BOOK POST

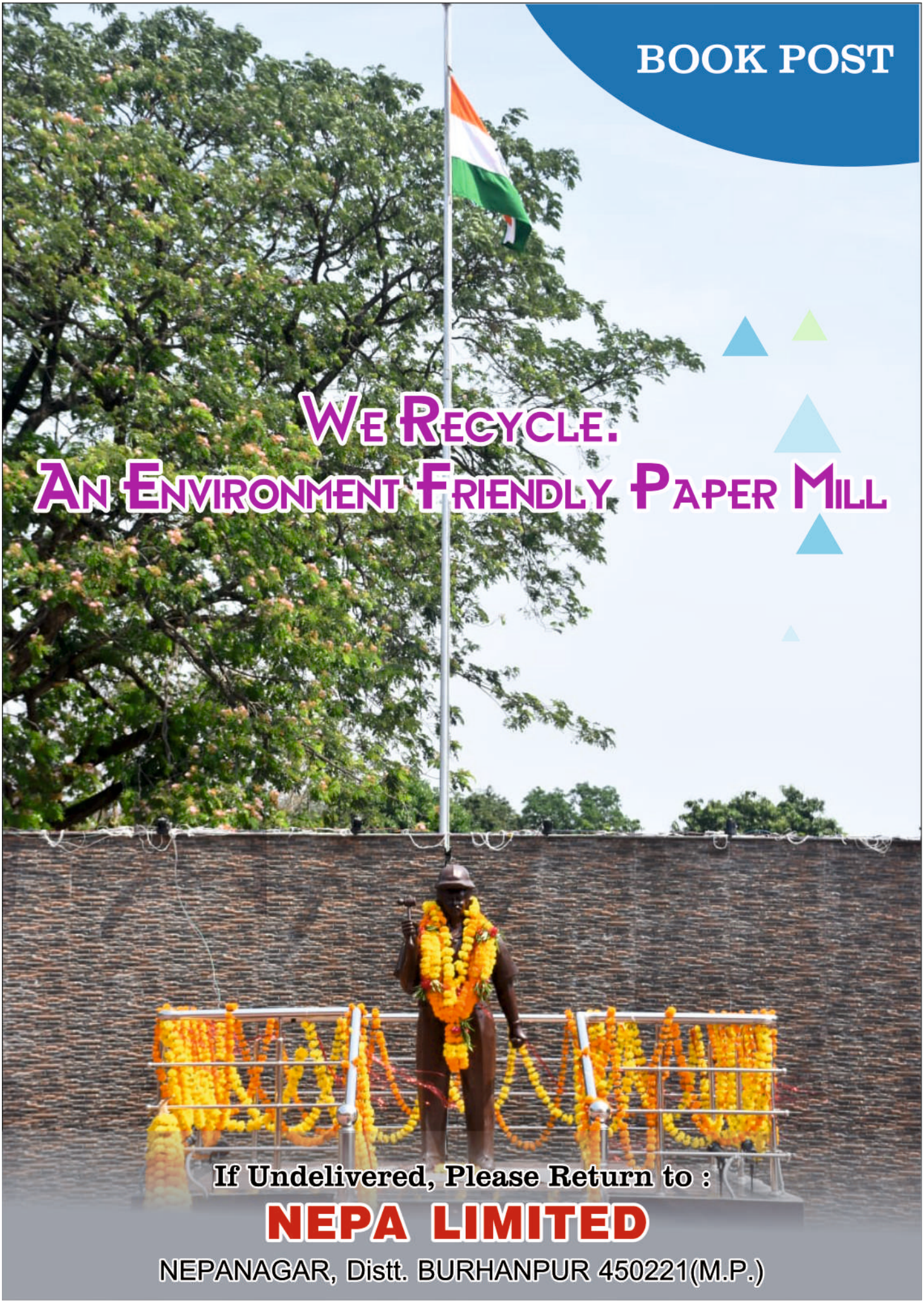

# We Recycle.
# An Environment Friendly Paper Mill

If Undelivered, Please Return to :


**NEPA LIMITED**

NEPANAGAR, Distt. BURHANPUR 450221(M.P.)